खण्ड-417, अंक-6
बृहस्पतिवार, 26 श्रावण, शक संवत् 1917
(17 अगस्त, 1995 ई0)

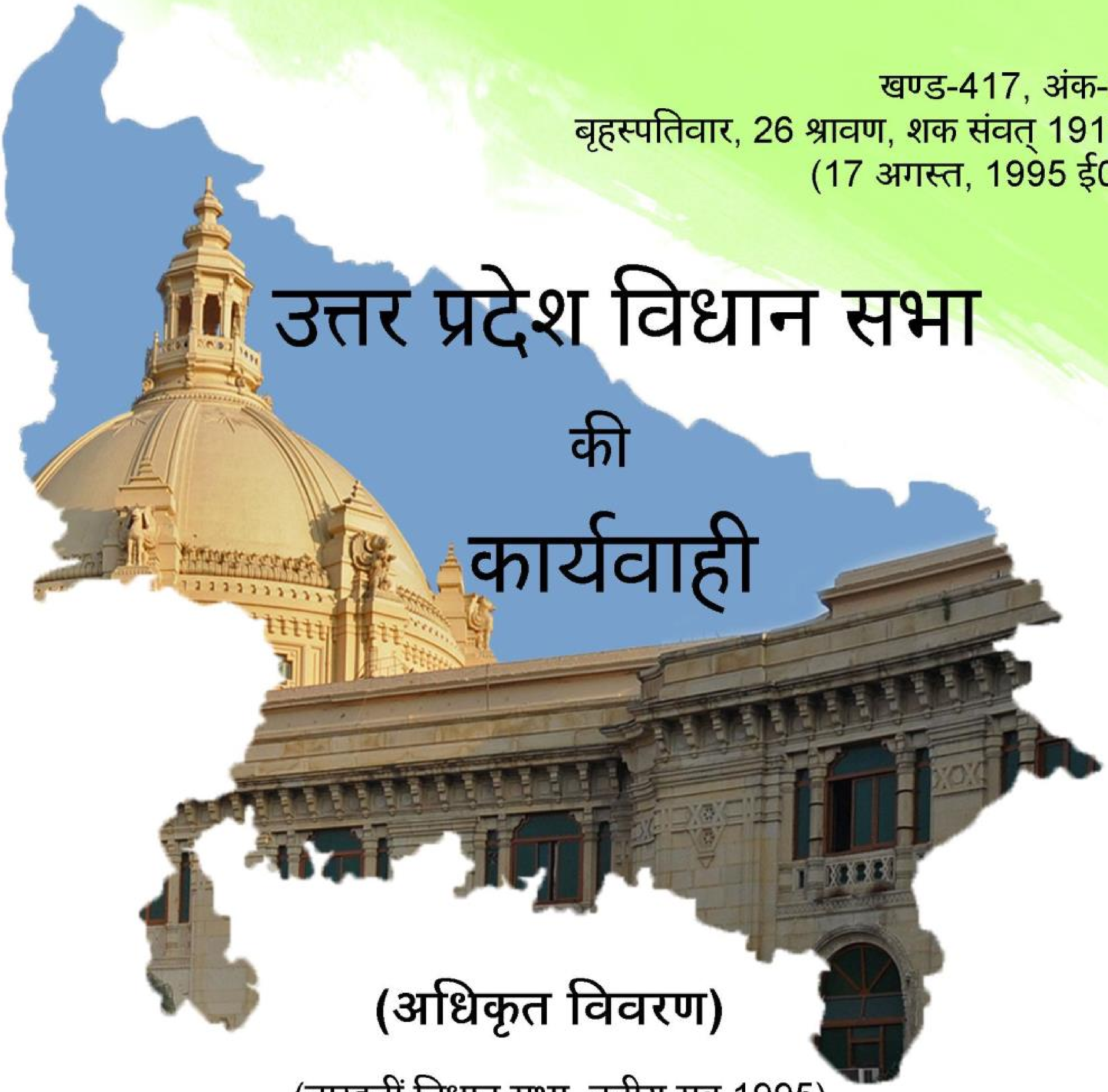

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1995)

खण्ड 417 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1995

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क-ग
मथुरा यज्ञ से सम्बन्धित नियम 311 के अन्तर्गत सूचना को सुने जाने की मांग	1-28
मथुरा यज्ञ से सम्बन्धित नियम 311 के अन्तर्गत सूचना को सुने जाने की मांग (क्रमागत)	29-30
प्रश्नोत्तर	30-56
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	56
फतेहपुर के बिन्दकी नगर में सड़कों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	56
भदोही तथा वाराणसी जनपद में सेवापुरी विकास खण्ड के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर समुचित चिकित्सीय व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	56-57
गोण्डा जिले में मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत टिकरी से रौजा मार्ग को बनवाने हेतु मण्डी समिति द्वारा धन आवंटित कराये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	57
जनपद महराजगंज में मुख्यालय का निर्माण कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	58
प्रतापगढ़ के बीरापुर क्षेत्रान्तर्गत राज्य योजना द्वारा स्वीकृत अधूरे मार्गों को पूरा कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	58
जनपद सिद्धार्थनगर स्थित पर्यटक स्थल पिपरहवां (कपिलवस्तु) को विकसित कराये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	59
शाहजहांपुर नगर परिषद् की सड़कों की मरम्मत एवं पुननिर्माण कराने की मांग के संबंध में 301 के अन्तेर्गत सूचना	59-60
बजट साहित्य समय से उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	60-61
औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें	61
उ0प्र0 बारहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का तृतीय एवं चतुर्थ प्रतिवेदन....(प्रस्तुत किया गया)	61
जनपद लखनऊ नगर के मास्टर प्लान में स्वीकृत तुलसी दास मार्ग पर अनधिकृतरूप से निर्माण की गई दुकानों को हटवाये जाने के संबंध में श्री के0के0 अवस्थी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका....(उपस्थित की गई)	61

विषय	पृष्ठ-संख्या
समाचार-पत्रों में छपे विधायकों के दल बदल सम्बन्धी कार्य में पीठ पर लगाये गये आक्षेप के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	61-63
जनपद बाराबंकी के ब्लाक रुदौली के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बरावां में पंचायत भवन बनवाये जाने के संबंध में श्री राम धीरज मौर्य आदि की याचिका ....(उपस्थित की गई)	63
जनपद बाराबंकी की ग्राम पंचायत बरावां ब्लाक रुदौली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के संबंध में श्री राम धीरज मौर्य आदि की याचिका (उपस्थित की गई)	63-64
जनपद बहराइच की क्षेत्र समिति इकौना में नीरपुर चौराहे से खरगपुर जाने वाले मार्ग पर कुंआना नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री कामेश्वर तिवारी आदि की याचिका...(उपस्थित की गई)	64
जनपद बहराइच के इकौना क्षेत्र में बीसलपुर चौराहे से परशुराम नगर लाल बोझी होते हुये जनपद गोण्डा की सीमा तक सड़क को पक्की कराये जाने के संबंध में श्री अर्जुन प्रसाद आदि की याचिका (उपस्थित की गई)	64
जनपद बहराइच की क्षेत्र समिति विशेश्वर गंज, इकौना व पयागपुर को आपस में जोड़ने वाले मार्ग को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगदम्बा शुक्ल आदि की याचिका...(उपस्थित की गई) ..	64
जनपद बहराइच की क्षेत्र समिति पयागपुर में बहराइच गोण्डा मार्ग पर शिवदहा मोड से शिवदहा होते हुये गिलोला तक जाने वाली सड़क को पक्की कराये जाने के संबंध में श्री मैन बहादुर सिंह आदि की याचिका (उपस्थित की गई)	65
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव...(स्वीकृत) ..	65-66
उ0प्र0 स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (वेतन का विनियमन) विधेयक, 1995 (पुरः स्थापित किया गया)	66
उ0प्र0 मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1995 (पुरः स्थापित किया गया)	67
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तन सहित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	67-82
उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1995 (पारित)	82-84

विषय	पृष्ठ-संख्या

उ0प्र0 अप्राधिकृत लाटरी (निवारण) विधेयक, 1995..(पारित) .. 84-89
वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान 89-90
अनुदान संख्या 10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास)... (स्वीकृत) 90
अनुदान संख्या 11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)..(स्वीकृत)..
अनुदान संख्या 15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) (स्वीकृत) 90-91
अनुदान संख्या 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) (स्वीकृत) 91
अनुदान संख्या 12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) (स्वीकृत) 91-92
अनुदान संख्या 13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) (स्वीकृत) 92
अनुदान संख्या 16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्ध शाला विकास) (स्वीकृत) 92-93
अनुदान संख्या 54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)...(स्वीकृत) .. 93
अनुदान संख्या 55 लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) (स्वीकृत) 93
अनुदान संख्या 56 लोक निर्माण विभाग (आवास भवन)... (स्वीकृत) 94
अनुदान संख्या 57 लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) (स्वीकृत) 94
अनुदान संख्या 58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन).. (स्वीकृत) 95
अनुदान संख्या 59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) (स्वीकृत) 95
अनुदान संख्या 5 उद्योग विभाग (ग्राम्य एवं लघु उद्योग)...(स्वीकृत) 96
अनुदान संख्या 6 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)...(स्वीकृत) .. 96
अनुदान संख्या 60 वन विभाग....(स्वीकृत) 97
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें 97-98
लखनऊ महानगर में समुचित विद्युत व्यवस्था के सम्बन्ध में श्री राम कुमार शुक्ल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य 98-100

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद सिद्धार्थनगर में राप्ती बूढ़ी राप्ती, वान गंगा एवं कूड़ा नदियों से खतरे में पड़े सैकड़ों गांवों को बचाने के सम्बन्ध में श्री धनराज यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	100-103
प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में तेजी से बस रही कालोनियों में सड़कों, पेयजल तथा बिजली एवं जलोत्सारण की समुचित व्यवस्था किये जाने के संबंध में श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	103-106
प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की आपूर्ति में की जा रही कालाबाजारी तथा विवाह के अवसरों पर सस्ते गल्ले की दुकानों से चीनी उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रंगनाथ मिश्र द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ..	106-108
प्रदेश में राजस्थान की ओर से रेगिस्तान के बढ़ने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री बदन सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	108-110
प्रदेश में बढ़ते हुये एड्स रोग तथा उस पर प्रभावी नियंत्रण लगाये जाने के संबंध में श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा दी गई सूचना पर नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा	110-115

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बारहवीं विधान सभा

बृहस्पतिवार, 17 अगस्त, 1995

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :--

अखलाख, श्री	मेरठ	गजाधर सिंह, श्री	रायबरेली
अखिलेश, श्री	महराजगंज	गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
अजय कुमार पोइया, श्री	मथुरा	चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
अनिल कुमार, श्री	सीतापुर	जगदीश मुनि, श्री	हरिद्वार
अफजाल अन्सारी, श्री	गाजीपुर	जगराम सिंह, श्री	कानपुर नगर
अमर सिंह, श्री	अलीगढ़	जदुरानी, श्रीमती	हरदोई
अमर सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	जयराम कुशवाहा, श्री	गाजीपुर
अमित अग्रवाल,श्री	मेरठ	जयवीर सिंह भदौरिया, श्री	इटावा
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया	जवाहर यादव उर्फ पंडित, श्री	इलाहाबाद
अ0 रईश, श्री	सुल्तानपुर	जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ	
अरविन्द प्रताप सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद	पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर
अरिमर्दन सिंह, श्री	हमीरपुर	जुगेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद	जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
अशोक कुमार सिंह चौधरी, श्री	उन्नाव	ज्वाला प्रसाद यादव, श्री	जौनपुर
अशोक बाजपेयी, श्री	हरदोई	तिलक राज बेहड़, श्री	नैनीताल
इन्द्रपाल सिंह, श्री	इटावा	तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
इरशाद, श्री	आजमगढ़	दरोगा प्रसाद सरोज, श्री	आजमगढ़
इश्तियाक अहमद, श्री	बाराबंकी	दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
उदयभान सिंह, श्री	आगरा	दीनानाथ चौधरी, श्री	बलिया
उपदेश सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी	दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	धनीराम वर्मा, श्री	इटावा
उमा शंकर यादव, श्री	जौनपुर	धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	खीरी
उर्मिला देवी यादव, श्रीमती	मैनपुरी	नन्द लाल, श्री	सुल्तानपुर
ऊषा यादव, श्रीमती	एटा	नरेन्द्र सिंह, श्री	मेरठ
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर	नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर	निरवेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री	खीरी
ओम प्रकाश गुप्ता, श्री	सीतापुर	निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
करन सिंह, श्री	मुरादाबाद	परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	परशुराम यादव, श्री	फैजाबाद
काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़	पारसनाथ यादव, श्री	जौनपुर

फुत्तू सिंह यादव, श्री	शाहजहांपुर
पूर्णमासी देहाती, श्री	देवरिया
प्रणत पाल सिंह, श्री	मथुरा
प्रताप सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
प्रभा रावत, श्रीमती	गोरखपुर
फजलुर्रहमान अंसारी, श्री	बहराइच
बनवारी सिंह, श्री	बदायूं
बरकत अली खां, श्री	सुल्तानपुर
बरफिया लाल जुवांठा, श्री	उत्तरकाशी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बाबू खां, श्री	हरदोई
बाबूराम यादव, श्री	मैनपुरी
बाबूराम वर्मा, श्री	बस्ती
बेनी प्रसाद, श्री	बाराबंकी
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवती प्रसाद सागर, श्री	कानपुर देहात
मंजूर अहमद, श्री	बरेली
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन भइया, श्री	मेरठ
मनोरमा, श्रीमती	कानपुर देहात
मसूद अहमद, डा0	फैजाबाद
महबूब अली, श्री	मुरादाबाद
महराज सिंह यादव, श्री	इटावा
महिपाल सिंह यादव, श्री	बरेली
महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री	आगरा
मित्रसेन यादव, श्री	फैजाबाद
मीर अफजल अली उर्फ अच्छे मियां, श्री	बदायूं
मुक्ति नाथ, श्री	देवरिया
मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
मुनव्वर हसन, श्री	मुजफ्फरनगर
मुलायम सिंह यादव, श्री	फिरोजाबाद
मोलई, श्री	गोरखपुर

मोहम्मद अरशद खान, श्री	जौनपुर
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहसिन, डा0	गोरखपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
रघुवीर सिंह, श्री	एटा
रतन पाल पंवार, श्री	मुजफ्फरनगर
रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
रमेश कान्त लवानियां, श्री	आगरा
रमेश चन्द्र चंचल, श्री	फिरोजाबाद
रमेश बहादुर, श्री	प्रतापगढ़
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज बहादुर, श्री	गाजीपुर
राजवीर सिंह, श्री	अलीगढ़
राजेन्द्र प्रसाद, श्री	लखनऊ
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश यादव, श्री	बदायूं
राधेश्याम, श्री	बाराबंकी
रानी देवलता, श्रीमती	सहारनपुर
राम अचल राजभर, श्री	फैजाबाद
राम अधार यादव, श्री	महराजगंज
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम तेज, श्री	बहराइच
राम दर्शन यादव, श्री	आजमगढ़
राम दास पाल, श्री	कानपुर देहात
राम देव पटेल, श्री	फैजाबाद
राम धनी, श्री	गाजीपुर
राम नरेश यादव, श्री	रायबरेली
राम प्रसाद, श्री	बस्ती
राम मूर्ति सिंह, श्री	शाहजहांपुर
राम लखन यादव, श्री	प्रतापगढ़
राम वीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम सेवक सिंह, श्री	इलाहाबाद
राम स्वरूप शर्मा, स्वामी	मथुरा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रामेश्वर दयाल, श्री	मैनपुरी
रिजवान जहीर खां उर्फ	
रिज्जू भइया, श्री	गोण्डा
लाल बहादुर सिंह, श्री	प्रतापगढ़
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
विक्रम सिंह, श्री	बलिया
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विनय कुमार पाण्डेय उर्फ बिन्नू, श्री	गोण्डा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
विश्वनाथ, श्री	देवरिया
वीर अभिमन्यु सिंह, श्री	फतेहपुर
वीरेन्द्र मोहन सिंह, श्री	पीलीभीत
वीरेश्वर सिंह उर्फ	
वीरेश यादव, श्री	अलीगढ़
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शराफत यार खां, श्री	बरेली
शाकिर, श्री	देवरिया
शारदानन्द अंचल, श्री	बलिया
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव प्रताप यादव, डा0	गोण्डा
शिव सागर लाल, डा0	उन्नाव
शूरवीर सिंह सजवाण, श्री	टिहरी गढ़वाल
श्याम किशोर यादव, श्री	लखनऊ
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्रीराम यादव, श्री	जौनपुर
संग्राम सिंह यादव, श्री	बलिया
सतीश कुमार, श्री	बिजनौर
सतीश भाटिया, श्री	लखनऊ
सत्य प्रकाश, श्री	मुरादाबाद
सन्त बक्श रावत, श्री	लखनऊ
समर पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
समीर भाटी, श्री	गाजियाबाद
सर्वराज सिंह, कुंवर	बरेली
सावित्री देवी, श्रीमती	जौनपुर
सियाराम सागर, डा0	बरेली
सुखदेव, श्री	आजमगढ़
सुखदेवी, श्रीमती	इटावा
सुन्दर पाल सिंह, श्री	सीतापुर
सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री	बांदा
सुरेश पासी, श्री	प्रतापगढ़
स्वामी नाथ, श्री	देवरिया
हरक सिंह रावत, श्री	गढ़वाल
हरदेव सिंह, श्री	बाराबंकी
हरवंश कपूर, श्री	देहरादून
हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरीश कुमार गंगवार, श्री	बरेली
हाजी मोहम्मद हयात, श्री	मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार दिनांक 17 अगस्त, 1995

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री बी0आर0 वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

मथुरा यज्ञ से सम्बन्धित नियम 311 के अन्तर्गत सूचना को सुने जाने की मांग

श्री प्रमोद तिवारी-

महामहिम अध्यक्ष जी, आपसे यह कहना है.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण से अनुरोध है कि कृपया अपना आसन ग्रहण करें, प्रश्न प्रहर हो जाने दें ।

श्री प्रमोद तिवारी-

महामहिम अध्यक्ष जी, विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि मथुरा में.....

श्री अध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी, प्रश्न प्रहर हो जाने दें ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण कुछ सुनाई नहीं दिया ।)

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश की मर्यादा को बनाये रखा जाय । प्रदेश को जलने से बचाया जाय । प्रदेश को साम्प्रदायिकता की आग में झोंकने का काम किया गया है ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण से अनुरोध है कि प्रश्न प्रहर होने दें ।

मैंने नत्थी (क) अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या एक पुकार लिया है ।

(व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह-

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण विषय है, इसको पहले ले लें ।

श्री राम आसरे वर्मा-

अगर प्रदेश जल गया तो यह न तो सदन रहेगा और न यह सरकार रहेगी । सबसे दुखद बात यह है कि प्रदेश की मुख्य मंत्री माननीय मायावती जी परदे की आड़ में पता नहीं किस तरह का खेल खेल रही हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न प्रहर होने दें ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

(इसी मध्य अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-एक का उत्तर श्री भागवत पाल, माननीय राज्य मंत्री द्वारा पढ़ना जारी रहा।)

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, कब सुनेंगे 311 की नोटिस पर एक व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी, प्रश्न प्रहर में आपका व्यवस्था का सवाल है ?

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, आप इनको उत्तर पढ़ने से रोकिये और हमारी व्यवस्था के प्रश्न को सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाइये। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है। मैंने माननीय जगदम्बिका पाल जी को इस पर बुलाया है।

(व्यवधान)

प्रश्न प्रहर समाप्त होने के बाद व्यवस्था का प्रश्न उठाइयेगा।

श्री ऊदल-

मान्यवर, प्रश्न प्रहर के बाद इसको सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

हां, प्रश्न प्रहर के बाद मैं व्यवस्था का प्रश्न सुन लूंगा।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, हमारी आस्था है, पीठ में। इस पीठ का निर्णय शिरोधार्य है।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

कल भी महत्वपूर्ण प्रश्न लगे थे। कल प्रश्न प्रहर नहीं होने दिया।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, आपकी व्यवस्था यह लोग सुन नहीं पाये। आपने मथुरा प्रकरण को नियम 56 में कृपा पूर्वक स्वीकार कर लिया है। मान्यवर, इनके सारे संत नाराज हो गये हैं।

एक सदस्य-

मान्यवर, यह विषय से हट रहे हैं।

श्री जगदम्बिका पाल-

सारे संतों की रात भर मनौती करते रहे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय पाल जी, जो अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या है उस पर अनुपूरक सवाल पूछने के लिये मैने आपको अनुमति दी है।

मेरा आपसे निवेदन है कि आप केवल अनुपूरक प्रश्न पूछें ।

श्री जगदम्बिका पाल-

• मान्यवर, मुझे बड़ा ही दुख है जो इनके साथ सारी रात मथुरा में होता रहा है ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय पाल जी आप केवल अनुपूरक प्रश्न ही करें ।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, लगता है कि यज्ञ की गरमी इनके सर में चढ़ गई है ।

(व्यवधान)

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, इनके वरिष्ठ नेता जो चुनाव में हार गये हैं और जो छोटे नेता हैं वही चुनाव में जीतकर आये हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, इसीलिये इनके वरिष्ठ नेता श्री कल्याण सिंह जी आज नहीं आये हैं ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगणों से मेरा अनुरोध है कि कृपया शान्ति बनाये रखें । माननीय पाल जी यदि आपको अनुपूरक प्रश्न पूछना है तो पूछें ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उत्तराखण्ड क्षेत्र को राज्य बनाये जाने के सम्बन्ध में वर्तमान सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी

**1. श्री जगदम्बिका पाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान सरकार उत्तराखण्ड क्षेत्र को अलग राज्य बनाने का निर्णय लेगी ? यदि हां, तो इस दिशा में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

दुग्ध विकास राज्य मंत्री (श्री भागवत पाल)-

राज्य सरकार द्वारा पृथक उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना के लिये प्रस्तुत प्रस्ताव दिनांक 12-8-91 को विधान सभा के उपवेशन में पारित हुआ । दूसरी बार, राज्य सरकार द्वारा पृथक उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना के लिये संकल्प प्रस्तुत किया गया जो विधान सभा के दिनांक 24-8-94 के उपवेशन में तथा विधान परिषद् की दिनांक 25-8-94 की बैठक में स्वीकृत हुआ ।

उपरोक्त दोनों प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिये गये थे । राज्य सरकार पृथक उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना के लिये प्रतिबद्ध है ।

(श्री मातवर सिंह कण्डारी का नाम बुलाने पर)

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, आप अधिकारों का संरक्षण दें, जो प्रश्न मैंने पूछा है, पहले उसका जबाब दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री मातवर सिंह कण्डारी जी को बुला लिया है, इसी के साथ आपका जबाव भी दे देंगे ।

श्री मातवर सिंह कण्डारी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तरांचल में अलग राज्य के लिये आग जल रही है । एक व्यक्ति ने 13 जून से आमरण अनशन शुरू कर दिया है तो वर्तमान सरकार क्या विधान सभा में अलग राज्य बनाने के लिये प्रस्ताव लायेगी या नहीं ? दूसरा प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि केन्द्र सरकार के पास प्रस्ताव भेज दिया गया, क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया या अस्वीकार, अगर प्रस्ताव अस्वीकार किया गया तो क्या सरकार पुनः प्रस्ताव लायेगी कि अलग राज्य बनना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, जो केन्द्र सरकार से सम्बन्धित प्रश्न है उसका अगर उत्तर आपके पास हो तो उसका जबाव दे दें ।

श्री भागवत पाल-

मान्यवर, यह पूरी तरह से केन्द्र से सम्बन्धित मामला है प्रस्ताव एक बार नहीं दो बार भेज दिये गये हैं । और दोनों प्रस्ताव लम्बित हैं । इस पर राज्य सरकार को कुछ करने को नहीं रह जाता । हमने मूल प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट कर दिया है कि हमारी प्रतिबद्धता अलग राज्य बनाने के लिये है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी उत्तर दिया कि पिछले दो प्रस्तावों से वर्तमान सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है अर्थात सरकार भी उन प्रस्तावों से सहमत है । यह मामला केन्द्रीय सरकार के पास है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अपनी प्रतिबद्धता को साकार करने के लिये, उसको मूर्त रूप देने के लिये क्या वर्तमान सरकार भारत सरकार को कोई अनुस्मारक देगी अथवा माननीय मुख्य मंत्री जी मा0 प्रधान मंत्री जी से वार्ता करेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने जो प्रस्ताव पारित किये हैं, उसे पूरा करें । दूसरे सदन की चर्चा यहां पर नहीं करनी चाहिये लेकिन जो हमारी जानकारी है, उस पर मा0 प्रधान मंत्री जी ने नकारात्मक रुख अपनाया है, वह उत्तरांचल को अलग राज्य बनाने के लिये सहमत नहीं हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुये,

अपनी प्रतिबद्धता को साकार करने के लिये, मा0 प्रधान मंत्री जी को बल प्रदान किया जाये कि हमारे जो प्रस्ताव पारित हैं, उस पर निर्णय लें अर्थात् उत्तर प्रदेश विधान सभा की भावना को स्वीकार करते हुये उत्तरांचल राज्य बनाने का प्रयास करें।

श्री भागवत पाल-

मान्यवर, अभी माननीय गुप्त जी ने बताया है कि केन्द्रीय सरकार का रुख नकारात्मक है लेकिन हमारी सरकार के संज्ञान में ऐसी कोई सूचना नहीं है और न ही केन्द्रीय सरकार का इस संबंध में कोई लिखित पत्र ही प्राप्त हुआ है। हमारी सरकार अपनी प्रतिबद्धता पर अड़ी रहेगी।

श्री राम प्रसाद टम्टा-

मान्यवर, उत्तरांचल राज्य के प्रस्ताव के साथ कौशिक समिति की यह भी रिपोर्ट थी कि 6 जिले भी घोषित किये जायेंगे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उत्तराखण्ड में जिले घोषित किये जायेंगे या नहीं सरकार यह बता दे कि बागेश्वर को जिला घोषित किया जायेगा या नहीं ?

श्री ऊदल-

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि दो प्रस्ताव भेजे गये हैं पहला वर्ष 1991 में दूसरा 1994 में। तो काफी समय बीत गया है और अभी तक कोई कार्यवाही नहीं है। क्या वर्तमान सरकार, भारत सरकार की याददाश्त के लिये अपनी तरफ से कोई पत्र लिखने की कृपा करेगी ?

श्री भागवत पाल-

मान्यवर, दो प्रश्न सामने आये हैं। पहला, जिले बनाने के बारे में और दूसरा केन्द्र सरकार को पत्र लिखने के बारे में है। जहां तक जिले बनाने का सवाल है, इस संबंध में कहना चाहता हूं कि रमाशंकर कौशिक समिति बनाई गई थी, उसमें उत्तराखण्ड की जनसंख्या, भू-भाग और प्रासंगिता को विस्तारपूर्वक देखते हुये एक आख्या आयी हुई है, जिसमें कुमायूं तथा गढ़वाल मण्डल में दो मण्डलों के स्थान पर तीन मण्डल बनाये जाने के लिये कहा गया है और 8 जिलों को मिलाकर उत्तराखण्ड बनाया गया है, उसमें 15 जनपदों को बनाये जाने का प्रस्ताव है। जहां तक पत्र लिखे जाने का सवाल है, इस संबंध में, मैं कहना चाहता हूं कि अभी हम भारत सरकार का इन्तजार कर रहे हैं। जैसा कि अभी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कहा कि भारत सरकार का नकारात्मक रुख है, यदि कोई ऐसी सूचना भारत सरकार द्वारा हमारे पास आती है तो हम पत्र ही नहीं लिखेंगे अपितु अपनी प्रतिबद्धता को बनाये रखने के लिये हमें जो भी करना होगा, वह हम करेंगे।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, इस विधान सभा से दो प्रस्ताव पास होकर गये और इस सरकार ने भी अपनी प्रतिबद्धता जताई है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी स्वीकार किया है कि

कौशिक समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है । क्या यह सत्य नहीं है कि प्रदेश सरकार द्वारा इस बात पर निर्णय न लिये जाने के कारण, कि कितने जिले बनेंगे, कितने ब्लाक बनेंगे, कहां पर उसकी राजधानी होगी और कितनी कमीश्नरियां बनेंगी, केन्द्र सरकार इस पर निर्णय नहीं ले पा रही है । कौशिक समिति की रिपोर्ट पर सरकार क्या निर्णय ले रही है ? यह सरकार कब तक उत्तराखण्ड राज्य बनाने के लिये, केन्द्र सरकार को जिले सहित, कमीश्नरी सहित, राजधानी सहित और ब्लाक सहित, अपनी रिपोर्ट भेज देगी ?

श्री भागवत पाल-

मान्यवर, माननीय सदस्य तो ऐसी बात कह रहे हैं जैसे मुख्यालय पहले बन जाता हो और बाद में जिला । जिले की घोषणा होने के बाद ही उसका मुख्यालय तथा भवन बनते हैं । पहले केन्द्र सरकार प्रदेश बनाने की घोषणा तो करे । जैसे ही प्रदेश की घोषणा हो जायेगी, जिलों आदि को बनाने में सरकार रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करेगी ।

श्री किरन पाल सिंह-

यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । इस प्रश्न की सार्थकता और निरंतरता अभी खत्म नहीं हुई है । अभी भी वहां आंदोलन हो रहे हैं तथा बड़े आन्दोलन की तैयारी चल रही है । विधान सभा से दो बार प्रस्ताव पास कर दिये गये हैं । क्या सरकार के पास उन प्रस्तावों के बारे में जुबानी या टेलीफोन से और फिर लिखित रूप से कोई सूचना आई है या उनका दृष्टिकोण क्या है ? क्या इसकी सूचना आई है ? यदि नहीं आई है तो प्रदेश सरकार बिना उनके पत्र के इन्तजार किये ही, क्योंकि सरकार उत्तराखण्ड राज्य बनाने के लिये कटिबद्ध भी है, और केन्द्र सरकार की उदासीनता को ध्यान में रखते हुये, अपनी तरफ से पहल करेगी ताकि वहां पर फिर से कोई बड़ा आन्दोलन न छिड़ने पाये ?

श्री भागवत पाल-

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि उत्तराखण्ड राज्य की घोषणा केन्द्र सरकार ने नहीं की, हमारी सरकार ने उत्तराखण्ड के लिये एक अतिरिक्त मुख्य सचिव की नियुक्ति कर दी है तथा दो सचिवों को उत्तराखण्ड के विकास के लिये लगा दिया है उन्हें सारे वित्तीय अधिकार दे दिये गये हैं प्रदेश में जो भी वित्तीय अधिकार दिये जाते हैं वह वित्त विभाग की अनुमति से होते हैं लेकिन उन सचिवों को वहां के विकास के लिये स्वयं निर्णय लेने का अधिकार दे दिया गया है ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह नीतिगत प्रश्न है दो समस्यायें सामने आई हैं एक बार पहले की सरकार ने उत्तरांचल बनाने का और दूसरी बार उत्तराखण्ड बनने

का दो लाइन का प्रस्ताव भेज दिया था । इस संदर्भ में स्वयं मैंने केन्द्रीय गृह मंत्री जी और मा0 प्रधान मंत्री से स्वयं बात की तो जो आवश्यकता एक प्रदेश के लिये होती है, एक इनफ्रास्ट्रक्चर होता है कोई प्रदेश बनाने के लिये वह आज तक नहीं भेजा गया है । किसी नये प्रदेश के गठन के लिये जो औपचारिकतायें और आवश्यकतायें होती हैं वह भी नहीं भेजी गयी हैं । इसके अलावा जनपद के गठन में भी यह सरकार निर्णय नहीं ले रही है प्रदेश बनाना तो दूर रहा जबकि मैदानी क्षेत्रों में तमाम जनपद बनाये जा रहे हैं तो प्रदेश सरकार अपनी बात पर बल देते हुये इस सदन में संकल्प रखेगी और उसे पास कर केन्द्र को भेजा जाय उसमें कौशिक समिति के जो सुझाव हैं उनको इस सदन के पटल पर रखेगी और उसके अनुसार जनपद बनाने का निर्णय लेगी ? इसके साथ ही उत्तराखण्ड राज्य का प्रस्ताव भेजेगी यही सरकार के कुछ मंत्री इससे पूर्व की सरकार में शामिल थे और उत्तराखण्ड के लोगों पर जिन अधिकारियों ने गोली चलवाई उनको इस सरकार ने प्रोन्नति दे दी । वहां के लोग अपनी मांगों के समर्थन में दिल्ली जा रहे थे।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर तो आने दीजिये ।

श्री प्रमोद तिवारी-

जनपद बनाने में इनको क्या कठिनाई है ? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उनके राष्ट्रीय महासचिव ने अलग प्रदेश के गठन का विरोध किया तो मैं जानना चाहता हूं कि यह पुनः संकल्प लाकर अलग प्रदेश गठन के संबंध में जो शंकायें हैं उनका निवारण करेगी ।

श्री भागवत पाल-

माननीय सदस्य ने उत्तराखण्ड के लिये इन्सफ्रास्ट्रक्चर बना कर भेजने की बात कही केन्द्र सरकार अलग इन्फास्ट्रक्चर की वजह से घोषणा नहीं कर रही है उसकी लिखित रूप से मांग करेगी । तो पूरी भूमिका के साथ उपलब्ध करा देंगे ।

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

काफी अनुपूरक प्रश्न हो चुके हैं इसके महत्व को देखते हुये मैंने 25 मिनट का समय दे दिया है । (व्यवधान) एक अन्तिम प्रश्न माननीय डंग साहब कर लें।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, मूल प्रश्न का उत्तर ठीक से नहीं आया इसमें स्पष्ट रूप से

पूछा गया है कि क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि वर्तमान सरकार उत्तराखण्ड क्षेत्र को अलग राज्य बनाने का निर्णय लेगी ? पूर्व सरकारों ने क्या किया यह इसका जबाव नहीं है यह सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही करेगी इस प्रश्न का भी उत्तर नहीं आया ? तो मैं स्पष्ट रूप से दो बातें पूछना चाहता हूं मात्र प्रतिबद्धता कहने से काम नहीं चलेगा क्या अलग राज्य बनाने का निर्णय लेगी हां या न में कहें और दूसरा क्या कार्यवाही करेगी वह भी उत्तर नहीं आया ?

श्री दीनानाथ भाष्कर-

मान्यवर, इसमें मिर्जापुर को भी शामिल कर लें ।

श्री भागवत पाल-

माननीय डंग साहब ने लगता है सवाल समझा नहीं या फिर देर से आये ।

श्री भागवत पाल-

मान्यवर, श्री डंग साहब हमारी पूरी बात सुन लेते तो यह सवाल न करते । जब सरकार का जवाब आ गया है कि हम उत्तराखण्ड राज्य बनाने के लिये प्रतिबद्ध हैं और सरकार ने दो बार यहां घोषणा किया है और निर्णय ले लिया है वर्ष 1991 में और 1994 में तो अलग से निर्णय लेने की जरूरत नहीं है । हम उससे प्रतिबद्ध हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, यह सरकार उत्तराखण्ड बनाना चाहती है लेकिन उसके बावजूद यह सरकार तीन महीने में भारत सरकार को अनुस्मारक पत्र भेजने के लिये तैयार नहीं है । इसलिये यह कंटराडिक्टरी बात है । इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस संबंध में प्रस्ताव लायेगी और भारत सरकार को अनुस्मारक पत्र भेजेगी ? क्या यह सरकार कौशिक रिपोर्ट को लागू करने के लिये प्रयास करेगी ? मुख्य मंत्री हमेशा मा0 प्रधान मंत्री से मिलने जाती हैं तो उत्तराखण्ड जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर क्या उनसे मिलकर कोई निर्णय लेने का प्रयास करेंगी ?

श्री भागवत पाल-

मान्यवर, यह पूरी तरह से केन्द्र का विषय है और इस संबंध में प्रदेश सरकार केवल संस्तुति कर सकती है लेकिन अलग राज्य नहीं बना सकती है क्योंकि यह केन्द्र सरकार का विषय है । हमने भारत सरकार को इस संबंध में दो बार प्रस्ताव भेजा है । इसलिये हम उनसे परामर्श कर सकते हैं लेकिन राज्य नहीं बना सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न संख्या-2

(श्री हरेन्द्र सिंह मलिक के खड़े न होने पर)

(व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह-

(व्यवधान के मध्य) मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य बनाने में सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण हम और हमारा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(श्री किरनपाल सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं जैसा अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में उत्तराखण्ड क्षेत्र को अलग राज्य बनाने के लिये एक प्रस्ताव दिनांक 12-8-91 को और दूसरा प्रस्ताव दिनांक 24-8-94 को पारित हुआ लेकिन मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो मौजूदा सरकार है उसकी उत्तराखण्ड राज्य अलग बनाने के संबंध में क्या नीति है और दूसरा यह क्या यह सरकार इस सत्र में उत्तर प्रदेश में उत्तराखण्ड को अलग राज्य बनाने हेतु स्वयं एक संकल्प लेकर आयेगी ?

श्री भागवत पाल-

मान्यवर, जैसा कि मूल प्रश्न के उत्तर में ही बताया गया है कि केन्द्र सरकार को दो प्रस्ताव भेजे गये थे एक तो दिनांक 12-8-91 को और दूसरा दिनांक 24-8-94 को और इस समय यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित है। राज्य सरकार पृथक उत्तरांचल राज्य बनाने के लिये कटिबद्ध है और जब वह प्रतिबद्धता घोषित कर रही है तो इसमें निर्णय केन्द्र सरकार को लेना है।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 91 और 94 में दो प्रस्ताव भेजे गये थे केन्द्र सरकार को। पिछली सरकारों द्वारा पिछली विधान सभाओं में पारित प्रस्तावों के प्रति वर्तमान सरकार का क्या दृष्टिकोण है और क्या यह सरकार उन प्रस्तावों में दबाव डालकर अलग उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना करने का प्रयास करेगी ?

श्री भागवत पाल-

मान्यवर, यह दबाव का विषय नहीं है यह प्रतिबद्धता का विषय है। दो प्रस्ताव भेजे गये हैं केन्द्र सरकार को और यह मामला अभी वहां पर विचाराधीन है। हमारी प्रतिबद्धता है और हम प्रतिबद्ध हैं।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, दो प्रस्ताव भेजे गये। यह दबाव नहीं डाल सकते हैं तो न डालें लेकिन इस सरकार का दृष्टिकोण उन प्रस्तावों के बारे में क्या है यह बता दें?

(व्यवधान के मध्य)

श्री ऊदल-

उत्तराखण्ड राज्य न बनाने के कारण हम भी सदन का त्याग करते हैं।

(माननीय सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री प्रमोद तिवारी-

उत्तराखण्ड राज्य बनाने में सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण हम और हमारा दल सदन का बहिष्कार करता है ।

(कांग्रेस पार्टी के कई माननीय सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

मुजफ्फरनगर काण्ड से सम्बन्धित श्री वीरेन्द्र सिंह, महासचिव, कांग्रेस द्वारा दिये गये पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

**2श्री हरेन्द्र सिंह मलिक (अनुपस्थित)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री वीरेन्द्र सिंह, महासचिव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक पत्र माह जून, 1995 जो मुजफ्फरनगर में पुलिस द्वारा किये गये कुकृत्यों से संबंधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती (मुख्य मंत्री)-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

नगरीय क्षेत्रों में असहाय वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में कार्य योजना की जानकारी

*1-श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा माह अक्टूबर, 1994 में यह निर्णय लिया गया है कि नगरीय क्षेत्र में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत अब आगे और लाभार्थियों का चयन न किया जाय और जैसे-जैसे वर्तमान लाभार्थी मृत्यु हो जाने के कारण अथवा अन्य किसी कारण से पेंशन पाने के योग्य न रहे वैसे-वैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना में कमी करते हुये यथासमय इसे पूर्णतया समाप्त कर दिया जाय ? यदि हां, तो नगरीय क्षेत्र में असहाय वृद्धों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु अब आगे क्या योजना है ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री श्रीराम पाल)-

जी हां ।

नगरीय क्षेत्र में असहाय वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो समाज कल्याण मंत्री जी को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि पुरानी सरकार द्वारा किये गये गलत कार्यों को ठीक करने का प्रयास किया और शहरी क्षेत्र के असहाय वृद्धों की पीड़ा को उन्होंने समझा। मान्यवर, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि नगरीय क्षेत्र में असहाय वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है जैसे कि मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने इसे बन्द कर दिया था। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि जो कार्यवाही की जा रही है जिसमें पुराने शासनादेश को संशोधित करना है और समान पात्रता को ध्यान में रखते हुये ग्रामीण और शहरी सभी असहाय लोगों को वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी इसलिये इस आदेश को संशोधित करने की कार्यवाही कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री श्रीराम पाल-

मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इस संबंध में कार्यवाही अतिशीघ्र होने जा रही है और एक सप्ताह में यह कार्यवाही हो जायेगी।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विधवा, विकलांग, एवं वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने की कार्य योजना की जानकारी

*2- श्री घनश्याम शुक्ल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नई सरकार द्वारा विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने की क्या योजना है ? क्या अब तक लम्बित प्रार्थना पत्रों पर सरकार पेंशन देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्रीराम पाल-

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विधवा भरण पोषण अनुदान के अन्तर्गत 3548 लाख [गत वर्ष के सापेक्ष 62.51 लाख रुपया अधिक] विकलांग भरण-पोषण अनुदान के अन्तर्गत 1085 लाख [गत वर्ष के सापेक्ष 55 लाख रुपया अधिक] वृद्धावस्था/किसान पेंशन के अन्तर्गत 12279 लाख [गत वर्ष के सापेक्ष 3300 लाख रुपया अधिक] व्यय पर क्रमशः 281495 विधवाओं, शत प्रतिशत विकलांग तथा 804283 वृद्धों/किसानों को लाभान्वित करने की योजना है।

संशाधन की उपलब्धता के सापेक्ष निर्धारित लक्ष्य की सीमा तक लम्बित आवेदन-पत्रों को स्वीकृत करने की व्यवस्था है।

लम्बित आवेदन-पत्रों पर स्वीकृति की कार्यवाही नवीन निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप धनराशि अवमुक्त होने अथवा लाभ प्राप्त कर रहे लाभार्थियों की मृत्यु/अपात्रता के कारण होने वाली रिक्तियों के सापेक्ष पात्रतानुसार की जाती है। इस प्रयोजन हेतु एक निश्चित तिथि निर्धारित करना समीचीन नहीं है।

श्री घनश्याम शुक्ल-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि शत प्रतिशत विकलांग लोगों को पेंशन दी जा रही है। पर मैं अपने गोण्डा जनपद के बारे में बताना चाहता हूं कि वहां तमाम प्रार्थना-पत्र अभी लम्बित पड़े हुये हैं, जिसमें उन्हें पेंशन नहीं दी जा रही है, तो क्या मंत्री जी उस प्रकरण की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ? और चूंकि छोटे और विकलांग बच्चों को पेंशन देने की कोई व्यवस्था सुनिश्चित नहीं है, तो क्या उनको भी सरकार पेंशन देने की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी ?

श्री श्रीराम पाल-

प्रश्न का पहला जो अंश है, आपका कहना है कि इस विषय में सरकार की स्पष्ट नीति है कि विकलांगों को शत प्रतिशत पेंशन देने की, पर विकलांगता का एक मानक है, उसकी एक श्रेणी है, जो उसमें आते हैं, उनको यह पेंशन दी जाती है और शत प्रतिशत पात्रता श्रेणी में जो आते हैं उन सभी को पूरे के पूरे लोगों को पेंशन देने की जो बात है, तो यह हमारे वित्तीय संशाधनों के ऊपर निर्भर करता है। हमारे पास जैसे-जैसे साधन उपलब्ध होते जाते हैं, हम चयनित लोगों को पेंशन देते जाते हैं।

श्री घनश्याम शुक्ल-

विकलांगों में क्या श्रेणी आपने बना रखी है ? जो छोटे लोग हैं, वे क्या विकलांग की श्रेणी में नहीं आते हैं ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य की जिज्ञाशा है कि क्या किसी आयु सीमा से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनको क्या पेंशन सुविधा से वंचित रखा जाता है ।

श्री श्रीराम पाल-

जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, उनके अभिभावक उनका भरण पोषण करते हैं, किन्तु 18 वर्ष से अधिक के जो विकलांग हैं, उनको हम पेंशन देते हैं।

श्री राम आसरे वर्मा-

वैसे तो मंत्री जी जिस सरकार में हैं, मैं समझता हूं कि वह सरकार ही विकलांग है । मैं यह जानना चाहता हूं कि विधवा, विकलांग या वृद्धा, इन अवस्थाओं के लोगों को पेंशन आप देते हैं, और पेंशन देने के लिये उनको सुविधायें भी प्रदान करते हैं। किन्तु जो जगह-जगह उन्हें प्रमाण पत्र पाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनको इसमें सुविधा देने की दृष्टि से जाति, आय या आयु का प्रमाण पत्र विधायकों और सांसदों को दिये जाने के सिलसिले में आप विचार करेंगे । इसका अधिकार विधायकों, सांसदों को देने पर विचार करेंगे ताकि उनको सुविधा मिल सके ?

श्री श्रीराम पाल-

मान्यवर, इस संबंध में जो आय के प्रमाण पत्र की बात माननीय वर्मा जी ने बताई है तो उसमें जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र भी सम्मिलित होते हैं और उनके प्रमाण पत्र के आधार पर भी पेंशन स्वीकार की जाती है।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विकलांगों के पात्रता की बात आ रही थी। कोई व्यक्ति जिसकी रीढ़ की हड्डी खराब है, उठ नहीं सकता है। जी0ओ0 है कि एक अंग वाले को ही दिया जायेगा। जिनका एक हाथ या एक पैर बुरी तरह से कट जाता है और वह किसी लायक नहीं रह जाता है तो उनकी श्रेणी में इन्हें भी करेंगे। दूसरा सवाल यह है कि अभी माननीय वर्मा जी ने कहा कि विकलांग पेंशन के लिये जो प्रमाण-पत्र की आवश्कता होती है। सी0एम0ओ0 का प्रमाण-पत्र जरूरी होता है। सी0एम0ओ0 बहुत दूर बैठते हैं और उन तक पहुंच कर प्रमाण पत्र प्राप्त करना कठिन होता है तो क्या जैसी पूर्व में व्यवस्था रही है कि चिकित्सा अधिकारी तहसील में होते हैं गजेटेड उनके प्रमाण पत्र को वैध भी माना जाय।

श्री श्रीराम पाल-

भैरों प्रसाद जी के प्रश्न के दो अंग हैं। पहला तो आपका प्रश्न है कि जो विकलांग भाई बहिन हैं उनकी विकलांगता के बारे में, कि जिनका एक हाथ या एक पैर कटा होता है उन्हें पेंशन नहीं दी जाती है। मान्यवर, इसमें स्पष्ट नीति है कि चाहे हाथ या पैर कटा हो, ऐसा विकलांग व्यक्ति जो हाथ पैर से विकलांग है और अपनी रोजी-रोटी कमाने में, अपनी गुजर-बसर करने में असमर्थ है, उनको पेंशन देने के लिये व्यवस्था है। दूसरा जो सी0एम0ओ0 के सर्टिफिकेट की बात कही है। उसमें ऐसे निर्देश हैं कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं वहां के चिकित्साधिकारी का प्रमाण-पत्र माना जायेगा। इस तरह से चिकित्सा अधिकारी प्रमाण-पत्र जारी करते हैं और कर रहे हैं।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

(प्रश्न संख्या-3 पुकारे जाने पर माननीय सदस्य के खड़े न होने पर)

(तारांकित प्रश्न संख्या-। पुकारे जाने पर)

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, आपने मेरा नाम पुकारा। मैं यहां पर उपस्थित हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैं आगे देखता हूं ।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम शुक्ल-

मान्यवर, उत्तर स्पष्ट नहीं आ रहा है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

पाल जी दो बार आपका नाम पुकारा, आप उस समय नहीं थे ।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, अभी दूसरा प्रश्न शुरू नहीं हुआ है दूसरा प्रश्न शुरू हो जाता तो ठीक था ।

श्री अध्यक्ष-

श्याम देव राय चौधरी जी का नाम दो बार पुकारा तब वह खड़े हुये अब मैंने उत्तर देने के लिये मुख्य मंत्री जी को पुकार लिया है । यदि समय बचता है तो मैं आपका प्रश्न उत्तरित करा दूंगा ।

प्रदेश में वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन के पुनर्वितरण की मांग

*3-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जनपदों में स्वीकृत वृद्धावस्था अथवा विधवा पेंशन विगत 6 माह से वितरित नहीं हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार स्वीकृत पेंशन धारकों को पेंशन उपलब्ध कराने हेतु जनपदों को वित्तीय स्वीकृति देगी ? यदि हां, तो किस तिथि से पेंशन का पुनः वितरण प्रारम्भ हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम पाल-

जी हां, संसाधन की कमी से लक्ष्य के अनुरूप धनराशि की व्यवस्था समय से न हो पाने के कारण कतिपय जनपदों में प्रश्नगत योजनाओं में नियमित रूप से पेंशन का भुगतान नहीं हो सका है ।

वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना में पेंशन वितरण हेतु 30.43 करोड़ रुपया जनपदों को उपलब्ध कराया जा चुका है ।

विधवा भरण-पोषण अनुदान में आवश्यक धनराशि की व्यवस्था राज्य स्तर पर कर ली गई है, जिसे जनपदों को उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्रक्रियान्तर्गत है।

वृद्धावस्था/किसान पेंशन में अवशेष अवधि की देयता का वितरण प्रारम्भ हो चुका है । विधवा भरण पोषण अनुदान में धनराशि जनपदों को उपलब्ध होते ही वितरण प्रारम्भ हो जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

दस करोड़ रुपये से अधिक घाटे वाले सार्वजनिक उपक्रमों को निजी क्षेत्र में दिये जाने के सम्बन्ध में योजना की जानकारी

*1-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दस करोड़ रुपये से अधिक घाटे वाले सार्वजनिक उपक्रमों को निजी क्षेत्र में दिये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

जून, 1994 में सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि सामाजिक उपादेयता और जनकल्याण का कार्य करने वाले उपक्रमों को छोड़कर निजीकरण हेतु उन सभी उद्योगों की समीक्षा की जाय जिनका वार्षिक घाटा 10 करोड़ रुपये से अधिक है तथा जिनका निर्बल मूल्य आधा या आधे से ज्यादा समाप्त हो चुका है।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने अपने उत्तर में कहा है-कि निश्चित रूप से ऐसे सारे उद्यमों की समीक्षा कर ली गई होगी, तो ऐसी स्थिति में जानना चाहूंगा कि जो माननीय मंत्री जी ने कहा है उसके अनुसार कौन से उद्यम हैं जिनको बेचने पर सरकार ने निर्णय लिया है या उनके निजीकरण के लिये निर्णय लिया गया है ? वह सारे उद्यम जो धीरे-धीरे ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं जिनके लिये क्या वर्तमान सरकार कोई इस तरह का प्रयास करने में विश्वास रखती है कि उन उद्यमों को पुनः अच्छी स्थिति में लाया जाय?

श्रम राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव)-

इतना शोर हो रहा था मैं सुन नहीं पाया माननीय सदस्य अपना प्रश्न दोहरा दें।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, जैसा कि उत्तर में बताया गया है जिन उद्यमों का वार्षिक घाटा 10 करोड़ से अधिक है तथा जिनका निर्बल मूल्य आधा या आधे से ज्यादा समाप्त हो चुका है उसके निजीकरण पर निर्णय लिया गया है ? वह कौन से उद्यम हैं जिनको बेचने पर सरकार द्वारा निर्णय लिया जा चुका है। दूसरा प्रश्न मैंने किया था कि ऐसे सारे उद्यमों की स्थिति एक दिन में तो बिगड़ी नहीं होगी तो क्या ऐसे सारे उद्यमों को पुनर्जीवित करने का सरकार का कोई विचार है?

श्री श्याम लाल यादव-

मान्यवर, माननीय चौधरी साहब का सवाल है कि जिनका वार्षिक घाटा दस करोड़ रुपये से अधिक है तथा जिनका निबल मूल्य आधा या आधे से ज्यादा समाप्त हो चुका है वह कौन से उद्यम हैं। तो जिनका वार्षिक घाटा चल रहा है वह निगम हैं, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन निगम, उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, उ0प्र0 लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश चर्म विकास एवं विपणन निगम, उत्तर प्रदेश चीनी निगम आदि सारे निगम हैं।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, पिछली सरकार के निर्णयों के बारे में जानकारी दी। क्या इस नई सरकार ने जिन निगमों में जनता की गाढ़ी कमाई लगी हुई है, उनको पिछली सरकार सही और व्यवस्थित रूप देने में असफल रही, तो क्या नई सरकार सही और व्यवस्थित रूप देने पर विचार करेगी या पुरानी सरकार के निर्णय के ऊपर ही मुहर लगाना उचित समझा है?

श्री अध्यक्ष-

जवाब तो इस सरकार का है।

श्री श्याम लाल यादव-

[illegible] चीनी मिलों के संबंध में तो निजीकरण के लिये निर्णय लिया जा चुका है लेकिन दूसरे जो निगम हैं, उनकी कोई निश्चित प्रक्रिया ऐसी नहीं है कुछ बी0आई0 [illegible] के विचाराधीन [illegible]।

श्री राम आसरे वर्मा-

सरकारें तो बदलती रहती हैं इसको आधार बनाकर जब जनता की गाढ़ी कमाई की हिफाजत नहीं कर पाती है और सरकारें बदल जाती हैं। घाटे के निगम घाटे में न जायें इसके लिये किन्ही प्रयासों पर विचार सरकार ने किया है या नहीं?

श्री श्याम लाल यादव-

यही मैंने बतलाया है कि बी0आई0एफ0आर0 के विचाराधीन है। अभी उनकी रिपोर्ट नहीं आई हैं जब आयेगी तब उस पर सरकार विचार करेगी।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है कि चीनी मिलों के बेचने का निर्णय लिया जा चुका है। उस सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि उन चीनी मिलों को बेचने में कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है? या उनके मूल्यांकन के लिये कौन सा आधार बनाया गया है? उनको किन कीमतों पर बेंचा जा रहा है?

श्री श्याम लाल यादव-

यह दो ऐसी फर्में हैं जिनसे निजीकरण के क्षेत्र में बेंची जाने वाली मिलों का मूल्यांकन कराया गया है। कुछ मिलों का दोनों फर्मों ने मूल्यांकन किया है। कुछ का एक फर्म ने मूल्यांकन किया है। इस आधार पर टेन्डर आमंत्रित किये गये थे उसकी 31 तारीख अन्तिम तिथि थी। 8 तारीख को वह टेन्डर ले लिये गये हैं अब वह खुलने वाले हैं। उसके बाद ही निर्णय होगा।

जनपद महराजगंज के ग्राम सभा बढ़ेया के अन्तर्गत सीलिंग भूमि को पात्र व्यक्तियों को आवंटित करने की मांग

*2-श्री शारदा प्रसाद जायसवाल-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि विकास खण्ड निचलौल, जनपद महराजगंज के ग्राम सभा बढ़ेया में सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत घोषित 79 एकड़ अतिरिक्त भूमि में 50 एकड़ भूमि दुर्गा पयोनिधि एवं दुर्गा एग्रीकल्चर फार्म के नाम कर दी गई है ? क्या प्रश्नकर्ता की सूचना के अनुसार भूमि का आवंटन पात्र व्यक्तियों में से दलित, भूमिहीन जनजातियों को पात्रता के आधार पर न करके जिला प्रशासन द्वारा राजस्व अभिलेखों में हेरा फेरी के आधार पर उक्त व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के नाम भूमि कर दी गई है ? क्या अवशेष 29 एकड़ भूमि को पात्र भूमिहीनों, खेतिहर मजदूरों को आवंटित न करके पुनः उक्त व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के नाम करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार भ्रष्टाचार हेतु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार)-

जी नहीं। ग्राम सभा बढ़ेया के अन्तर्गत सीलिंग से प्रभावित खातेदार की कुल 330.91 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की गई थी तथा खातेदार के पक्ष में 54.12 एकड़ भूमि अवमुक्त कर दी गई थी।

चकबन्दी अधिकारी के आदेशानुसार खातेदार के पक्ष में अवमुक्त की गई भूमि में से 42.62 एकड़ भूमि पर अनुप पुत्र गौतम, ओम प्रकाश पुत्र श्याम सुन्दर, अशोक पुत्र हरी प्रसाद व नूपुर भलोटिया पुत्री ओम प्रकाश का नाम सहखातेदार के रूप में अंकित किये गये जो प्रश्नगत फार्म के स्वामी श्री परमानन्द पोद्दार के परिवार से सम्बद्ध हैं।

चकबन्दी अधिकारी के आदेश को अपील में निरस्त कर पत्रावली पुनः उचित निर्णय हेतु प्रत्यावर्तित कर दी गई है।

प्रश्नगत ग्राम सभा में अतिरक्त घोषित 330.91 एकड़ भूमि में से उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 48(3) के अन्तर्गत प्रस्तुत संदर्भ में 175.36

एकड़ भूमि प्राप्त हो चुकी है जिसमें से 163.41 एकड़ भूमि का आवंटन 223 पात्र परिवारों को कर दिया गया है तथा शेष 11.95 एकड़ अकृषिक भूमि का निहितन ग्राम सभा में करने के लिये प्रस्तावित है।

चकबन्दी अधिकारी के आदेश की अमलदरामद अनियमित रूप से करने के लिये दोषी तत्कालीन लेखपाल श्री छोटेलाल को निलम्बित कर दिया गया है तथा सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो एवं नायब तहसीलदार को आरोपित किया गया है।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल-

इसमें कितनी जालसाजी की गई है। 330.91 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की गई उसमें से 54.12 एकड़ भूमि खातेदारों के पक्ष में अवमुक्त कर दी गई। चकबन्दी अधिकारी ने किस दस्तावेज के आधार पर 42.62 एकड़ भूमि को अनुप पुत्र गौतम, ओम प्रकाश पुत्र श्याम सुन्दर, अशोक पुत्र हरी प्रसाद व नुपुर भालोटिया पुत्री ओम प्रकाश का नाम सहखातेदार के रूप में अंकित कर दिया ?

तो जब भूमि निकाली गई तो खातेदार नहीं था, केवल चकबन्दी अधिकारी ने सहखातेदार पैदा किया है और 42 एकड़ जमीन अवमुक्त कर दिया। मैं जानना चाहता है कि 54.12 एकड़ भूमि किस आधार पर अवमुक्त की गई और 42.62 एकड़ चकबन्दी अधिकारी ने सह खातेदार को कैसे दिया जबकि चकबन्दी अधिकारी के आदेश को अपीलान्ट कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस मामले में नायब तहसीलदार, कानूनगो आदि को छोड़ दिया गया और केवल पटवारी को निलम्बित कर दिया गया?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य जानना चाहते हैं, एक तो 54.12 एकड़ अवमुक्त किये जाने के संबंध में और सहखातेदार को जो चकबन्दी अधिकारी ने किया और तीसरा कि बाकी लोगों पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई, यह बता दें ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

मान्यवर, जो 54.12 एकड़ भूमि की बात है उसमें 42.12 एकड़ मूल खातेदार से सहखातेदार को दी गई और जो दंडित करने की बात कही गई है, उसके संबंध में बताना चाहूंगा कि इस प्रकरण का निस्तारण शीघ्र ही हुआ है और संबंधित लेखपाल को दंडित किया गया है। बाकी दोषी लोगों के खिलाफ अभी कार्यवाही चल रही है, उनको भी कार्यवाही पूरी होने पर दंडित किया जायेगा।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल-

मान्यवर, मेरा सवाल बिल्कुल स्पष्ट है कि किस अधिकार के तहत 54.12 एकड़ निकाली गई और 42.12 किस दस्तावेज के आधार पर दी गई और तीसरा जो कुल 330.91 एकड़ निकाली गई, जिसमें से केवल 175.36 ही सरकार के कब्जे में आई और भूमि कहां गई ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

मान्यवर, उक्त ग्राम बढ़ेया में जो भूमि अतिरिक्त घोषित की गई, उसमें बढ़ेया, मुस्तकिल बढ़ेया, एहतिमाती, कलकसया, लक्ष्मीपुर में 330.91 एकड़ भूमि में से 175.36 एकड़ भूमि सरकार को प्राप्त हुई। बाद ग्राम लक्ष्मीपुर में 4.93 एकड़ का सन्दर्भ बनाया गया। ग्राम लक्ष्मीपुर में रिकार्ड आपरेशन हुआ था, जिसमें गाटों के नं0 बदले गये थे। रिकार्ड आपरेशन के संबंध में पडरौना, बलिया से सम्पर्क किया गया है। कनकसया में 67.66 एकड़ के विरुद्ध 37.08 एकड़ का संदर्भ बनाया गया था, शेष 30.8 का संदर्भ बनाकर चकबन्दी अधिकारी द्वारा दिनांक 14-8-95 को दिया गया है, जिसके आवंटन की कार्यवाही पूरी की जा रही है।

(गुरुवार दिनांक 17 अगस्त, 1995 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न)

राजस्व विभाग द्वारा शासकीय अधिवक्ताओं को वेतन नियमित भुगतान किये जाने की मांग

*1-श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि सम्पूर्ण प्रदेश के लगभग आधे से अधिक जिला शासकीय अधिवक्ताओं (राजस्व) को 15 से 26 माह तक का वेतन नहीं प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो वेतन भुगतान कराये जाने की क्या योजना है? भुगतान नियमित कब तक हो जायेगा?

श्री राजेन्द्र कुमार-

राजस्व विभाग द्वारा शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) के वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है, उन्हें देय नियत मासिक शुल्क आदि का भुगतान न्याय विभाग के आदेशानुसार किया जाता है।

देय शुल्क के शीघ्र भुगतान करने हेतु समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह बात बिल्कुल सही है और मेरी सूचना को सही मानकर कि पूरे प्रदेश में अधिकांश जिले ऐसे हैं, जहां 2-2 वर्ष, 3-3 वर्ष से भुगतान नहीं हुआ है, वेतन शब्द को मंत्री जी ने करेक्ट किया है, जो बिल पेमेन्ट किये जाने हैं, वह नहीं किये गये हैं। मान्यवर, मंत्री जी ने निर्देशित कर दिया है जिलाधिकारियों को कि भुगतान किया जाय लेकिन भुगतान जो अभी तक नहीं हो पाया है उसका कारण धनाभाव है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भुगतान करने के लिये आवश्यक धनराशि उपलब्ध करा

दी गई है ? अगर करा दी गई है तो इस संबंध में कोई शासनादेश जारी किया गया है ? यदि जारी किया गया है, तो कब और क्या शासनादेश जारी किया गया है ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

मान्यवर, शासकीय अधिवक्ता जो राजस्व के हैं उनको 1000 रुपये नियत फीस, ड्राफ्टिंग हेतु 100 रुपये प्रतिवाद और बहस हेतु 250 रुपये प्रतिवाद दिये जाने की व्यवस्था है । इसके भुगतान हेतु समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय गुप्त जी ने प्रश्न किया था कि क्या भुगतान हेतु धन की व्यवस्था करा दी गई है ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

मान्यवर, इसके लिये धन की व्यवस्था करा दी गई हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मुझे अफसोस है कि मैं अपनी बात को पूरी तरह से समझा नहीं पाया । मान्यवर, आपने कृपा की और मेरी बात को अपने शब्दों में कह दिया । मैं जानना चाहता हूं कि भुगतान हेतु धन की उपलब्धता का कोई शासनादेश हुआ होगा, अगर हुआ है, तो वह कब जारी किया गया है ? यदि नहीं किया गया है, तो क्या मंत्री जी आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि शीघ्र ही धन की उपलब्धता करा दी जायेगी ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, धन की उपलब्धता करा दी गई है तो ठीक है, अगर नहीं कराई गई है, तो क्या धन की उपलब्धता कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

मान्यवर, अगर अभी तक भुगतान नहीं हो पाया होगा, तो शीघ्र इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करा दी जायेगी ।

(ता0 प्र0 सं0-2 पुकारे जाने पर ।)

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, मैं भुगतान के संबंध में नहीं पूछूंगा मै रिनूअल के संबंध में प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय अग्रवाल जी, यह प्रश्न शासकीय अधिवक्ताओं के देयों के भुगतान से संबंधित है ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जिन शासकीय अधिवक्ताओं का अभी रिनूअल नहीं हुआ है और वह कार्य कर रहे हैं उनके देयों के भुगतान के संबंध में क्या सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री अध्यक्ष

जब तक रिन्यूवल नहीं होगा, तब तक कैसे भुगतान होगा?

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, अधिवक्ता काम कर रहे हैं, उनका रिन्यूवल शासन के पास पड़ा हुआ है। जब उनसे काम लिया जा रहा है तो उनको उसका भुगतान भी करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

ऐसे शासकीय अधिवक्ता जिनके रिनूअल के लिये शासन में आया है और रिनूअल नहीं हुआ है और वह काम कर रहे हैं ऐसे अधिवक्ताओं के वेतन का भुगतान करने के लिये क्या कोई निर्देश जारी करने की आवश्यकता आप महसूस करते हैं या ऐसे निर्देश जारी करेंगे?

श्री राजेन्द्र कुमार-

मान्यवर, शासकीय अधिवक्ताओं के देयों का मामला विधि विभाग से संबंधित है। राजस्व से संबंधित अधिवक्ताओं के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा था तो उसके बारे में मैंने बताया है कि इस संबंध में जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, क्या आप इस उत्तर से संतुष्ट हैं।

श्री अध्यक्ष-

संतुष्ट तो आपको होना है।

श्री ऊदल-

जब तक रिनुअल नहीं होगा और वह काम कर रहे हैं, तो उसका भुगतान कैसे होगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, आपने इन अधिवक्ताओं की पीड़ा को समझने की कोशिश की थी। दो-दो, तीन-तीन साल से उनको भुगतान नहीं मिला है। माननीय मंत्री जी, आश्वासन दे दें। धन की व्यवस्था की गई है या नहीं की गई है, अगर इसकी जानकारी नहीं है तो मैं केवल आश्वासन चाहता हूं कि आपने जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि उनको भुगतान कर दिया जाये तो क्या धन की भी व्यवस्था शीघ्र कर दी जायेगी?

श्री राजेन्द्र कुमार-

मान्यवर, जैसा मूल प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया है कि यह प्रकरण विधि विभाग का है, तो इस पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न संख्या-2

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

पीठ से निर्देश हो जायें।

श्री अध्यक्ष-

इस पर काफी अनुपूरक सवाल हुये हैं। और काफी समय हो गया है। अब प्रश्न संख्या-2 को ले रहा हूं।

श्री नरेश अग्रवाल-

आप स्पष्ट उत्तर दिलवा दें।

शिक्षण संस्थानों के लिये ग्राम समाज की भूमि देने के प्राविधान को पुनः लागू किये जाने की मांग

*2-श्री तीरथ राज-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 198 के अन्तर्गत शिक्षण संस्थानों के लिये ग्राम समाज की भूमि देने का प्राविधान समाप्त करने का कारण क्या था ? क्या पूर्व की भांति यह व्यवस्था पुनः लागू की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

शिक्षण संस्थानों को ग्राम सभा की भूमि देने का प्राविधान समाप्त करने का मुख्य कारण युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रित एवं अपंग सैनिकों तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को प्राथमिकता के आधार पर भूमि उपलब्ध कराना था।

जी नहीं। भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को आवंटन तथा ग्राम के सुनियोजित विकास हेतु भूमि आरक्षित करने के उपरान्त शेष भूमि शिक्षण संस्थाओं को पुनर्ग्रहण कर दी जा सकती है। अतः अधिनियम में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

श्री तीरथ राज-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि मूल प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया है कि शिक्षण संस्थानों को ग्राम सभा की भूमि देने का प्राविधान इसलिये समाप्त कर दिया है कि युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रित एवं अपंग सैनिकों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को प्राथमिकता के आधार पर भूमि उपलब्ध कराना था। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस प्राविधान के पूर्व क्या भूतपूर्व सैनिकों तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को भूमि आवंटन की व्यवस्था नहीं थी ? अगर व्यवस्था थी तो क्या कारण है कि अब शिक्षण संस्थानों को ग्राम सभा की भूमि का आवंटन बन्द कर दिया गया है जबकि शिक्षा का महत्व किसी से कम नहीं है ? सरकार के सामने विद्यालय खोलने की समस्या है और उनको जमीन उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इसे माननीय मंत्री जी बता दें ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि क्या पूर्व में ऐसी व्यवस्था नहीं थी और यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है कि शिक्षण संस्थानों को ग्राम सभा की भूमि न दी जाय । जो मैंने अभी उत्तर दिया है उसमें इसका स्पष्ट उत्तर है कि युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रित एवं अपंग सैनिकों तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को प्राथमिकता के आधार पर भूमि उपलब्ध कराना है । इसके अतिरिक्त विद्यालयों को जहां तक भूमि देने का प्रश्न है वह 117 (6) द्वारा पुनर्ग्रहण करके दी जा सकती है । इस प्रकार से भूमि देने का प्राविधान है ।

श्री तीरथराज-

मान्यवर, मैंने स्पष्टतौर पर जानना चाहा है कि क्या शिक्षण संस्थाओं को जो भूमि आवंटित की जाती थी उसके पूर्व क्या अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को पट्टा नहीं दिया जाता था, युद्ध में वीरगति प्राप्त लोगों के आश्रितों और अपंगों को पट्टा नहीं दिया जाता था ? अगर यह प्रक्रिया तब भी थी तो ऐसा कौन सा बदलाव आ गया कि इसको बन्द कर दिया गया ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधि संशोधन अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34) 1974 तक विद्यालयों को अधिनियम की धारा 198 के अन्तर्गत भूमि आवंटन का प्राविधान था, तत्पश्चात् उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) 1975 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1975 द्वारा उक्त धारा में व्यापक परिवर्तन किया गया जिसके अन्तर्गत विद्यालयों को भूमि आवंटन के स्थान पर युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रित एवं अपंग सैनिकों तथा अनुसूचित जाति, जनजाति के खेतिहर मजदूरों को प्राथमिकता दी गई है ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य की जिज्ञासा है कि यह जो संशोधन आपने किया इसका क्या कारण है, किस कारण से ऐसा संशोधन करना पड़ा ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

मान्यवर, मैंने इस बारे में मूल प्रश्न के उत्तर में ही बता दिया है कि इसमें जो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाते थे उनके आश्रितों को, और जो मैंने बताया उनके लिये इस तरह का नया संशोधन लाया गया ।

श्री तीरथ राज-

मान्यवर, इस संशोधन का कारण क्या है क्या यह पहले व्यवस्था नहीं थी ?

श्री ऊदल-

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें आपके संरक्षण की आवश्यकता है जिन भूमिहीन लोगों को पट्टा दिया जा रहा है, वीरगति पाये सैनिकों

के परिवारों को दिया जा रहा है । उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्थाओं को पहले प्राविधान था 198 में कि उनको भूमि दी जाय । आज प्रदेश में 50 प्रतिशत से अधिक निरक्षर हैं, नये-नये संस्थाओं की आवश्यकता है तो इस प्रश्न को देखते हुये क्या सरकार इसके ऊपर पुनर्विचार करेगी कि 198 में जो संशोधन करके शिक्षा संस्थाओं को भूमि देने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था उसको खत्म कर सिर्फ शिक्षा संस्थायें जो गठित होंगी, उनको देंगे और निरक्षरता को दूर करने के लिये इस प्रश्न को सर्वोपरि मानते हुये क्या सरकार इसमें संशोधन करने पर विचार करेगी ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

मान्यवर, पहले शिक्षण संस्थाओं को प्राथमिकता के आधार पर भूमि उपलब्ध कराई जाती थी ।

श्री ऊदल-

उसका मुआवजा 2 गुना, 3 गुना देना पड़ेगा जिस मार्केट रेट पर यह है यही आप बताने जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यों की जो जिज्ञासा जाहिर हो रही है तो जिसके कारण यह संशोधन करना पड़ा कहीं उसके पीछे यह तो नहीं था कि विद्यालयों के नाम पर ग्राम समाज की भूमि हड़पी जा रहीं थी जिसके नाते यह करना पड़ा ।

श्री राजेन्द्र कुमार-

मान्यवर, जैसा कि बताया गया पहले शिक्षण संस्थाओं को प्राथमिकता के आधार पर भूमि उपलब्ध कराई जाती थी । प्रायः ऐसी जानकारी आयी कि शिक्षण संस्थाओं के नाम पर भूमि अर्जित करके दुरुपयोग कर रहे थे । इस चीज को ध्यान में रखते हुये..

श्री अध्यक्ष-

अभी आप लोग बैठ जायें, उत्तर होने दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार-

सेना में जो जवान मर जाते थे उनके आश्रित मारे-मारे फिरते थे, इस बात को ध्यान में रखते हुये, सरकार ने इस बात का फैसला लिया कि ऐसे लोगों को प्राथमिकता के आधार पर भूमि उपलब्ध करायी जाय ।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर देकर जटिल स्थिति पैदा कर दी है, अगर शिक्षण संस्थाओं को भूमि की आवश्यकता पड़ती तो ग्राम समाज से प्रस्ताव होकर, एस0डी0एम0 का एप्रूवल लेकर शिक्षण संस्थाओं को जमीन दे दी जाती थी । माननीय मंत्री जी ने जोड़ दिया कि अधिग्रहण करके जमीन दी जा सकती है । अधिग्रहण की

जायेगी तो मुआवजा देना पड़ेगा । जिला पंचायत के स्कूल खुलते हैं, जिला परिषद् के स्कूल खुलते हैं कौन मुआवजा देगा दूसरे विद्यालय जो खोले जाते हैं तो मुआवजा देने वाला कोई होगा नहीं ।

पात्रता सूची जो पहले बनी थी उसमें स्कूलों की बात थी तो क्या इस बात पर विचार करेंगे कि पात्रता सूची में शिक्षण संस्थाओं को सम्मिलित कर लिया जायेगा पूर्व की भांति में ?

श्री ऊदल-

इसमें पुनर्विचार कीजिये ।

श्री गजेन्द्र कुमार-

ठीक है इस पर पुनर्विचार कर लिया जायेगा ।

जिला पंचायत अध्यक्ष मिर्जापुर द्वारा पंचायत की परिसम्पत्तियों को पट्टे पर देने एवं अवैधानिक हस्तान्तरण पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

*3-डा0 सरजीत सिंह डंग-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 में 1995 में पंचायत राज चुनाव की विधिवत् घोषणा के पश्चात् मिर्जापुर जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा पंचायत की किस-किस परिसम्पत्ति को लीज कर दिया गया और कौन सी सम्पत्तियां बेची गई ? इन सम्पत्तियों का बाजार दर पर मूल्य क्या था ? क्या जिला पंचायत अध्यक्ष नियमानुसार इतने मूल्य की सम्पत्तियों को पट्टे पर देने अथवा बेचने के लिये अधिकृत थे ? यदि नहीं, तो इन सम्पत्तियों के अवैधानिक हस्तान्तरण का दोषी कौन है ? दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

पंचायत चुनाव घोषित होने के उपरान्त तत्कालीन अध्यक्ष, जिला पंचायत, मिर्जापुर द्वारा किसी प्रकार की परिसम्पत्ति को लीज पर देने व किसी सम्पत्ति को बेचने की कार्यवाही नहीं की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

माननीय मंत्री जी के उत्तर के प्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त करते हुये यह बताना चाहता हूं कि एक नहीं अनेक सम्पत्तियां तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्षके द्वारा लीज पर दी गई थीं । मुख्य अधिकारी निवास पर एक सम्पत्ति संजय सिंह नाम के व्यक्ति को जो मड़ियांव गांव के रहने वाले हैं, परमानेन्ट लीज पर दी गई । गजिया टोला में जिला परिषद् की जमीन दी गई । अनेक जमीन, परिसम्पत्तियां दी गई हैं । क्या इसकी जांच करायेंगे ? जहां तक मेरी जानकारी है 2 हजार रुपये से ऊपर मूल्य की

सम्पत्ति, परिसम्पत्ति किसी प्रकार से जिला पंचायत के अध्यक्ष को लीज पर देने या बेचने का अधिकार नहीं है। जितनी परिसम्पत्तियां दी गई हैं लीज पर दी गई हैं और यह बताया गया है कि यह 2 हजार से ऊपर हैं।

श्री अध्यक्ष-

जब दी ही नहीं तो जांच क्या।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, यह सही है।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, मैं तो सूचना दे रहा हूं।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

जितनी परिसम्पत्तियों को तत्कालीन अध्यक्ष जिला परिषद् ने लीज पर दिया है उन परिसम्पत्तियों को लीज पर देते समय कुछ अनियमिततायें हुई हैं। और यह अनियमिततायें जिला अधिकारी की जांच में प्रकाश में आयी हैं। श्रीमन् इन अनियमितताओं को बहुत गहराई से देखते हुये उत्तर प्रदेश शासन ने पूरी जितनी भी शिकायतें हैं, पूरे प्रकरण की जाच आयुक्त वाराणसी मण्डल से कराने का निश्चय किया है और आदेश जारी हो गये हैं।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

यह परिसम्पत्तियां जो हैं, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि अनियमिततायें हैं तो जो अवैधानिक रूप से लोग उन पर काबिज हैं शासन उसमें बेदखल कराने की कार्यवाही करेगा।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

अभी श्रीमन् पहले ही बताया कि जिलाधिकारी से कुछ निष्कर्ष प्राप्त हुये हैं और जब आयुक्त को जांच संदर्भित कर दी गई है और जैसे ही जांच की पूरी-पूरी आख्या देंगे वैसे ही शेष कार्यवाही भी सम्पन्न करा दी जायेगी।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर जो अनियमिततायें हैं वह प्रकाश में आ गई। जो लोग काबिज हैं उनको हटाने की कार्यवाही नहीं हुई। उसमें अनियमितताओं की जिलाधिकारी की रिपोर्ट आ गई है तो उसमें उनको बेदखल कराने की कार्यवाही कब चालू करेगा शासन?

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

श्रीमन्, जिलाधिकारी की रिपोर्ट में यह है कि एक नियम का ठीक से पालन नहीं किया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष कोई सम्पत्ति लीज पर देते हैं या फिर किराये पर देते हैं तो उसकी एक निश्चित धनराशि होती है। अगर उस निश्चित

धनराशि से ज्यादा हो तो कलेक्टर से और उससे भी ज्यादा हो तो उत्तर प्रदेश शासन से अनुमति प्राप्त करते हैं। इसमें अनुमति प्राप्त नहीं की गई। उत्तर प्रदेश शासन ने आयुक्त से जांच कराने के आदेश दे दिये हैं।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, जो गलत ढ़ंग से काबिज हैं उनको बेदखल करने की कार्यवाही की जायेगी?

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि अनुमति ली जानी चाहिये थी लेकिन नहीं ली गयी तो यह प्राइमाफेसी इस्टेबिलिश हो गया और जब यह प्राइमाफेसी इस्टेबिलिश हो गया तो कार्यवाही न करके जांच कराने का औचित्य क्या है?

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

अभी एक छोटी सी अनियमितता प्रकाश में आई है और इसे आधार मानकर उत्तर प्रदेश शासन ने गहन अध्यन करने का निर्देश दिया है। आपको तो हमको इसके लिये बधाई देनी चाहिये थी। हमने इसमें जिलाधिकारी से ऊपर के अधिकारी को जांच के लिये चुना है जिससे जो अनियमितता होगी और उसमें जो भी बड़े से बड़ा अधिकारी दोषी पाया जायेगा उसके खिलाफ कार्यवाही हो सके।

वर्तमान सरकार के शासन काल में नये जिलों एवं तहसीलों के सृजन की घोषणा एवं भवन निर्माण की मांग

*4-श्री बदन सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान सरकार के शासनकाल में कुल कितने जिलों एवं तहसीलों के सृजन की घोषणायें की गई हैं? क्या ऐसे समस्त जिलों व तहसीलों के लिये भवन निर्माण आदि करा दिये गये हैं? यदि नहीं, तो ऐसे जिलों व तहसीलों के सृजन का क्या औचित्य है?

श्री राजेन्द्र कुमार-

वर्तमान सरकार के शासन काल में किसी नये जिले एवं तहसील के सृजन की घोषणा नहीं की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री बदन सिंह-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो प्रश्न का उत्तर दिया है वह बिल्कुल सही है क्योंकि सरकार ने किसी भी नये जिले और तहसील की घोषणा नहीं की है। मेरा प्रश्न 16-5-95 का है, जब माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी। उस वक्त जो

नये जिले और तहसील की घोषणा की गई थी मेरा मतलब उससे है तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

मान्यवर, माननीय बदन सिंह जी ने जैसा प्रश्न पूछा था वह वर्तमान सरकार के सम्बन्ध में था और हमने यथास्थिति बता दी । उन्होंने पूर्व सरकार के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है तो मैं उन्हें बता दूं कि बलिया में बिलथरा रोड, इटावा में सैफई, बलिया में सिकन्दरापुर, बाराबंकी में सिरोली गौसपुर, मेरठ में बड़ौत, बख्शी का तालाब लखनऊ में, बहराइच में महसी, फैजाबाद में मिलकीपुर, जालौन में माधवगढ़, जौनपुर में निगोह और पडरौना में कलिया है ।

श्री बदन सिंह-

मान्यवर, जो पूर्व सरकार के बारे में घोषित जनपद और तहसीलों की सूची दी है उसमें कुछ तहसीलें अनावश्यक रूप से सृजित की गई थीं जैसे कि इटावा जनपद में सैफई, बाराबंकी में सिरौली तो क्या इन अनावश्यक तहसीलों को मौजूदा सरकार समाप्त करेगी ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

मान्यवर, इसे दिखवा लिया जायेगा ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से सहमत हूं बिगत सरकार ने जो तहसीलों का सृजन किया था उसमें बाराबंकी जिले में गौसपुर सिरोली भी एक तहसील थी । मान्यवर, वहां से 7 कि0मी0 राम नगर तहसील है और 7 कि0मी0 ही राम सनेही घाट और फतेहपुर तहसील है । गौसपुर सिरौली तहसील के सृजन का कोई औचित्य नहीं था । तहसीलों का निर्माण जनहित में किया जाता है व्यक्तिगत आधार पर नहीं । क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच राजस्व परिषद् के चेयरमैन से कराकर निरर्थक तहसीलों को हटाने की कृपा करेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

मान्यवर, मैंने पहले ही बता दिया है कि इसको दिखवा लिया जायेगा ।

श्री उदल-

मान्यवर, एक तहसील और है जिसका नाम मैं ले रहा हूं वह भी राजनैतिक आधार पर बनाई गई थी, जौनपुर का निगोह तहसील । जबकि रामपुर सेन्टर में पड़ता है । क्या इसको दिखवा करके इसे मध्य में बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

ऐसे जो भी प्रकरण होंगे, उसमें भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुये और जनापेक्षाओं को स्वीकार करते हुये ही कार्यवाही की जायेगी ।

मथुरा यज्ञ से सम्बन्धित नियम 311 के अन्तर्गत सूचना को सुने जाने की मांग (क्रमागत)

श्री भैरों प्रसाद मिश्र-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

मैं पहले श्री राम आसरे वर्मा जी की व्यवस्था का प्रश्न सुनूंगा क्योंकि उन्होंने बहुत पहले उठाया था।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि नियम 311 के अन्तर्गत मथुरा प्रकरण की जो सूचना दी गई है, उसे आप ले लें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, 311 में दी गई सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिये इसको प्राथमिकता के आधार पर सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय राम आसरे वर्मा जी, प्रमोद तिवारी जी एवं नरेश अग्रवाल जी, आप लोगों ने जो संगत नियमों के तहत दिया है उस पर विचार किया जायेगा।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं चाहूंगा कि विधायकों को अधिकार मिले और जो हमारी प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली है, उस नियमावली के नियम 311 के तहत सदन को सारे नियमों को निलम्बित करके प्रस्ताव किये जाने का अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार को संरक्षण दें। जो सूचना 311 के अन्तर्गत दी गई है वह अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुये दी गई है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी, 311 में अध्यक्ष की सहमति भी है।

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, मथुरा की जो स्थिति है उससे अल्पसंख्यक भयभीत हैं उनको यह लग रहा है कि पुनः 6 दिसम्बर की पुनरावृत्ति होने वाली है।

श्री अध्यक्ष-

आदरणीय सदस्यगण 311 में जो सूचना दी जाती है, उसमें अध्यक्ष की सहमति से ही प्रस्ताव होता है। मैं 311 में कोई अनुमति नहीं देता हूं। आगे मैं विचार कर लूंगा।

टिप्पणी:-नत्थी "घ" तारांकित प्रश्न संख्या 4 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, 311 में बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, 311 में आपने अस्वीकार कर दिया है। इसे आप नियम 56 में सुन लेंगे इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

जब मैं सूचनाओं को सुनूंगा उसमें विचार कर लूंगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आप 311 में न सुनकर इसे 56 में सुन लेंगे इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब कोई मंत्री न देकर उत्तर पटल पर माननीय मुख्य मंत्री दें, जिससे स्थिति स्पष्ट हो सके।

(श्री राम आसरे वर्मा व श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल जी के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

(श्री राम विशुन आजाद के खड़े होने पर तथा कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप कृपा करके बैठ जायें। आप बिना इजाजत के बोल रहे हैं। इसलिये आप जो बोल रहे हैं, वह नहीं लिखा जायेगा।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

*5-श्री जगदम्बिका पाल-

(दिनांक 17-7-95 को अल्पसूचित ता0प्र0सं0 2 द्वारा उत्तरित)

जनपद गढ़वाल के विकास खण्ड पावो में आदमखोर बाघों को मारने हेतु शासन के आदेश एंव शिकारी परिवारों को आर्थिक सहायता दिया जाना

*6-डा0 रमेश पोखरियाल (निशंक)-

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि जनपद गढ़वाल के विकास खण्ड पावों में आदमखोर बाघों का आतंक मचा हुआ है ? क्या आदमखोर बाघ को मारने के आदेश शासन द्वारा दिये गये हैं ? यदि हां, तो अभी तक आदमखोर बाघों को क्यों नहीं मारा जा सका ? क्या पहाड़ में आदमखोर बाघों के शिकारी परिवारों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन, लघु उद्योग एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)-

जी हां।

जी हां।

कतिपय गुलदार द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों में घटनायें किये जाने के कारण उसे नष्ट करने तथा पकड़ने में अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हो सकी।

5 मारे गये व्यक्तियों में से 4 व्यक्तियों के आश्रितों को तथा 8 घायलों में से 5 व्यक्तियों को आर्थिक अनुग्रह की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। शेष का भुगतान वांछित औपचारिकतायें पूर्ण होने के पश्चात् तुरन्त कर दिया जायेगा।

*7- श्री हरदेश कपूर-

(11 वें संकल्प में ता0प0स0 15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश के अनु0जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति को कक्षा 1 से कक्षा 10 तक अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति दिलाने की मांग

*8 श्री राम बाबू हरित-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश के अनु0 जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति को कक्षा 1 से कक्षा 10 तक अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति देने की योजना बनायी गई है। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम पाल-

जी नहीं। केवल अनुसूचित जाति के कक्षा 1 से 8 तक के समस्त छात्र/छात्राओं को अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति दिये जाने की योजना का प्रस्ताव है।

कक्षा 9 व 10 की कक्षाओं में पढ़ने वाले सभी अनुसूचित जाति के विद्यार्थी जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं, को छात्रवृत्ति पूर्व से ही प्रदान की जा रही है। पिछड़ी जाति के समस्त छात्रों को छात्रवृत्ति देने की कोई योजना संसाधनों के अभाव में विचाराधीन नहीं है।

जनपद हरदोई के तहसील सण्डीला के अन्तर्गत ग्रामसभा कुतुबपुर में चल रही चकबन्दी में विद्यमान अनियमितताओं की जांच की मांग

*9 श्री महेन्द्र पाल सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला के अन्तर्गत ग्राम सभा कुतुबपुर में चल रही चकबन्दी में विद्यमान अनियमितताओं की जांच के लिये तेजपाल सिंह, विधायक का माह जून, 1995 में शासन को कोई पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या पत्र में उल्लिखित अनियमितताओं की जांच चकबन्दी विभाग के अधिकारियों से न कराकर राजस्व विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी से करायेंगे और आरोप सिद्ध होने पर इस चकबन्दी को निरस्त करेंगे व दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि इस चकबन्दी में ऊसर तथा बंजर भूमि को भी चकबन्दी में सम्मिलित करके कृषि योग्य भूमि को जंगलात घोषित किया गया है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन अधिकारी दोषी है और सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

जी हां।

उक्त ग्राम अभी चकबन्दी प्रक्रियाओं के अन्तर्गत है इसलिये उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र की जांच सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, हरदोई से कराई गई।

अन्य विभाग से जांच कराये जाने का औचित्य नहीं है। उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र की जांच में चकों के सीमांकन की समस्यायें बताई गई हैं। इन चकों की पुनः पैमाइश कराकर कब्जा दिलाये जाने के संबंध में सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी हरदोई को निर्देशित कर दिया गया है। जांच में कोई अनियमितता होनी नहीं पाई गई है। इसलिये वर्तमान चकबन्दी को समाप्त कर पुनः चकबन्दी कराने तथा अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश के अग्निपीड़ितों को सरकारी आर्थिक सहायता दिये जाने की मांग

*10 श्री अम्बिका सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अग्निपीड़ितों को मकान क्षतिपूर्ति तथा अहेतुक सहायता की राशि को तत्कालीन सरकार ने मौलिक रूप से कम कर दिया था ? यदि हां, तो क्या वर्तमान सरकार प्रदेश के गरीब अग्निपीड़ितों की दयनीय दशा को देखते हुये सहायता धनराशि दस हजार रुपये करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

विकास खण्ड निचलौल जनपद महराजगंज के उप जिलाधिकारी द्वारा किसानों के हित में छोड़ी गयी भूमि को अनियमित ढंग से चीनी उद्योग को आवंटित किये जाने की जानकारी तथा आवंटन को निरस्त करने की मांग

*11-श्री शारदा प्रसाद जायसवाल-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि विकास खण्ड निचलौल जनपद महराजगंज के ग्राम सभा भगवानपुर, जमुईकला, गड़ीरा में बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा कास्तकारों के हित में चकमार्ग/चकनाली एवं गांव के पानी निकासी के लिये भूमि चक संख्या 497 से लेकर 501 तक छोड़ रखा था जिसको उप जिलाधिकारी निचलौल ने प्राइवेट सेक्टर की चीनी उद्योग ओसवाल, जमुई को उद्योग लगाने की भूमि में सम्मिलित करने के लिये मण्डलायुक्त, गोरखपुर की संस्तुति करके दिनांक 27-5-95 को अनियमित ढंग से भूमि को चीनी उद्योग के नाम से करा दिया है जिसके फलस्वरूप भारी वर्षा से वर्षा का पानी का निकास न होने से हजारों एकड़ फसल डूबी हुई है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त चकमार्ग/चकनाली की भूमि को चीनी उद्योग के नाम जो किया गया है उसको सरकार निरस्त करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

सूचना एकत्र की जा रही है।

*12-श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय-

(दिनांक 20-7-95 को अता0 प्र0 सं0 21 द्वारा उत्तरित)

सीमान्त जिलों को मिलाकर उत्तराखण्ड डिवीजन बनाये जाने का कारण तथा भंग किये जाने की जानकारी

*13-श्री बची सिंह रावत-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1962 के चीनी आक्रमण के बाद सीमान्त जिलों चमोली उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिले को मिलाकर उत्तराखण्ड डिवीजन बनाने का क्या कारण था ? क्या यह डिवीजन अभी भी कार्यरत है ? यदि नहीं, तो इसे भंग करने का क्या कारण है ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

चीन की सीमा से लगे होने के कारण सुरक्षा एवं विकास की दृष्टि से सीमान्त जिलों चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ को मिलाकर कुमायूं एवं उत्तराखण्ड डिवीजन बनाया गया था ।

जी नहीं ।

दिनांक 1-1-1969 को कुमायूं एवं उत्तराखण्ड डिवीजन से गढ़वाल मण्डल का सृजन पृथक रूप से करने के फलस्वरूप उक्त उत्तराखण्ड डिवीजन को भंग कर दिया गया ।

ग्राम सैदपुर बुजुर्ग जनपद बरेली की सन् 1380 फसली व 1381 फसली की खतौनी राजकीय अभिलेखागार बहेड़ी से गायब किये जाने की जानकारी

*14-श्री राजीव कुमार-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सैदपुर बुजुर्ग परगना चौमहला, तहसील बहेड़ी, जनपद बरेली की सन् 1380 फसली व 1381 फसली की पूरे गांव की खतौनी राजकीय अभिलेखागार, बहेड़ी से गायब करा दी गई है ? यदि हां, तो खतौनी गायब कराने वाले अधिकारियों के विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार बतायेगी कि इसी गांव की 1382 फसली की खतौनी राजस्व अधिकारियों द्वारा 1380 व 1381 फसली की खतौनी न होने पर भी किस आधार पर बनायी गई ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*15-श्री जवाहर लाल दिवाकर-

(4 थे बुध में ता0 प्र0 सं0 15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।)

अतारांकित प्रश्न

1-2 श्री बचनू राम पटेल-

(चौथे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 82-83 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।)

3-श्री राम बाबू हरित-

(पांचवे बुध में अता0 प्र0 सं0 152 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।)

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्राइमरी पाठशाला के अध्यापकों व कर्मचारियों को वेतन व पेंशन फण्ड आदि के भुगतान किये जाने की मांग

4-श्री राम बाबू हरित-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्राइमरी पाठशाला के अध्यापकों व कर्मचारियों को नवम्बर, 1991 से फरवरी, 92, (4 माह) जनवरी, फरवरी, 1993 (दो माह) सितम्बर, 93 से फरवरी, 94 (6 माह) व मार्च, 94 से जुलाई, 94 (पांच माह) का वेतन क्यों नहीं दिया गया ? पेंशन फण्ड आदि के आदेश होने के बावजूद उनका भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है ? क्या सरकार इन्हें प्रतिमाह वेतन देने के आदेश देगी ?

श्री श्रीराम पाल-

समाज कल्याण विभाग द्वारा प्राइमरी पाठशालायें संचालित नहीं है । बल्कि अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं हेतु राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जाता है । इन विद्यालयों के अध्यापकों एवं कर्मचारियों को नियमानुसार प्रश्नगत अवधियों का वेतन भुगतान किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता । उपर्युक्त विद्यालयों में शासकीय नियमों के अनुसार अध्यापकों को पेंशन फण्ड आदि का भुगतान किया जा रहा है ।

प्रतिमाह नियमानुसार वेतन अनुदान के भुगतान के आदेश हैं ।

प्रसार एवं जन सम्पर्क वृत्त उत्तर प्रदेश के कार्यों के सुधार तथा सुदृढ़ीकरण हेतु प्रमुख सचिव, वन उत्तर प्रदेश से रिपोर्ट तैयार किये जाने की मांग

5-श्री जगरनाथ चौधरी-

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रसार एवं जनसम्पर्क वृत्त, उ0प्र0 के कार्यों पर प्रमुख सचिव, वन द्वारा वर्ष 1993 में क्षोभ व्यक्त किये जाने का कोई लिखित रिकार्ड वन विभाग में है ? यदि हां, तो उसका विवरण पत्रांक व दिनांक क्या है ? क्या मंत्री जी जनहित और पर्यावरण से जुड़े प्रसार एवं जनसम्पर्क वृत्त के ढांचागत दोषों के सुधार तथा सुदृढ़ीकरण हेतु सचिव/प्रमुख सचिव, वन, उ0प्र0 से रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दे रहे हैं ? यदि हां, तो रिपोर्ट कब तक तैयार कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम लखन वर्मा-

जी हां । वन संरक्षक, प्रसार एवं जन सम्पर्क का अर्द्धशा0प0 845/12-1, दिनांक 8-6-93 उक्त पत्र में यह उल्लेख है कि प्रसार एवं जन सम्पर्क वृत्त के कार्य कलापों के बारे में प्रमुख सचिव वन द्वारा दिनांक 29-5-93 की एक बैठक में अपना असंतोष व्यक्त किया गया है ।

जी नहीं ।

प्रमुख वन संरक्षक को प्रश्नगत वृत्त की कार्यप्रणाली में सुधार लाने हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं ।

वन विभाग के विभिन्न वृत्तों में कार्यरत कर्मचारियों के सम्बन्ध में शासन की स्थानान्तरण नीति का पालन न किये जाने से वन संरक्षक प्रशासन के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

6-श्री जगरनाथ चौधरी-

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वन विभाग के विभिन्न वृत्त में वन रेन्जर, उप वन रेंजर, वन दरोगा, लिपिक वर्ग एवं समूह (घ) के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों का स्थानान्तरण एक वृत्त से दूसरे वृत्त में किया जाता है ? यदि हां, तो प्रसार एवं जन सम्पर्क वृत्त के कार्यालय में कार्यरत समान पदधारी कर्मचारी जो गत 10 वर्षों से इस वृत्त में कार्यरत हैं, उनका स्थानान्तरण क्यों नहीं किया गया ? क्या इस वृत्त में शासन की स्थानान्तरण नीति 1994 का पूर्णतः पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या शासन दोषी तत्कालीन वन संरक्षक, प्रशासन वन विभाग मुख्यालय के विरुद्ध शासनादेशानुसार कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम लखन वर्मा-

स्थानान्तरण नीति के अनुसार सामान्यतः केवल वन रेंजरों, लिपिक वर्ग के कार्यालय अधीक्षक ग्रेड-2 तथा आशुलिपिक वेतनमान 1640-2900 का ही स्थानान्तरण एक वृत्त से दूसरे वृत्त में किया जाता है ।

प्रसार एवं जन सम्पर्क कार्यालय एक वृत्त कार्यालय है, जिसमें नियुक्त वन रेंजर का ही स्थानान्तरण वृत्त के बाहर किया जा सकता है क्योंकि वन रेंजर का संवर्ग राज्य स्तरीय है । शेष वृत्त संवर्ग के कर्मचारियों का स्थानान्तरण सामान्यतः वृत्त के बाहर नहीं किया जाता ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वानिकी विकास की गिरती कार्य प्रणाली में सुधार किये जाने की मांग

7-श्री जगरनाथ चौधरी-

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वन सम्बर्द्धन एवं प्रबन्धन में विश्व ख्याति प्राप्त देश स्वीडन के राजदूत को उनके माह नवम्बर, 1994 में लखनऊ प्रवास के

दौरान वन विभाग उ0प्र0 की ओर से वानिकी विकास हेतु कोई सहायता के लिये कार्य योजना प्रस्तुत की गई थी ? क्या मुख्य मंत्री जी की स्वीडन राजदूत से हुई मंत्रणा में वन विभाग, उ0प्र0 की कोई कार्य योजना भी विचार विमर्श की सूची में थी ? यदि नहीं, तो क्या प्रसार एवं जन सम्पर्क वृत्त के वन संरक्षक ने अपने उच्च अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया था ? यदि नहीं, तो इस वृत्त की गिरती कार्य प्रणाली के सुधार हेतु शासन क्या कार्यवाही करेगा ?

श्री राम लखन वर्मा-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

वन विभाग के वन संरक्षक प्रचार एवं जन सम्पर्क द्वारा नियम विरुद्ध कार्य किये जाने पर कानूनी कार्यवाही की मांग

8-श्री जगरनाथ चौधरी-

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वन विभाग के मुख पत्र "आरण्यक" अक्टूबर, 94 में बिना सम्पादक का नाम मुद्रित किये प्रकाशित किया गया है ? क्या शासन इसे नियमतः विधिक दृष्टि से अवैध मान रहा है ? यदि हां, तो नियम विरुद्ध कार्य करने वाले दोषी वन संरक्षक, प्रचार एवं जन सम्पर्क उ0प्र0 के विरुद्ध क्या कानूनी कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम लखन वर्मा-

जी हां ।

मामले में परीक्षण किया जा रहा है ।

परीक्षणोपरान्त नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

ग्राम सभा पहलवारी जिला बहराइच के भूमिहीन व्यक्तियों के पट्टेदारों को जमीन का कब्जा दिलाये जाने की मांग

9-श्री अक्षयवर लाल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा पहलवारी तहसील व जिला बहराइच में निवास करने वाले 24 अनुसूचित जाति के भूमिहीन व्यक्तियों को सीलिंग भूमि का पट्टा वर्ष 1987 में दिया गया था ? यदि हां, तो इन पट्टेदारों को पट्टे की जमीन का कब्जा कब-कब दिलाया गया ? क्या यह सही है कि जिनकी जमीन सीलिंग में निकली उन लोगों द्वारा पट्टेदारों को कब्जा नहीं दिया जा रहा है ? सरकार इन पट्टेदारों को कब्जा कब तक दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

प्रश्नगत ग्राम सभा क्षेत्र के 19 अनुसूचित जाति के तथा 5 अन्य जाति के व्यक्तियों को 6.528 हेक्टेयर सीलिंग भूमि का आवंटन वर्ष 1987 में दिया गया था ।

भू-स्वामिनी द्वारा नियत प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील योजित कर दिनांक 12-4-88 को यह आदेश प्राप्त कर लिया गया कि 2.815 हेक्टेयर भूमि पर अपील के निर्णय तक यथास्थिति कायम रखी जाय जिसके कारण 15 पट्टेदारों को कब्जा नहीं दिलाया जा सका शेष 9 पट्टेदारों को आवंटित भूमि पर कब्जे दिला दिये गये हैं। अपील के अन्तिम रूप से निर्णीत हो जाने के उपरान्त उक्त 15 पट्टेदारों के विषय में अग्रेतर कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

श्री राम सेवक वर्मा लेखपाल के निलम्बन व बहाली की जानकारी

10-श्री अक्षयवर लाल-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के छठें गुरुवार के अता0प्र0सं0 74 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संबंधित लेखपाल श्री राम सेवक वर्मा को किस दिनांक को निलम्बित किया गया तथा वह कितने दिनों तक निलम्बित रहे ? उनकी बहाली किन कारणों से की गई ? उनके विरुद्ध कौन सी विभागीय कार्यवाही अब तक हुई ? क्या तत्कालीन लेखपाल राम सेवक वर्मा के विरुद्ध सरकार अब कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

श्री राम सेवक वर्मा को दिनांक 2 अप्रैल, 1994 को निलम्बित किया गया था तथा वे दिनांक 18 जून, 1994 तक निलम्बित रहे।

विभागीय कार्यवाही पूर्ण होने में सम्भावित विलम्ब को देखते हुये दिनांक 19-6-94 को अनन्तिम रूप से पद स्थापित किया गया।

आरोप सिद्ध न पाये जाने के कारण विभागीय कार्यवाही समाप्त कर दी गई।

पुनः उसी आधार पर कार्यवाही का औचित्य नहीं है।

सालेहनगर (तेलीबाग) थाना कृष्णानगर, जनपद लखनऊ स्थित खसरा संख्या 356/2 एवं 356/5 की भूमि की अवैध बिक्री को निरस्त किये जाने व दोषी को दण्डित किये जाने की मांग

11-श्री जगरनाथ चौधरी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सालेहनगर (तेलीबाग) थाना कृष्णानगर, जनपद लखनऊ स्थित खसरा संख्या 356/2 एवं 356/5 जो कि सार्वजनिक स्थल हैं, की बिक्री अवैध रूप से किये जाने को तुरन्त रोकने हेतु परगनाधिकारी (सदर) लखनऊ द्वारा कोई पत्र दिनांक 2-6-94 पत्रांक 1420/एस0टी0/94 तहसीलदार सदर लखनऊ को प्रेषित किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त अवैध बिक्री को निरस्त किये जाने तथा दोषी को दण्डित किये जाने की कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

जी हां । प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन है । निर्णयोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

12-श्री जगरनाथ चौधरी-

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।)

जनपद लखनऊ के मौजा कनौसी में उपलब्ध राजस्व विभाग की भूमि से अतिक्रमण हटाये जाने एवं निर्माण कार्य किये जाने की मांग

13-श्री सुन्दर लाल दीक्षित-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के मौजा कनौसी में उपलब्ध राजस्व विभाग की भूमि से अतिक्रमण हटा करके कार्यालय एवं आवास बनाये जाने का प्रकरण राजस्व विभाग में विचाराधीन है ? यदि हां, तो अतिक्रमण कब तक हटा दिया जायेगा एवं उक्त निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? क्या अतिक्रमण के लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

जी हां ।

मामला मा0 न्यायालय में विचाराधीन है । मा0 न्यायालय के निर्णय के उपरान्त, तद्नुसार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी ।

अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के पश्चात् प्रश्नगत निर्माण हेतु स्थल की उपयुक्तता को दृष्टिगत रखते हुये एवं निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध होने की दशा में ही उक्त निर्माण की स्वीकृति दी जा सकेगी और तद्उपरान्त ही उक्त निर्माण कार्य प्रारम्भ हो सकेगा ।

जी हां, दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद हरदोई के सबसे पिछड़े तथा नदियों एवं बीहड़ों से घिरे 6 विकास खण्डों में बाल विकास एवं पुष्टाहार योजना लागू किये जाने की मांग

14-श्री विश्राम सिंह यादव-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि हरदोई जनपद के 19 ब्लाकों में से केलव 13 ब्लाकों में बाल विकास एवं पुष्टाहार योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं जबकि शेष 6 ब्लाकों सांडी, हरपालपुर, माधौगंज, भरावन, मल्लावां, भरखनी में यह योजना अभी तक लागू नहीं की गई है ? क्या यह ब्लाक हरदोई जनपद के सबसे पिछड़े नदियों एवं बीहड़ों से घिरे इलाके हैं जहां स्वास्थ्य, शिक्षा आदि का अभाव है ? क्या सरकार इन छः विकास खण्डों में भी यह योजना लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम पाल-

जी हां ।

यह ब्लाक जनपद के पिछड़े नदियों एवं बीहड़ों से घिरा इलाका है, परन्तु वहां पर शिक्षा के लिये प्राइमरी स्कूल व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि उपलब्ध हैं ।

हरदोई जनपद के विकास खण्ड माधौगंज, मल्लावां में परियोजना संचालित करने हेतु वर्ष 1993-94 में भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो गई है, सर्वे कार्य चल रहा है । वर्ष 1994-95 में विकास खण्ड मरखनी में भी परियोजना के संचालन की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो गई है । शेष विकास खण्ड सांडी, हरपालपुर एवं भरावन में परियोजना संचालन भारत सरकार की स्वीकृति पर निर्भर करेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के कस्बा सांडी के पास दहर झील का सुन्दीकरण तथा उसके रख रखाव की व्यवस्था की मांग

15-श्री विश्राम सिंह यादव-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद के कस्बा सांडी के पास एक बहुत बड़ी दहर झील है उसके सुन्दरीकरण का दायित्व व उसमें पलने वाली चिड़ियों व मछलियों व पानी को सुरक्षित रखना भी वन विभाग की जिम्मेदारी है ? यदि हां, तो अभी तक उसका सुन्दरीकरण क्यों नहीं किया गया तथा चिड़ियों को मारने तथा मछली पकड़ने पर प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाया गया तथा पानी निकालने से क्यों नहीं रोका जाता है ? क्या उसके रख-रखाव की व्यवस्था सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम लखन वर्मा-

जी हां ।

सुन्दरीकरण करने का प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि पक्षी बिहार पक्षियों के संरक्षण एवं उनके वासस्थल के सुधार के उद्देश्य से बनाये जाते हैं । पक्षी बिहार घोषित होने के साथ ही चिड़ियों को मारने एवं मछलियों को पकड़ने पर प्रतिबन्ध लग गया है । झील में पानी भरने से कृषकों की निकटवर्ती कुछ निजी भूमि जलमग्न हो जाती है जिस पर कृषि करने हेतु कुछ पानी निकाला जाता है, परन्तु इससे पक्षियों का वासस्थल प्रभावित नहीं होता है ।

पक्षी बिहार क्षेत्र में रख-रखाव की व्यवस्था एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिये आवश्यक कर्मचारी तैनात किये गये हैं ।

उत्तर प्रदेश तराई अनुसूचित जन जाति विकास निगम के कर्मचारियों को नियमित वेतन दिये जाने की मांग

16-श्री भगवती प्रसाद शुक्ल-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि उ0प्र0 तराई अनुसूचित जन जाति विकास निगम में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या उनको नियमित वेतन मिल पा रहा है ? यदि नहीं, तो कितने माह से वेतन नहीं दिया गया है और क्यों ?

श्री श्रीराम पाल-

तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम में कुल 177 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं।

जी नहीं।

तराई अनुसूचित जाति विकास निगम कर्मचारियों को अधिष्ठान मद में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण विभिन्न परियोजनाओं एवं निगम मुख्यालय के अधिकांश कर्मचारियों को पिछले 4-5 माह से वेतन भुगतान नहीं किया जा सका है। विशेष परिस्थितियों में निगम के कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु शासनादेश दिनांक 28 जुलाई, 1995 द्वारा 10.00 लाख स्वीकृत किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, चन्दनचौकी, खीरी तथा थारू विकास परियोजना, विशुनपुर विश्राम, गोण्डा हेतु आयोजनेत्तर मद से 4.49 लाख की धनराशि वेतन भुगतान हेतु स्वीकृत की गई है।

17-श्री अक्षयवर लाल-

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।)

राजकीय बालिका निकेतन इलाहाबाद के कर्मचारियों के अवशेषों व दोषी अधिकारियों को दण्डित करने की मांग

18-श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी-

क्या सरकार को जानकारी है कि महिला कल्याण विभाग के अन्तर्गत राजकीय बालिया निकेतन इलाहाबाद के अनेक कर्मचारियों का भविष्य निधि अग्रिम बकाया वेतन, यात्रा भत्ता आदि का भुगतान देय होने के बावजूद पिछले छः माह से नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या सरकार इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करने एवं कर्मचारियों के अवशेषों को तुरन्त भुगतान करने के आदेश प्रदान करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीराम पाल-

राजकीय बालिका निकेतन इलाहाबाद में कार्यरत कर्मचारियों को नियमानुसार देय भविष्य निधि, अग्रिम बकाया वेतन, यात्राभत्ता आदि को औपचारिकतायें पूर्ण होने पर भुगतान कर दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के तहसील टाण्डा व तहसील सदर में मंझवार जाति का प्रमाण-पत्र जारी न किये जाने की जानकारी

19-श्री लल्लू सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के तहसील टाण्डा व सदर फैजाबाद में मझवार जाति का प्रमाण-पत्र पिछले तीन दशकों से जारी किया जा रहा था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि अब मंझवार जाति का प्रमाण-पत्र जारी किया जाना बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री श्रीराम पाल-

जी हां ।

तहसील सदर में मंझवार जाति का प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है किन्तु टाण्डा तहसील में मंझवार जाति का प्रमाण-पत्र जारी किया जाना बन्द कर दिया गया है ।

पूर्व में तहसील टाण्डा के गोड़िया जाति के लोग, जिन्हें पेशे से नाव खेने के कारण मांझी भी कहा जाता है, अपने को मंझवार जाति बताकर मंझवार जाति का प्रमाण-पत्र हासिल कर ले रहे थे । यह तथ्य प्रकाश में आने पर कि तहसील टाण्डा में मंझवार जाति के लोग नहीं पाये जाते । अपने को मंझवार बताने वाले ये लोग वास्तव में गोड़िया हैं । चूंकि गोड़िया पिछड़ी जाति के अन्तर्गत आते हैं, इसी नाते ये लोग मंझवार (अनुसूचित जाति) का प्रमाण पत्र लेने का प्रयास करते रहे हैं । इसी कारण अब इन्हें मंझवार जाति का प्रमाण-पत्र नहीं दिया जा रहा है ।

बस्ती जनपद में लेखपाल व राजस्व निरीक्षकों की तैनाती/स्थानान्तरण का पालन न किये जाने की जानकारी

20-श्री राम करन आर्य-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश संख्या 2756/1-9-94-11-16 (32)/87-रा-9, दिनांक 26 मई, 1994 का लेखपालों/राजस्व निरीक्षकों की तैनाती/स्थानान्तरण नीति विषयक आदेशों का बस्ती जनपद में पालन वर्ष 1994-95 में हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

केन्द्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट मतदाता फोटो पहचान पत्रों की तैयारी तथा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कार्यों को निर्धारित समय में सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी द्वारा प्रश्नगत शासनादेश का पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं किया जा सका ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती में रिक्त सर्वे कानूनगो के पद पर लेखपालों की पदोन्नति न किये जाने की जानकारी

21-श्री राम करन आर्य-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 13-16 (23)/84 -868 रा-9, दिनांक 2-12-1986 के अनुसार सर्वे कानूनगो भविष्य में रिक्त होने वाले पदों में से 50 प्रतिशत नियुक्ति रेगुलर लेखपालों की पदोन्नति से भरे जायेंगे ? यदि हां, तो माह दिसम्बर, 1986 से जनपद बस्ती में कितने सर्वे कानूनगो के पद रिक्त हुये और उन पर कितने लेखपालों की पदोन्नति की गई है ? यदि पदोन्नति नहीं की गई, तो उसका कारण क्या है ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

जी हां ।

जनपद बस्ती में कार्यरत सर्वेक्षण कर्मचारी, फैजाबाद इकाई के प्रशासनिक नियंत्रण में है । वर्ष 1986 से कोई नियुक्ति/पदोन्नति यहां नहीं की गई है । रिक्त पदों को विभिन्न सर्वेक्षण इकाईयों से स्थानान्तरण करके राजस्व परिषद् द्वारा भरा गया है ।

स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्ति भर जाने के कारण पदोन्नति नहीं की गई ।

जनपद बस्ती के मुख्य राजस्व अधिकारी श्री टी0एन0 शुक्ल द्वारा जिला लेखपाल संघ बस्ती के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराये जाने व जांच रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत न किये जाने की जानकारी

22-श्री राम करन आर्य-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या तत्कालीन मुख्य राजस्व अधिकारी श्री टी0एन0 शुक्ल जनपद बस्ती द्वारा जिला लेखपाल संघ बस्ती के अध्यक्ष श्री जगन्नाथ मौर्य तथा श्री राजबहादुर मौर्य चेरमैन के विरुद्ध थाना कोतवाली बस्ती में दिनांक 20 दिसम्बर, 1993 को प्राथिमिकी दर्ज कराई गई है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच शासन स्तर से अनुसचिव, उ0प्र0 शासन लखनऊ के पत्र संख्या गोपन अनुभाग-7 सं0 305/94 गो-7-60/21/94 दिनांक 4 फरवरी, 1994 के आदेश से सी0वी0सी0आई0डी0 द्वारा कराई गई है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त जांच रिपोर्ट न तो न्यायालय में प्रस्तुत की गई और न ही चार्जशीट प्राप्त कराई गई है ? क्या सरकार उक्त रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करेगी ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

जी हां ।

जी हां ।

आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हो चुका है ।

जनपद देवरिया की ग्राम खोराराम तप्पा धतूरा परगना सिलहट की भूमि पर अनधिकृत कब्जा व आम रास्ता बन्द करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की मांग

23-श्री अक्षयवर लाल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम खोराराम तप्पा धतूरा परगना-सिलहट, जिला देवरिया के गाटा संख्या 556, 561, 565, 566 ग व 568 जो ग्राम सभा की भूमि है, पर कुछ अराजक तत्वों ने अनाधिकृत व अवैध कब्जा कर रखा है तथा आम रास्ता अवरुद्ध कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अनाधिकृत कब्जा तथा आम रास्ता बन्द करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर जमीन खाली करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

जी नहीं । गाटा संख्या 556/0.020, 561/0.024 राजस्व अभिलेखों में बंजर वर्ग-5 अंकित है परन्तु चकबन्दी प्रक्रियाओं के पूर्व से पुराने मकान मौजूद हैं । गाटा संख्या 566/0.243 अभिलेखों में आबादी वर्ग 6 (2) अंकित है तथा गाटा संख्या 566/0.036 बंजर अंकित है परन्तु मौके पर पुरानी आबादी है । गाटा संख्या 565/0.020 अभिलेख में वर्ग 6 (1) जलमग्न गड्ढा है जो मौके पर खाली पड़ा है । गाटा संख्या 568/0.057 आबादी वर्ग 6 (2) अंकित है जो मौके पर आबादी है । गाटा संख्या 566 के दक्षिण तरफ पूरब पश्चिम को एक आम रास्ता (पगडन्डी) के रूप में है जो अवरुद्ध नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के तहसील मनकापुर व तरबगंज के पट्टेदारों को कब्जा न दिलाये जाने की जानकारी

24-श्री राम विशुन आजाद-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील मनकापुर और तहसील तरबगंज जनपद गोण्डा में वर्ष 1990 से 1995 तक कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों को सरकारी असिंचित भूमि व कृषि योग्य भूमि तथा आवासी पट्टे दिये गये हैं ? क्या सभी पट्टेदारों को कब्जा मिल गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? जिन संबंधित अधिकारी की लापरवाही से अब तक कब्जा नहीं दिलाया गया है क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

उक्त अवधि में तहसील मनकापुर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र व्यक्तियों को सरकारी असिंचित भूमि, कृषि योग्य भूमि के 595 पट्टे और आवासीय भूमि के 584 पट्टे आवंटित किये गये ।

तहसील तरबगंज में सरकारी असिंचित भूमि, कृषि योग्य भूमि के 611 पट्टे एवं आवासीय 1038 पट्टे आवंटित किये गये।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

गांव सभा तरसड़ा जिला वाराणसी के प्रधान द्वारा आराजी नम्बर 688 का पट्टा किये जाने की जांच कर प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

25-श्री ऊदल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांवसभा तरसड़ा परगना पन्द्रह त0 व जिला वाराणसी के प्रधान शोभनाथ यादव जो पहले भी प्रधान थे उन्होंने आराजी नं0 688 में भगवानी स्त्री बरसाती पुत्र मथुरा को गांव तरसड़ा को भूमिहीन बनाकर पट्टा दिया था जिसको मुख्य राजस्व अधिकारी वाराणसी ने मु0 नं0 74 ता0 फैसला दिनांक 28-3-92 के द्वारा यह आदेश दिया कि बरसाती व मथुरा तथा भगवानी भूमिहीन नहीं हैं इसलिये उक्त पट्टे को निरस्त करके आदेश उद्धरण खतौनी गांव तरसड़ा बावत फसली 1392 से 1397 फसली में दर्ज करा दिया जाय ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त शोभनाथ यादव प्रधान ने अब उक्त नम्बर भूमि को भगवानी के पति बरसाती के नाम जो भूमिहीन नहीं हैं पुनः पट्टा कर दिया है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर पट्टा निरस्त करेगी और प्रधान के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

जी हां।

जी हां।

अनियमित पट्टे के निरस्तीकरण तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

गांव सभा तरसड़ा जिला वाराणसी की जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण के विषय में जांच की मांग

26-श्री ऊदल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव तरसड़ा परगना पन्द्रह त0 व जिला वाराणसी के आराजी नं0 566 रकबा 55 डि0 व आ0 नं0 564 रकबा 97 डि0 गांव सभा तरसड़ा की सम्पत्ति है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उस पर बाबूराम यादव व चन्दर यादव पुत्र बेचन यादव व हरी पुत्र इन्द्राज यादव वगैरह मकान बनवा रहे हैं और इसमें खलिहान के लिये छोड़ी गई जमीन भी है ? क्या इसके बारे में परगना हाकिम उत्तरी वाराणसी के यहां गांव वालों ने प्रार्थना-पत्र दिया है जिस पर तहसीलदार वाराणसी को जांच करने का आदेश भी है ? क्या यह भी सही है कि

परगना हाकिम व तहसीलदार को गांव सभा की सम्पत्ति की रक्षा की भी जिम्मेदारी हैं ? क्या यह भी सही है कि मकान बनाने से रोका गया है लेकिन मकान बनता जा रहा है ? क्या सरकार इसकी जांच जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा कराने का आदेश देगी ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

जी हां । भूखण्ड संख्या 566/0-55 अभिलेखों में खलिहान दर्ज है किन्तु इसमें 0-27 डि0 में सहकारी समिति का भवन बना हुआ है । शेष क्षेत्रफल में रास्ता व आबादी है । जांच में पाया गया कि जिस व्यक्ति को मकान बनाने से रोका गया अभी तक रुका है । आराजी नम्बर-566 में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ उ0प्र0 जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 122-बी के अन्तर्गत बेदखली/क्षतिपूर्ति का वाद न्यायालय में विचाराधीन है । न्यायालय के निर्णयोपरान्त कार्यवाही की जायेगी । भूखण्ड संख्या 564/0-97 बंजर के रूप में अंकित है किन्तु उसमें भी आबादी बन चुकी है । इस संबंध में जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

देवरिया जनपद में कुम्हारों को आवंटित पट्टे की जानकारी

27-श्री शिव प्रताप शुक्ला-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा कुम्हारी कला के लिये कुम्हारों को जमीन का पट्टा प्रदान करने की घोषणा के बाद देवरिया जनपद में कितने कुम्हारों को पट्टे आवंटित किये गये ? तहसीलवार उसका ब्यौरा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय द्वारा मुख्य सेविकाओं के पदों पर पर्वतीय क्षेत्र में नियुक्तियां की जाने की मांग

28-डा0 रमेश पोखरियाल (निशंक)-

क्या समाज कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि विगत दिनों बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय द्वारा मुख्य सेविकाओं के पदों पर भर्ती की गई किन्तु शासनादेश के अनुरूप हिलकैडर की अलग से विज्ञप्ति नहीं निकाली गई ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार पर्वतीय क्षेत्र के लिये पुनः हिलकैडर के तहत इन नियुक्तियों को करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम पाल-

जी हां ।

प्रकाशित विज्ञापन में उत्तरी क्षेत्र की भी विज्ञप्ति निकाली गई थी जिसमें पर्वतीय क्षेत्र के सभी जनपदों के रिक्त पद सम्मिलित थे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गांव सभा तरसड़ा जिला वाराणसी की सम्पत्ति को पात्र व्यक्तियों को दिये जाने तथा अनियमित ढंग से दिये गये पट्टे को निरस्त किये जाने की मांग

29-श्री उदल-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि गांव तरसड़ा परगना पन्द्रह त0 व जिला वाराणसी को आराजी नं0 876 रकबा 1 एकड़ 49 डि0 व 675 रकबा 20 डि0 गांव सभा की सम्पत्ति को प्रधान श्री शोभनाथ यादव ने अपने सगे भाई श्री सीताराम पुत्र जोखन यादव के नाम से पट्टा कर दिया है ? क्या इन लोगों के नाम जमीन है और इन लोगों के पिता जोखन यादव के नाम कई एकड़ जमीन गांव तरसड़ा में है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कर उपरोक्त पट्टे को निरस्त करेगी और पात्र व्यक्तियों को दिलवायेगी तथा अनियमित कार्य करने के संबंध में प्रधान के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगी ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

जी हां ।

श्री जोखन यादव के नाम ग्राम तरसड़ा में कुल 7-66 एकड़ भूमि अंकित है । उनकी मृत्यु के पश्चात् 6 पुत्रों ने मिलकर 0.54 डि0 भूमि बयनामा से प्राप्त किया, प्रत्येक के हिस्से में 1.36 2/3 एकड़ भूमि आई है । इस संबंध में जांच कराई जा रही है जांचोपरान्त पट्टा निरस्त कराने एवं दोषी कर्मचारियों/प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

जिला वाराणसी गांव तरसड़ा के निवासी दूधनाथ पुत्र मितई को दिये गये अवैधानिक पट्टे को निरस्त किये जाने की मांग

29-अ-श्री उदल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री दूधनाथ पुत्र मितई गांव तरसड़ा परगना पन्द्रह त0 व जिला वाराणसी के पास काफी जमीन है और तरसड़ा के खसरा व खतौनी में अंकित है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि आ0नं0 349/3 डि0 गांव तरसड़ा प0 पन्द्रह त0 व जिला वाराणसी को प्रधान ने दूधनाथ के नाम पट्टा कर दिया है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उपरोक्त अवैधानिक पट्टे को निरस्त करने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

श्री दूधनाथ पुत्र मितई ग्राम तरसड़ा तहसील व जिला वाराणसी के नाम 1-75 डि0 भूमि खतौनी में अंकित है ।

जी हां ।

जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट के अनुसार आशुलिपिकों को संशोधित वेतन दिये जाने की मांग

30-श्री अक्षयवर लाल-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित समता समिति की रिपोर्ट के निर्णयानुसार जिला अधिकारियों के साथ सम्बद्ध आंशुलिपिकों का वेतनमान 2000-3200 संशोधित किया गया है ? यदि हां, तो राजस्व विभाग द्वारा इसके परिप्रेक्ष्य में अब तक आदेश जारी न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त संशोधित वेतनमान के आदेश यथाशीघ्र प्रसारित करने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निवर्तमान ग्रामप्रधान ग्रामसभा चौगरी विकास खण्ड रुधौली जिला बस्ती द्वारा उच्च वर्ग के अपात्र लोगों को ग्रामसभा की भूमि के दिये गये पट्टे की जानकारी

31-श्री मयंकर सिंह तथा श्री अखिलेश-

क्या सरकार को जानकारी है कि निवर्तमान ग्रामप्रधान ग्रामसभा चौगरी विकास खण्ड रुधौली जिला बस्ती द्वारा अपने कार्यकाल में अनुसूचित/पिछड़ी/अल्पसंख्यक जाति की उपेक्षा करके उच्च वर्ग के अपात्र लोगों को ग्रामसभा की भूमि का बड़े पैमाने पर पट्टा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या इस विषय पर माह मई, 1995 में कतिपय मा0 विधान सभा सदस्यों ने लिखित शिकायत भी शासन/जिलाधीश बस्ती को भेजी है ? यदि हां, तो अब तक इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

सचना एकत्र की जा रही है ।

जिला अल्मोड़ा के उपमण्डल में आवासीय तथा अनावासीय भवनों का निर्माण कराये जाने की मांग

32-श्री बची सिंह रावत-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जिला अल्मोड़ा के रानीखेत उपमण्डल में वर्ष 1984 से सृजित भिकियासैंण तहसील के आवासीय तथा अनावासीय भवनों का निर्माण आज तक नहीं हुआ है ? क्या सरकार इन भवनों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

जनपद अल्मोड़ा में दिनांक 26 जनवरी, 1987 को सृजित तहसील भिकियासैण के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है।

उक्त निर्माण कार्य की स्वीकृति, परिव्यय/धनराशि उपलब्ध होने की दशा में ही दी जा सकेगी और तदुपरान्त ही उक्त निर्माण कार्य प्रारम्भ हो सकेगा।

जिला सोनभद्र के दुद्धी तहसील ग्रा0 रन्दह में अनुसूचित जाति के पलायित लोगों को पुस्तैनी जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग

33-श्री विजय सिंह-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला सोमभद्र के दुद्धी तहसील ग्राम रन्दह में सर्वश्री कालीचरन, राम वृक्ष, खेदू, बन्धु, महेश, नान्हू समस्त अनुसचिव जाति तथा बागल यादव, मज्जू अगरिया और फजीहत परहिया के नाम से या उनके पिता के नाम से कितने-कितने हेक्टेयर भूमि है ? क्या यह सही है कि उपरोक्त समस्त लोगों की भूमि गांव के ही दबंग लोगों द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है, जिसके फलस्वरूप उपरोक्त सभी लोग पलायित होकर रन्दह गांव छोड़ कर चले गये हैं ? क्या सरकार उपरोक्त सभी पलायित लोगों को पुनः उनके पुश्तैनी जमीन पर कब्जा दिलवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

प्रश्नगत ग्राम में सर्वश्री कालीचरन, महेश, रामवृक्ष तथा नान्हूं के नाम संयुक्त रूप से 0.1400 हेक्टेयर भूमि है जो संक्रमणीय भूमिधरी के रूप में दर्ज है। सर्वश्री छेदू पुत्र कोईली एवं बन्धू पुत्र कोईली के नाम से कोई भूमि नहीं है। यह सभी अनुसूचित जाति के हैं। श्री बोमल पुत्र जग्गू जाति अहीर के नाम 0.3016 हेक्टेयर भूमि व श्री भज्जू पुत्र चरकू अगरिया के नाम 0.8870 हेक्टेयर भूमि है। श्री फजिहत के नाम कोई भूमि नहीं है और यह जाति के परहिया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामसभा बढ़या यहतमाली महराजगंज की भूमि को पात्र भूमिहीनों में आवंटित किये जाने की मांग

34-श्री शारदा प्रसाद जायसवाल-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा बढ़या यहतमाली, जनपद महराजगंज में रकबा नं0 797 जो राजस्व अभिलेखों के खतौनी में है उसमें किसी के नाम से अंकित नहीं है ? क्या ऐसी भूमि मतरूक की श्रेणी में आती है जो राज्य

सरकार की सम्पत्ति है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि ग्रामीण पात्र भूमिहीनों, दलितों, अनुसूचितों में आवंटन कराने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

ग्राम बढ़या एहतमाली तप्पा डोमा खण्ड परगना तिलपुर तहसील निचलौल जनपद महराजगंज में गाटा सं0 797 का बन्दोबस्ती क्षेत्रफल 85.88 एकड़ है जिसमें से 3.40 एकड़ भूमि रहिमान आदि विभिन्न खातेदारों के नाम दर्ज है । शेष 82.48 एकड़ भूमि मतरूक होना पायी गई थी ।

जी हां । अभिलेखों में खर्तानी से मतरूक भूमि पर यदि किसी खातेदार को स्वत्व नहीं दिया जाता है, तो वह ग्रामसभा में दर्ज हो जाती है ।

अभिलेखों में पायी गई मतरूक भूमि पर चकबन्दी अधिकारियों द्वारा विभिन्न खातेदारों के नाम दर्ज कर दिये गये थे जिन्हें निरस्त कराने की कार्यवाही जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 48(3) के अन्तर्गत न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत की जा रही है । उक्त मतरूक भूमि ग्राम सभा में दर्ज हो जाने पर तहसील द्वारा नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी ।

मामला न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत है जिसके शीघ्र निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया जा चुका है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्राम पंचातय खेतरानी महराजगंज में पात्र व्यक्तियों को भूमि न आवंटित करने में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग

35-श्री शारदा प्रसाद जायसवाल-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम पंचायत खेतरानी, महराजगंज में वर्ष 1993-94 में कृषि योग्य भूमि तथा बंजर भूमि को दलितों मजदूरों में बांटने हेतु लेखपाल द्वारा तीन पत्रावलियां बनायी गई थी ? यदि हां, तो क्या उन पत्रावलियों में कृषि योग्य भूमि को 103 व्यक्तियों में आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया था और दूसरी पत्रावली कें 18 नसबन्दी परिवारों को आवास हेतु प्रस्ताव भूमि आवंटन हेतु किया गया था ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में भू-निरीक्षक द्वारा उपरोक्त दोनों पत्रावलियों की स्वीकृति लम्बित करते हुये चुनाव आयोग की घोषणा में भू-आवंटन में प्रतिबन्ध 12-9-94 को लगाये जाने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों के परिवार एवं भू-प्रबन्ध समिति के सदस्यों, 15 व्यक्तियों के नाम भू-आवंटन की नयी पत्रावली बनाकर 14-9-94 को स्वीकृत कर भूमि आवंटित कर दी गई है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर पात्र व्यक्तियों को भूमि आवंटित न करने में पाये गये दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध ठोस कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

जी हां ।

एक पत्रावली में भूमि प्रबन्ध समिति द्वारा अपने प्रस्ताव दिनांक 8-8-93 में 102 परिवारों को आवास स्थल आवंटन हेतु प्रस्ताव किया गया था जिसे उप जिला अधिकारी निचलौल द्वारा अपने दिनांक 30-9-94 को त्रुटिपूर्ण होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया है । दूसरी पत्रावली में 19 परिवारों को आवास स्थल हेतु भूमि आवंटन का प्रस्ताव किया गया था । उक्त परिवारों में से श्रीमती पारवती देवी एवं श्रीमती मथुरा देवी को आवास हेतु आवंटित भूखण्ड संख्या-1594 क्षेत्रफल 0.03 एकड़ एंव 2523 क्षेत्रफल 0.03 एकड़ भूमि रास्ते की भूमि होने के कारण अनुमोदित नहीं किया गया । शेष 17 परिवारों को परगनाधिकारी द्वारा दिनांक 20-12-94 को आवास स्थल हेतु भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई ।

उक्त दोनों प्रस्ताव भूलेख निरीक्षक द्वारा स्वीकृत कराने में विलम्ब नहीं किया गया है । तीसरी पत्रावली में भू0प्र0सं0 खेसरारी द्वारा किये गये प्रस्तावानुसार 15 परिवारों में से बबुनी पुत्र कुन्जी के पास सीमा से अधिक भूमि होने के कारण इन्हें छोड़कर शेष 14 परिवारों को कृषि योग्य भूमि के आवंटन के प्रस्ताव पर स्वीकृति दिनांक 14-9-94 को परगनाधिकारी द्वारा प्रदान कर दी गई । जहां तक चुनाव आयोग द्वारा भूमि आवंटन पर लगा प्रतिबन्ध का प्रश्न है वह आदेश उप जिलाधिकारी निचलौल को दिनांक 17-10-94 को प्राप्त हुआ है ।

चूंकि उक्त प्रस्ताव परगनाधिकारी द्वारा परीक्षणोपरान्त ही स्वीकृत/अस्वीकृत किये गये हैं, अतः किसी अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद हरदोई के निवासी श्री जगन्नाथ पुत्र श्री बल्देव ग्राम मांझा गांव तहसील सन्डीला की जमीन की पैमाइस करके कब्जा दिलाये जाने की मांग

36-श्री अमित अग्रवाल-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि श्री जगन्नाथ पुत्र श्री बल्देव निवासी ग्राम मांझा गांव परगना व तहसील सण्डीला जनपद हरदोई की भूमि खसरा संख्या 36 व 179 रकबा 12 विश्वा 13 विश्वांसी व 18 विश्वा 7 विश्वांसी के कुछ भाग पर अनधिकृत व्यक्ति कब्जा किये हुये हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि दिनांक 17-9-86 को तत्कालीन डी0डी0सी0 ने यह आदेश पारित किया था कि इनके चकों की पुनः पैमाइश करके इनकी जमीन पर कब्जा दिला दिया जाये ? यदि हां, तो इतना समय बीत जाने के बाद भी आज तक पुनः पैमाइश करके कब्जा न दिलाये जाने हेतु कौन दोषी है ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? कब्जा कब तक दिला दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

जिलाधिकारी, हरदोई की आख्या के अनुसार श्री जगन्नाथ पुत्र श्री बल्देव निवासी ग्राम मांझगांव जनपद हरदोई की अपनी उक्त भूमि को रु0 5000/- में श्री मूलचन्द्र पुत्र श्री मिट्ठू लाल को दिनांक 13-8-91 को रेहन रखकर कब्जा दिला दिया है। इस प्रकरण की जांच जिला स्तर पर कराई गई। जांच में श्री जगन्नाथ ने अपनी सहमति दी है कि रेहन का रुपया चुकाने के बाद उक्त भूमि पर उसे कब्जा दिला दिया जाय। फिर भी चकबन्दी आयुक्त को प्रकरण की जांच हेतु पुनः शासन द्वारा निर्देशित कर दिया गया है। जांचोपरान्त यदि अवैध कब्जा पाया गया तो नियमानुसार कब्जा हटाने की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

दिनांक 17-9-86 को उप संचालक चकबन्दी का पैमाइश संबंधी कोई आदेश पारित होना नहीं पाया जाता है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

37-श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

(चौथे बुध में अता0प्र0सं0 166 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

ग्राम सिसवा बुजुर्ग विकास खण्ड सिसवा जनपद महराजगंज में खतौनी संख्या 960/90 डिसमिल पर दर्ज पोखरी पर अनधिकृत कब्जे को हटाकर बिन्द मल्लाहों को मत्स्य पालन हेतु पट्टा आवंटित किये जाने की मांग

38-श्री शारदा प्रसाद जायसवाल-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्रामसभा सिसवा बुजुर्ग विकास खण्ड सिसवा, जनपद महराजगंज में खतौनी संख्या 960/90 डिसमिल पर पोखरी दर्ज है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि पोखरी पर कब्जा प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा किया गया है और पोखरी में मत्स्य पालन द्वारा हजारों-हजारों की आमदनी बिना ग्राम सभा को लाभांश दिये ही की जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार शासनादेश के अन्तर्गत उपरोक्त पोखरी को सवर्ण प्रभावकारी व्यक्ति के कब्जे से लेकर बिन्द मल्लाहों को मत्स्य पालन के लिये पट्टा आवंटित करने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र कुमार-

जी हां।

इस संबंध में मोहन सिंह बनाम गांव सभा विषयक वाद चकबन्दी अधिकारी दीवान बाजार गोरखपुर के न्यायालय में विचाराधीन है जिसके निर्णीत होने पर शासनादेश के अनुरूप पट्टे की कार्यवाही शीघ्र ही कराई जायेगी।

जनपद आगरा की तहसील किरावली के ग्राम नारौल के अनुसूचित जाति के लोगों को आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाये जाने की मांग

39-श्री बदन सिंह-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा की तहसील किरावली के ग्राम नारौल के अनुसूचित जातियों को आवंटित की गयी भूमि पर कई वर्ष बीत जाने पर भी तहसीलदार किरावली द्वारा कब्जे नहीं कराये गये हैं ? यदि हां, तो इन अनुसूचित जाति के लोगों को उक्त भूमि पर कब तक कब्जा दिलवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

जी नहीं । ग्राम सभा में निहित कृषि योग्य भूमि तथा अतिरिक्त घोषित भूमि के सभी आवंटियों को कब्जे दिला दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला फैजाबाद की तहसील बीकापुर के विकास खण्डों के विधवा, विकलांग और निराश्रित व्यक्तियों के बकाये पेंशन, नियमित भुगतान किये जाने की मांग

40-श्री परशुराम यादव-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद की तहसील बीकापुर के विकास खण्ड बीकापुर तथा विकास खण्ड तारून के लगभग दो दर्जन गांवों में रह रहे विधवा, विकलांग और निराश्रित पेंशन पाने वालों की पेंशन रोक दी गई है ? यदि हां, तो पूर्व से पेंशन पाते चले आये लोगों की पेंशन किस आधार पर और कब से रोकी गई है ? क्या मंत्री जी पेंशन रोके जाने के सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कराकर दोषी लोगों को दण्डित कराने और पेंशनार्थियों का बकाया पेंशन एवं लगातार पेंशन भुगतान किये जाने के लिये कार्यवाही करेंगे ?

श्री श्रीराम पाल-

जी नहीं ।

प्रश्नगत क्षेत्र के लाभ प्राप्त कर रहे किसी पात्र लाभार्थी की पेंशन रोकी नहीं गई है ।

प्रश्नगत क्षेत्र की पूर्व से लाभ प्राप्त कर रहीं 392 विधवाओं में से सत्यापन के पश्चात् अपात्र पायी गयी 64 विधवाओं की पेंशन रोकी गई है । रोकने की तिथि की जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

समाज कल्याण अधिकारी कानपुर नगर को प्राप्त शिकायती पत्र के संबंध में कृत कार्यवाही की जानकारी

41-श्री महेश चन्द्र-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 12-3-95 समाज कल्याण अधिकारी कानपुर नगर एवं समाज कल्याण मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पत्र की मुख्य-मुख्य बातें क्या है ? क्या पत्र में उल्लिखित शिकायत का निराकरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस तिथि को ? यदि नहीं, तो उक्त पत्र में उल्लिखित शिकायत का निराकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री श्रीराम पाल-

जी हां ।

मा0 सदस्य के पत्र द्वारा विधान सभा सदस्य के पत्रों पर कृत कार्यवाही से अवगत कराने व जन समस्याओं का निराकरण करने की अपेक्षा की गई है ।

मा0 सदस्य से प्राप्त पत्रों के संबंध में कृत कार्यवाही से अपर जिलाधिकारी (परियोजना)/जिला समाज कल्याण अधिकारी कानपुर नगर के पत्र दिनांक 22-4-95 द्वारा मा0 सदस्य को अवगत करा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामसभा पारा सराय तहसील व जिला गोण्डा में ग्रामसभा की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

42-श्री घनश्याम शुक्ल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाटा संख्या 722 ग्रामसभा पारा सराय तहसील गोण्डा पर कुछ लोगों द्वारा ग्रामसभा की जमीन पर गलत तरीके से अतिक्रमण कर लिया गया है ? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर अवैध कब्जा करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

जी हां । अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122-बी के अन्तर्गत बेदखली/क्षतिपूर्ति हेतु वाद योजित किया गया है । निर्णय के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

ग्रामसभा खरगुपुर इमलिया तहसील व जिला गोण्डा में खलिहान की जमीन पर से अनधिकृत कब्जा हटाये जाने व दोषी व्यक्तियों को दण्डित किये जाने की मांग

43-श्री घनश्याम शुक्ल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा खरगुपुर इमलिया तहसील गोण्डा में खलिहान के लिये गाटा संख्या 805 (35 डि0) छुटी थी ? क्या उस पर कुछ गलत तत्वों द्वारा अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है ? क्या सरकार उक्त खलिहान की जमीन से कब्जा कर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

जी हां ।

श्री लाल मोहम्मद पुत्र मुनीर निवासी ग्राम खरगुपुर टाउन से अनधिकृत रूप से मकान बनाना प्रारम्भ कर दिया था ।

अवैध निर्माणकर्ता के विरुद्ध उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122-बी के अन्तर्गत बेदखली तथा क्षतिपूर्ति के लिये प्रस्तुत वाद तहसीलदार के न्यायालय में विचाराधीन है । मौके पर कार्य रोक दिया है । वाद के निर्णय के उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

ग्रामसभा पडरी कृपाल तहसील व जिला गोण्डा में ग्रामसभा की भूमि से अतिक्रमण हटाकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित किये जाने की मांग

44-श्री घनश्याम शुक्ला-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामसभा पडरी कृपाल तहसील गोण्डा में गाटा संख्या 68-41 डि0 जो ग्रामसभा की जमीन है, क्या उक्त भूमि पर कुछ लोगों ने गलत तरीके से अतिक्रमण कर लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमण हटवाकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

ग्राम पडरी कृपाल स्थित गाटा संख्या 68/0.41 डि0 राजस्व अभिलेखों में श्रेणी-6 आबादी दर्ज है । इस भूखण्ड में एक मकान श्री नन्दन मोहन मिश्रा पुत्र श्री जगदीश मिश्रा का बना हुआ है तथा इसी भूखण्ड में सरकारी अस्पताल बना हुआ है । उक्त भूमि श्रेणी-6 आबादी दर्ज होने के कारण इसमें निर्मित मकान को अवैध अतिक्रमण नहीं कहा जा सकता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आयुक्त आगरा के कार्यालय में जाली नकल जारी करने में दोषी कर्मचारियों के निलम्बन/गिरफ्तारी की मांग

45-डा0 राम बाबू हरित-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि आयुक्त आगरा के कार्यालय में वर्ष 1993 में कितने कर्मचारी जाली नकल जारी करने में निलम्बित हुये हैं ? क्या किसी के खिलाफ प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज हुई है ? यदि हां, तो क्या किसी की गिरफ्तारी भी हुई है ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

आयुक्त आगरा के कार्यालय में वर्ष 1993 में जाली नकल जारी करने में एक कर्मचारी श्री मोहम्मद रफीक खां, निलम्बित किये गये ।

जाली नकल जारी करने के संबंध में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट मु0अ0सं0 657/ धारा 467/468/420/471 (आईपी0सी0) थाना ताजगंज में दिनांक 8-12-1993 को समय 19-20 बजे श्री रामजीत सिंह, निलम्बित प्रधान ग्रामसभा टमोटिया तहसील इगलास जनपद अलीगढ़, सन्तोष व रमेश, मोहर्रिर (मुन्शी) कमिश्नरी, आगरा के विरुद्ध दर्ज करायी गई थी ।

उक्त मुकदमें में अभियुक्त सन्तोष, मोहर्रिर व रमेश, मोहर्रिर ने न्यायालय में हाजिर होकर जमानत करा ली है । अभियुक्त रामजीत की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है । इसके साथ ही पुलिस द्वारा अभियुक्त माने गये श्री राम दयाल ने दिनांक 2-10-1994 को न्यायालय में हाजिर होकर जमानत करा ली है तथा अभियुक्त मो0 रफीक खां की गिरफ्तारी व जमानत नहीं हुई है । श्री राम दयाल व मो0 रफीक को आरोप पत्र जारी कर विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जा रही है जो प्रगति पर है । इस पर शीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा ।

ग्राम व परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्थित भूमि का नायब तहसीलदार द्वारा मेसर्स प्रीति नगर हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी लि0 के पक्ष में की गई दाखिल खारिज की जानकारी

46-श्री अक्षयवर लाल-

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम व परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ स्थित भूमि खसरा नं0 1434 श्रेणी-1 की संक्रमणीय भूमि है, जिसे मेसर्स प्रीति नगर हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी लि0 लखनऊ ने श्री अब्दुल अजीज खां से दिनांक 23-7-85 को क्रय की थी और जिसका दाखिल खारिज नायब तहसीलदार सदर लखनऊ द्वारा दिनांक 6-2-89 को सोसाइटी के पक्ष में जारी किया जा चुका है ? क्या वर्तमान परगनाधिकारी, सदर लखनऊ ने उक्त भूमि पर हो रहा निर्माण कार्य मौखिक आदेश से पुलिस द्वारा रुकवा दिया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दण्डित करेगी ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

प्रकरण में विस्तृत जांच करके नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने तथा दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम 301 की सूचनायें ले रहा हूं। आज दिनांक 17 अगस्त, 1995 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 28 सूचनायें प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुये निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गईं-

जनपद फतेहपुर के बिन्दकी नगर में सड़कों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अमरजीत सिंह जनसेवक-

महोदय, बिन्दकी नगर में प्रवेश करते समय चाहे जिस रास्ते से जाइये कस्बे में घुसते समय चार-चार फिट के गड्ढे गाड़ी तो दूर रही, पैदल चलना, साइकिल से उतरना भारी दिक्कत तलब है। जिले में बड़ी व्यापारिक मण्डी है दूर-दूर का किसान यहां अपने रोज मर्रा की चीजें खरीदने व बेचने के लिये आता है। प्रवेश द्वारों पर केवल 500-500 मीटर सड़क की दुर्दशा से 100 मीटर की दूरी तक जल भराव है जिससे बिन्दकी कस्बे का सम्बन्ध पूरे प्रदेश से टूटने की आशंका है। सड़कें पी0डब्लू0डी0 के अन्तर्गत हैं किन्तु लोक निर्माण बिल्कुल आंख मीचे हुये हैं यदि इन सड़कों की मरम्मत शीघ्र नहीं होती है तो इस क्षेत्र में एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा कराये जाने की कृपा करें।

भदोही तथा वाराणसी जनपद में सेवापुरी विकास खण्ड के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर समुचित चिकित्सकीय व्यवस्था न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रंगनाथ मिश्र-

महोदय, जनपद भदोही तथा जनपद वाराणसी में सेवापुरी विकास खण्ड के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तथा भदोही जिले के मुख्य चिकित्सालयों पर समुचित चिकित्सकीय व्यवस्था न होने के कारण आये दिन रोगी कालकवलित हो जाते हैं। जीवन रक्षक दवाओं का सर्वथा अभाव रहता है कोई डाक्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रात में नहीं रहता कभी-कभी सप्ताह तक डाक्टर नहीं मिलते। पिछले

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिनों औराई में एक बस दुर्घटना से गम्भीर रूप से घायल लोगों की प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर दवा के अभाव में मृत्यु हो गई। सेवापुरी के पंचवाई उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कभी भी डाक्टर नहीं आते, काफी दिनों से अस्पताल बन्द पड़ा है। जगन्नाथपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर भी डाक्टर नहीं आते, गोपीगंज व ज्ञानपुर के डाक्टर अपना निजी नर्सिंग होम खोल रखे हैं। रोगी से पैसा लेकर ही इलाज करते हैं। अतः माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह है कि इस लोक महत्व के प्रश्न पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन को निर्देशित करने की कृपा करें।

गोण्डा जिले में मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत टिकरी से रौजा मार्ग को बनवाने हेतु मण्डी समिति द्वारा धन आवंटित कराये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम विशुन आजाद-

महोदय, हमारे क्षेत्र मनकापुर "सुरक्षित" में टिकरी से रोजा मार्ग जिसकी दूरी लगभग 10 कि0मी0 है काफी पुरानी सड़क है। कुछ दूरी तक पत्थर की कुटाई हुई है। और कुछ दूरी तक लेपन का कार्य भी हुआ है। यह विकास खण्ड वजीरगंज के अन्तर्गत आता है। काफी पिछड़ा इलाका है विकास के नाम पर कोई ऐसी चीज नहीं हुई है जिसका उल्लेख यहां पर किया जा सके। निदेशक मण्डी समिति उ0प्र0 से इस सड़क को बनवाने हेतु मांग की थी मगर आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ। मण्डी समिति कोई न कोई बहाना बनाकर टालती रही। आज स्थिति यह है कि समिति को इस अधूरी सड़क से लाभ भी काफी है मगर इसके लेपन हेतु धन की स्वीकृति नहीं हो पा रही है जिससे आवागमन में लोगों को काफी कठिनाई हो रही है और जनता में रोष व्याप्त है। जनता की तरफ से भी स्थानीय अधिकारियों से जोर देकर निवेदन किया गया था मगर उनकी भी कुछ नहीं सुनी गई आश्वासन देकर टाल दिया गया। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार को निर्देशित किया जाय ताकि मण्डी समिति से तत्काल धन आवंटित कर कार्य अविलम्ब कराने हेतु आदेश देने की कृपा करें।

(कतिपय माननीय सदस्यों द्वारा माननीय मंत्रियों के बगल में खड़े होकर कुछ कागज देने पर)

श्री अध्यक्ष-

आदरणीय सदस्यगण, आदरणीय मंत्रीगण सदन की गरिमा का ध्यान रखें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद महराजगंज में मुख्यालय का निर्माण कराये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री चन्द्र किशोर-

मान्यवर, निवेदन है, सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि महराजगंज को जनपद घोषित हुये 6 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं मगर अभी तक जनपद मुख्यालय का निर्माण प्रारम्भ नहीं हो सका है । मा0 मुख्य मंत्री ने भी सभी नवसृजित जनपदों का 16 अगस्त, 1994 से निर्माण प्रारम्भ कराने का निर्देश दिया था, जिसमें महराजगंज आज भी अछूता है तथा इसी क्रम में सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि विगत शासनकाल में एक स0पा0 विधायक के दबाव में महराजगंज मुख्यालय का निर्माण न हो सका । जनपद मुख्यालय के लिये आवश्यक ढाई सौ एकड़ भूमि किसानों की सहमति से हो चुकी है तथा भूमि का निरीक्षण भी सम्बन्धित अधिकारी कर चुके हैं । भवन निर्माण हेतु आवश्यक धन भी शासन के पी0एन0ए0 (पी0एल0ए0) खाते में पड़ा हुआ है । जिलाधिकारी महराजगंज, आयुक्त गोरखपुर तथा प्रमुख सचिव, राजस्व को वांछित रिपोर्ट भी शासन को मिल चुकी है तथा माननीय राज्य मंत्री भी देख आये हैं । अतः माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे अनुरोध है कि अति पिछड़े जनपद महराजगंज के मुख्यालय का निर्माण कराते हुये माननीय मुख्य मंत्री महोदय को निर्देशित करने का कष्ट करें ।

प्रतापगढ़ के बीरापुर-क्षेत्रान्तर्गत राज्य योजना द्वारा स्वीकृत अधूरे मार्गों को पूरा कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय-

मान्यवर, जनपद प्रतापगढ़ की बीरापुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत दमदम-सुल्तानपुर मार्ग, जामताली-नजियापुर मार्ग, शंकरगंज-दुर्गागंज मार्ग, कैलीडीह-भोजेमऊ मार्ग, रामापुर-लच्छीपुर मार्ग, दिलीपपुर-कादीपुर घाट मार्ग, लच्छीपुर चोहरजन मार्ग राज्य योजनान्तर्गत 1994-95 में स्वीकृत हुये थे, कहीं पर गिट्टियां पड़ी हैं तो कहीं की सड़क उखाड़ दी गई है, क्षेत्रीय जनता का उन मार्गों पर से आना जाना भी दूभर हो गया है । मात्र प्रथम किश्त ही अभी तक इन मार्गों पर भेजी गई है । जनहित में इन मार्गों को तत्काल पक्का कराया जाना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है । अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर मैं आपके माध्यम से सरकार का तत्काल प्रभावी ध्यान आकृष्ट कराने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत सदन में सूचना देता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनपद सिद्धार्थनगर स्थित पर्यटक स्थल पिपरहवां (कपिलवस्तु) को विकसित कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री धनराज यादव-

महोदय, प्रदेश के पर्यटक स्थलों में पिपरहवां (कपिलवस्तु) जनपद सिद्धार्थनगर का स्थान प्रमुखता से अंकित किया गया है। यह वही पवित्र स्थल है जहां भगवान बुद्ध अपने शैशव एवं युवाकाल में 35 वर्ष व्यतीत किये थे। सरकार ने इसे विकसित करने हेतु 100 एकड़ किसानों की भूमि अधिग्रहीत कर लिया है। शाक्यवंश का प्राचीन राजमहल तथा स्तूप के पास भी अत्यधिक भूमि पड़ी है। इस पवित्र स्थल पर श्री लंका के राष्ट्रपति श्री जयवर्धने एवं श्री प्रेमदास आ चुके हैं। विभिन्न बौद्ध देशों के यात्री प्रायः आया करते हैं। अभी तक मात्र एक पर्यटक आवास बना हुआ है जापान, वर्मा, लंका, चीन आदि बौद्ध देशों के पर्यटक इस महत्वपूर्ण स्थलों को बड़ी लालसा एवं उत्सुकता से देखने के लिये आते हैं किन्तु इसे अविकसित देखकर दुखी तथा निराश मन से लौट जाते हैं और अपनी सरकार के प्रति कोई अच्छा दृष्टिकोण बना पाने में असमर्थ दिखाई देते हैं। यह अति महत्वपूर्ण लोक हित का सुनिश्चित प्रश्न है। जिसे सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि इसे शीघ्र विकसित करने हेतु सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें।

शाहजहांपुर नगर परिषद् की सड़कों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

महोदय, शाहजहांपुर नगर परिषद् की सड़कों की हालत अत्यन्त खस्ता है नगर में 5 मुख्य मार्ग हैं :- वजीरगंज से अन्टा चौराहा (1) केसगंज से कचहरी (2) चारखम्बा से गोविन्दगंज (3) घंटाघर से स्टेशन (4) वजीरगंज से अन्टा चौराहा (5) कच्चा कटरा से कनौजिया नर्सिंग होम होते हुये लाल इमली का चौराहा, इस पांचों मुख्य मार्गों का हाल इतना खराब है कि यदि कोई जच्चा रिक्शे पर बैठकर बच्चा जननें हेतु अस्पताल तक जाना चाहे तो उसको अस्पताल पहुंचने की स्थिति नहीं आयेगी। रास्ते में ही उसको शिशु को जन्म देना पड़ेगा इन सड़कों को देखकर यह कह पाना मुस्किल है कि इन सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़के हैं इन पर प्रतिदिन दुर्घटनायें होती रहती हैं उपरोक्त मार्गों के अतिरिक्त कुछ अन्य मार्ग जैसे लाल इमली के चौराहे से परवी होटल, काला चौराहा तक (ब) गरी फाटक से फतेहपुर पुलिस चौकी (स) मिशन कालेज से सुनहरी मस्जिद तक (द) चौक चौराहे से बगले तले तक (ड) घासमण्डी से सरायं होती हुई विसरां चौराहे तक (क) जी0आई0सी0 से सदन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चौराहा होती हुई मोहनगंज तक (ख) बहादुरगंज से इस्मालिया कालेज तक (जेल रोड) (ग) अन्जान चौकी से घंटा चौराहा तक के मार्गों की मरम्मत होना अत्यन्त आवश्यक है। यदि इतनी मरम्मत/पुनः निर्माण नहीं होता है तो आये दिन होने वाली दुर्घटनाओं को रोका नहीं जा सकता है। लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये इसकी मरम्मत/पुनर्निर्माण की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

शेष सूचनायें अस्वीकृत की जाती हैं।

बजट साहित्य समय से उपलब्ध न कराये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

व्यवस्था का प्रश्न मैं आपकी अनुमति से उठाना चाहता हूं कि बजट सत्र चल रहा है और विभिन्न विभागों का बजट साहित्य एक सप्ताह पहले नहीं तो कम से कम 3 दिन पहले तो अवश्य मिल जाना चाहिये। जबकि हो यह रहा है कि आज जिस विभाग का बजट है उसका साहित्य दूसरे दिन मिल रहा है जिससे विभागों की महत्वपूर्ण जानकारी की योजना क्या है, क्या उपलब्धियां हैं आदि बातों की जानकारी से हम लोग वंचित हो रहे हैं? एक-एक दिन में 5-7 विभागों के बजट रखे जा रहे हैं? इसलिये बजट साहित्य को पढ़ने का यहां तो मौका मिलता नहीं है और पहले से साहित्य न मिलने से घर पर भी नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिये इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि जो बजट पेश हो उससे पूर्व बजट साहित्य हम लोगों को प्राप्त हो सके।

*पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

मान्यवर, यह सही है कि बजट साहित्य समय पर माननीय सदस्यों को मिलना चाहिये। मान्यवर, आज कुछ ज्यादा बजट लग गये हैं। लेकिन माननीय सदस्यों की प्रार्थना थी कि शनिवार को जो बजट लगाये गये थे, उस पूरी कार्यसूची के बारे में तमाम मा0 सदस्यों ने अपने अपने नेताओं से अनुरोध किया था कि शनिवार की कार्य सूची को आज ले लिया जाये और शनिवार की बैठक न हो तो ठीक रहेगा, इसलिये इस बात को ध्यान में रखते हुये नेताओं ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में कहा था कि शनिवार को छुट्टी रखी जाय, इसलिये इसे बैठक में स्वीकार कर लिया गया था और शनिवार की कार्यसूची आज लगानी पड़ी। मैं समझता हूं कि आज का बजट साहित्य आपको मिल गया होगा। मैं समझता हूं कि वह पूरा अध्ययन कर चुके होंगे। मा0 पाल साहब खड़े हैं यह भी पहले ही पढ़कर आये हैं इसलिये यह औचित्य का प्रश्न बनता नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

इस संबंध में पहले भी कई बार निर्देशित किया जा चुका है। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से चाहूंगा कि मा0 सदस्यों को समय से बजट साहित्य अवश्य उपलब्ध करा दिया जाया करे।

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 17-8-95 को नियम 300 के अन्तर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं उनमें एक सूचना जो श्री मातबर सिंह कण्डारी तथा श्री भैरों प्रसाद मिश्र की है, आयुक्त गढ़वाल मण्डल द्वारा दिनांक 20-8-95 को जन प्रतिनिधियों की बैठक सत्र के दौरान बुलाये जाने के संबंध में है, इस संदर्भ में कई बार शासन का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है। अतः पहले से दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाय। और अन्य सभी नियम 300 की सूचनाओं को मैं अस्वीकार करता हूं।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, मैंने भी इस नियम में एक सूचना दी थी कि 7 अगस्त को सूचना विभाग की अनुदान की मांगों पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव का संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर भाषण नहीं दिया गया था ..... (व्यवधान)

उत्तर प्रदेश बारहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का तृतीय एवं चतुर्थ प्रतिवेदन +

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, मैं सदस्य, प्रतिनिहित विधायन समिति आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बारहवीं विधान सभा प्रतिनिहित विधायन समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

मान्यवर, मैं सदस्य प्रतिनिहित विधायन समिति, उत्तर प्रदेश बारहवीं विधान सभा का प्रतिनिहित विधायन समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

जनपद लखनऊ नगर के मास्टर प्लान में स्वीकृत तुलसीदास मार्ग पर अनधिकृत रूप से निर्माण की गई दुकानों को हटवाये जाने के संबंध में श्री के0के0 अवस्थी आदि की याचिका ++

श्री राम कुमार शुक्ल-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद लखनऊ नगर मास्टर प्लान में स्वीकृत तुलसीदास मार्ग पर अनधिकृत रूप से निर्माण की गई दुकानों को हटवाये जाने के संबंध में श्री के0के0 अवस्थी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

समाचार पत्रों में छपे विधायकों के दल बदल सम्बन्धी कार्य में पीठ पर लगाये गये आक्षेप के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है कि जैसे करीब तीन

+ छापा नहीं गया।

++ छापा नहीं गई।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पहले 13 अगस्त को कुछ समाचार पत्रों में मा0 मुख्य मंत्री जी के आवास स्थान पर विधायकों के दल बदल के लिये बुलाये जाने के सम्बन्ध में है, यह बहुत गम्भीर विषय है।

श्री अध्यक्ष-

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है मैं इस पर आपको नहीं सुनूंगा।

*श्री प्रमोद तिवारी-

यह सदन की मान्य परम्परा है कि दल बदल का मुख्य मंत्री जी पर आरोप लगा है। (व्यवधान)

आपकी सीट पर और आपके सचिव पर आरोप लगा देना अच्छा नहीं है। यह आप पर आरोप लगाया गया है कि आप पीठ पर रह कर दल बदल करा रहे हैं।

श्री ऊदल-

समाचार पत्रों में छपी हुई किसी बात का यहां संज्ञान ही नहीं लिया जा सकता है। इन पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं बन सकता है।

श्री नरेश अग्रवाल-

उस पीठ पर अगर आरोप लगाया जायेगा तो उसकी आपको सफाई देनी चाहिये।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

अपने देश में अभिव्यक्ति की पूर्ण आजादी है अखबारों में क्या छपता है यह उनकी आजादी है। उनको वाक्य स्वातंत्र्य मिला हुआ है। इसलिये नियमानुसार इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता है। इसलिये इसको आप निरस्त करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

इस विषय पर मैंने श्री नरेश अग्रवाल तथा श्री प्रमोद तिवारी और संसदीय कार्य मंत्री को सुना। उनको सुनने के बाद मेरा यह निर्णय है कि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता है। मैं इसे निरस्त करता हूं मैं पूरी तरह से इसका प्रतिवाद करता हूं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

माननीय सदस्यगण कृपया बैठ जायें। व्यवस्था के नाम पर भाषण या जो सूचना आपने दी है उसको उठायेंगे तो यह उचित नहीं है। मैं खड़ा हूं आप लोग बैठ जायें।

*श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपकी व्यवस्था इस पर चाहूंगा कि अभी माननीय नरेश अग्रवाल जी ने एक सवाल उठाया, दल बदल से जुड़ा हुआ और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसके साथ आपको भी सम्बद्ध कर दिया । मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब (xxx) दल बदल करते थे तो (× × ×) को पास में बैठा लेते थे और बड़े खुश होते थे। मैं कहना चाहता हूं कि जिस रास्ते पर श्री मुलायम सिंह चले, यह सरकार और सुश्री मायावती उस रास्ते पर न चलें । यह जरूर कहना चाहूंगा और व्यवस्था इस पर चाहूंगा कि...

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरा नाम लिया गया है और परम्परा यह है कि जब किसी सदस्य का नाम लिया जाता है तो उसे स्पष्टीकरण का मौका दिया जाता है।

श्री राम आसरे वर्मा-

अभी बात पूरी नहीं हो पाई है। मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आदरणीय सदस्यगण से अनुरोध है कि वह बैठ जायं । मा0 तीरथ राज जी अपनी याचिका उपस्थित करें ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरा नाम लिया गया है, मुझे स्पष्टीकरण का मौका दिया जाना चाहिये।

(व्यवधान)

जनपद बाराबंकी के ब्लाक रुदौली के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बरावां में पंचायत भवन बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राम धीरज मौर्य आदि की याचिका +

श्री तीरथ राज-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से (1) जनपद बाराबंकी के ब्लाक रुदौली के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बरावां में पंचायत भवन बनवाये जाने के संबंध में श्री राम धीरज मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद बाराबंकी की ग्राम पंचायत बरावां ब्लाक रुदौली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के संबंध में श्री राम धीरज मौर्य आदि की याचिका +

श्री तीरथ राज-

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से जनपद बाराबंकी की ग्राम पंचायत बरावां, ब्लाक रुदौली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के संबंध में श्री राम धीरज मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

नोट:-(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

+ छापी नहीं गई ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरा नाम लिया गया है और मुझे स्पष्टीकरण का मौका दिया जाय नहीं तो आप इसे कार्यवाही से निकलवा दें ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैं इसको दिखवा लूंगा । अगर किसी तरह से संसदीय परिपाटी का उल्लंघन होगा तो मैं दिखलवा दूंगा ।

जनपद बहराइच की क्षेत्र समिति इकौना में नीरपुर चौराहे से खैरगुपुर जाने वाले मार्ग पर कुंवांना नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री कामेश्वर तिवारी आदि की याचिका ।

श्री अक्षयवर लाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से (1) जनपद बहराइच की क्षेत्र समिति इकौना में नीरपुर चौराहे से खरगुपुर जाने वाले मार्ग पर कुंवांना नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री कामेश्वर तिवारी निवासी जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

जनपद बहराइच के अन्तर्गत इकौना क्षेत्र में बीसलपुर चौराहे से परशुरामनगर लाल बोझी होते हुये जनपद गोण्डा की सीमा तक सड़क को पक्की कराये जाने के संबंध में श्री अर्जुन प्रसाद आदि की याचिका ।

श्री अक्षयवर लाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बहराइच के अन्तर्गत इकौना क्षेत्र में बीसलपुर चौराहे से परशुराम नगर, लाल बोझी होते हुये जनपद गोण्डा की सीमा तक सड़क को पक्की कराये जाने के संबंध में श्री अर्जुन प्रसाद व अन्य, निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

जनपद बहराइच की क्षेत्र समिति विशेश्वरगंज, इकौना व पयागपुर को आपस में जोड़ने वाले मार्ग को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगदम्बा शुक्ला आदि की याचिका ।

श्री अक्षयवर लाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, जनपद बहराइच की क्षेत्र समिति विशेश्वरगंज, इकौना व पयागपुर को आपस में जोड़ने वाले 21 कि0मी0 लम्बे मार्ग को पक्का कराये जाने के संबंध में श्री जगदम्बा शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

+ छापी नहीं गयी ।

जनपद बहराइच की क्षेत्र समिति पयागपुर में, बहराइच गोण्डा मार्ग पर शिवदहा मोड़ से शिवदहा होते हुये गिलौला तक जाने वाली सड़क को पक्की कराये जाने के संबंध में श्री मैन बहादुर सिंह आदि की याचिका ।

श्री अक्षयवर लाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, जनपद बहराइच की क्षेत्र समिति पयागपुर में बहराइच गोण्डा मार्ग पर शिवदहा मोड़ से शिवदहा होते हुये गिलौला तक जाने वाली सड़क को शिवदहा से आगे बढ़ाते हुये गिलौला तक 4 कि0मी0 पक्की कराये जाने के संबंध में श्री मैन बहादुर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 16 अगस्त, 1995 की बैठक में सदन के वर्तमान सत्र के उपवेशनों के तिथिवार कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:-

(समय 1 बजे)

1-दिनांक 19 अगस्त, 1995 को सदन का उपवेशन न रखा जाय और दिनांक 19 अगस्त, 1995 के लिये निर्धारित लोक निर्माण विभाग, उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग), लघु उद्योग (हथकरघा उद्योग) तथा वन विभाग के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान सम्बन्धी कार्य दिनांक 17 अगस्त, 1995 को कृषि विभाग के उपरान्त रखा जाय । इसके अतिरिक्त दिनांक 19 अगस्त, 1995 के लिये निर्धारित उद्योग विभाग की अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान सम्बन्धी कार्य दिनांक 21 अगस्त, 1995 को रखा जाय ।

2-दिनांक 22 अगस्त, 1995 के लिये निर्धारित उत्तराखण्ड विकास विभाग की अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान सम्बन्धी कार्य दिनांक 21 अगस्त, 1995 को रखा जाय तथा दिनांक 23 अगस्त, 1995 के लिये निर्धारित गृह विभाग (पुलिस) एवं अन्य विभागों से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान सम्बन्धी कार्य दिनांक 22 अगस्त, 1995 को रखा जाय और उसी दिन अपराह्न 4.00 बजे उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1995 को सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण रखा जाय ।

3-दिनांक 22 अगस्त, 1995 को नियम 56 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायं ।

+ छापी नहीं गई ।

4-सदन का दिनांक 17 अगस्त, 1995 से 22 अगस्त, 1995 तक के उपवेशनों का सदन द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किया जाय :-

अगस्त, 1995

17 गुरुवार	1-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण:- (क) उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1995 -आधा घण्टा। (ख) उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत लाटरी (निवारण) विधेयक, 1995 --आधा घण्टा। 2.-वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
18 शुक्रवार	बैठक नहीं होगी (जन्माष्टमी का अवकाश)
19 शनिवार	बैठक नहीं होगी।
20 रविवार	
21 सोमवार	वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
22 मंगलवार	1-वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 2-4.00 बजे अपराह्न उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1995 को सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक जो प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री द्वारा रखा गया है, से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (वेतन का विनियमन) विधेयक, 1995 †

स्वास्थ्य तथा चिकित्सा एवं विज्ञान तथा प्रोद्योग, राज्य मंत्री (श्री प्रवीण कुमार सिंह ऐरन)

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (वेतन का विनियमन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

† दिनांक 31-8-95 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (वेतन का विनियमन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

श्री प्रवीण सिंह ऐरन-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (वेतन का विनियमन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1995 +

अल्पसंख्यक कल्याण तथा मस्लिम वक्फ राज्य मंत्री (श्री बशीर उद्दीन)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बशीर उद्दीन-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करता हूं ।

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तन सहित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 17-8-95 को नियम 56 के अन्तर्गत 30 सूचनायें प्राप्त हुई । जिनमें से शलाका के आधार पर चयनित की गई 5 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा । शेष पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जायेगा ।

पहली सूचना श्री जगदम्बिका पाल, श्री किरन पाल सिंह, श्री राम स्वरूप सिंह, श्री ऊदल, श्री राम आसरे वर्मा, श्री हरेन्द्र सिंह मलिक की है ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैंने नियम 311 के अन्तर्गत मथुरा के मामले की सूचना दी है ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान ।)

श्री अध्यक्ष-

यह विषय दूसरा है ।

श्री सरजीत सिंह डंग-

मैंने भी इसी विषय पर सूचना दी है ।

+ दिनांक 31-8-95 में असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष-

मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह अपनी बात दो-दो मिनट में समाप्त करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप विषय की जानकारी दे दें ।

श्री अध्यक्ष-

पहली सूचना जो कई माननीय सदस्यों ने दी है, वह प्रदेश की नदियों में आई बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

*श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी भी प्रमुख नदियां हैं । चाहे वह गंगा हों, सरयू हों, घाघरा हो, रामगंगा हो, राप्ती हो, कोशी या सभी सहयोगी नदियां हैं सबका जलस्तर निरंतर बढ़ता जा रहा है । आप भी विज्ञ होंगे कल ही एलगिन ब्रिज से तुर्तीपार तक लगातार घाघरा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है । कल राजस्व मंत्री स्वयं गये थे, हेलीकाप्टर से । समाचार पत्रों से मुझे भी मालूम हुआ 300 गांव कटान की स्थिति में हैं । कल उनका हेलीकाप्टर वहां पर उतर नहीं सका था । स्थिति अत्यंत गम्भीर है । इस सम्बन्ध में राजस्व मंत्री जी कोई वक्तव्य देंगे । जो रामपुर मकदूमपुर बांध है जो आपके निर्वाचन क्षेत्र में है । बस्ती और फैजाबाद तीन जिलों की सीमाओं से मिलता है ।

(समय 2 बजे)

बस्ती, फैजाबाद और आजमगढ़ । खड्गपुर गांव के पास किसी भी क्षण यह बांध कट सकता है । डेढ़ हजार आदमी लगातार इस बांध को बचाने का प्रयास कर रहे हैं । मान्यवर, आज भी आपने देखा होगा कि बहराइच जिले में मिहीपुरवा, हरिहर के इलाके जलमग्न हो गये हैं, बस्ती, फैजाबाद, आजमगढ़, बलिया की तरफ तो बाढ़ का प्रकोप है ही, फर्रुखाबाद, मेरठ, बुलन्दशहर गंगा नदी की बाढ़ से प्रभावित है । आज पूरे उत्तर प्रदेश के दो तिहाई जनपदों में से ज्यादातर जनपद बाढ़ से प्रभावित हैं और आज जब बाढ़ से प्रभावित जिलों में राहत कार्य शुरू होने चाहिये, वहीं अभी प्रदेश सरकार की तरफ से कोई भी वक्तव्य नही आया है कि युद्धस्तर पर कार्य करवाया जा रहा है । पूरे प्रदेश में कहीं भी राहत शिविर नहीं बनाये गये हैं और जो गांव मैरून हो गये हैं, वहां के लोगों को राहत शिविरों में रखने का कोई इन्तजाम नहीं किया गया है । केवल समाचार-पत्रों में यही आया है कि कुछ करोड़ रुपये राहत कार्य के लिये आंवटित किया गया है । मान्यवर, पहले बाढ़ से पूर्व 15 जून तक सिंचाई विभाग द्वारा सभी बन्धों की मरम्मत के सर्टीफिकेट दिये जाते थे, लेकिन इस बार सरकार के परिवर्तन और 2 जून के पहले और बाद के घटनाक्रम की वजह से, इस सरकार की प्राथमिकता ही नहीं रह गई कि इनका ध्यान उस ओर भी जाता, आज

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसी कारण से कई जगह के बंधे कट गये हैं, इन बन्धों से तमाम गांवों की जो सुरक्षा होती थी, उसको गम्भीर खतरा पैदा हो गया है। आज पूरे प्रदेश में लाखों-करोड़ों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, इसलिये यह लोक महत्व का प्रश्न है, तात्कालिक इसलिये है कि किसी भी क्षण तमाम गांव, जिनका नाम नोटिस में दिया गया है, का मैं दुबारा उल्लेख नहीं करना चाहता, नदियों की जलधारा में विलीन हो चुके हैं। आज गंगा, घाघरा, रामगंगा, कोसी सहित तमाम नदियां बाढ़ के उफान पर हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस विषय को ग्राह्य करके इस पर चर्चा करायें।

*श्री किरन पाल सिंह -

मान्यवर, यह बाढ़ का विषय मैंने और माननीय हरेन्द्र सिंह मलिक ने गत सप्ताह भी उठाया था, जब यमुना और गंगा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अचानक बाढ़ आ गई थी। कुछ समय बहुत वर्षा हुई और कुछ पहाड़ की ज्यादा वर्षा से आई और कुछ पानी सिंचाई विभाग के लोगों ने डाईवर्ट कर दिया, जिसकी वजह से बहुत से गांव यमुना की बाढ़ की चपेट में आ गये। माननीय मंत्री जी ने सदन में आश्वासन दिया था कि वहां राहत कार्य प्रारम्भ किये जायेंगे और जिलाधिकारियों को निर्देश दिये जायेंगे, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मंत्री जी का आश्वासन केवल सदन का आश्वासन बनकर रह गया और कहीं भी कोई राहत कार्य नाममात्र के लिये, आश्वासन के बावजूद शुरू नहीं हुआ। मैं पुनः मांग करता हूं, जो विषय मा0 पाल साहब ने उठाया है, कि जहां पर बाढ़ की स्थिति है, जहां गांव बाढ़ से घिरे हुये हैं, लोग फंसे हुये हैं; उनको बचाया जाय, जो फसलें बरबाद हो रही हैं, पशु मर रहे हैं, उनके लिये राहतराशि दिलवाई जाये और अनाज, आटा, चावल, मिट्टी का तेल आदि भिजवाया जाय। इन्हीं बातों पर मैं फिर बल देते हुये चाहूंगा कि इस बार का आश्वासन ऐसा हो, जो पूरा हो और उस पर कुछ कार्यवाही होती नजर आये।

*श्री राम स्वरूप सिंह -

मान्यवर, पिछले सप्ताह में जो वर्षा हुई, उससे बाढ़ की वजह से तमाम जिलों में भारी हानि हुई है। हरिद्वार जनपद के श्यामपुर, सजनपुर में गंगा की कटान से आधे से ज्यादा गांव बह गये हैं। मालिनी नदी की बाढ़ से भी काफी फसलें बरबाद हुई हैं और काफी गांव प्रभावित हुये हैं अगर वहां पर तुरन्त बांध बनाने की व्यवस्था नहीं की गई तो 4-5 गांव बह जायेंगे। इसी तरह से सजनपुर, श्यामपुर जो हरिद्वार जनपद में हैं वहां एक नाला कटाव कर रहा है। इस नाले के दोनों ओर आबादी है और गरीब लोगों की यह आबादी है काफी मकान बाढ़ से बह गये हैं और इस क्षेत्र में तबाही मची है। पहले सूखे से यहां की जनता त्राहि-त्राहि कर रही थी अब बाढ़ से किसानों की फसलें नेस्तनाबूत हो गयी हैं और हजारों परिवार उजड़ गये हैं। मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि इन क्षेत्रों में तुरन्त सहायता दी जाय और बांध का जो कटाव हो रहा है उसको रोका जाय और पत्थर का बांध बनवाया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(श्री ऊदल के पुकारे जाने पर)

श्री ऊदल-

मान्यवर, सारी बातें आ गई हैं इसलिये मैं समय की कमी को देखते हुये बोलना नहीं चाहता हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, मैंने जो कार्य-स्थगन की सूचना दी है वह दूसरी है इस सूचना पर मैंने दस्तखत कर दिये थे । मेरी सूचना अनुसूचित जाति की पाठशालाओं के अध्यापकों के आन्दोलन के सिलसिले में है उस पर मैं बोलना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

एक ही सूचना ली जायगी ।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी-

मान्यवर, पौड़ी गढ़वाल और चमोली क्षेत्र में विगत दिनों भारी वर्षा के कारण 25 सौ लोग मारे जा चुके हैं और वहां सरकार द्वारा किसी प्रकार की राहत या बचाव कार्य की घोषणा नहीं की गई है और न वहां पर जिला प्रशासन का कोई अधिकारी ही घटना स्थल पर गया है । पर्वतीय क्षेत्र में बाढ़ से स्थिति बहुत खराब हो गई है । वर्षा के कारण वहां जगह-जगह सड़कें टूट गई हैं जिससे एक स्थान पर दूसरे स्थान को जाने में असुविधा हो रहा है और आना जाना असम्भव हो गया है । दूर दराज के क्षेत्रों में खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित न हो पाने के कारण लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं और अनेक लोगों की मृत्यु हो गयी है । मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उत्तराखण्ड विशेषकर जनपद पौड़ी गढ़वाल में सड़कों के रखरखाव के लिये एस0आर0एन0डी0 से धन को उपलब्ध कराया जाय और जो लोग मारे गये हैं उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाय । यहां पर भारी वर्षा से हजारों मवेशी बह गये हैं और भूस्खलन के कारण दब गये हैं उनके मालिकों को मुआवजा दिया जाय । वर्षा से और बाढ़ से वहां पर फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा है । मेरा निवेदन है कि एस0आर0एन0डी0 से धन उपलब्ध कराया जाय उत्तराखण्ड में पहले ही उत्तराखण्ड आन्दोलन से लोग पहले से उत्तेजित हैं अगर राहत एवं बचाव कार्यों में उदासीनता बरती गई तो वहां के लोगों में और उत्तेजना फैल जायगी । इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में बाढ़ और वर्षा के कारण जो संकट पैदा हुआ है उसको दूर करने के लिये वहां पर पर्याप्त धन की व्यवस्था की जाय और इस विषय पर सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा कराई जाय ।

श्री राम प्रसाद टम्टा-

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में अल्मोड़ा जनपद में सरजू नदी से भारी नुकसान हुआ है। कनेड़गढ़, शम्बू, पुंगर आदि नदियों के उद्गम स्थानों पर कई स्थान पर जमीन धंस गई है। अनेक पशु व लोग बाढ़ और वर्षा से मर गये हैं। जैसा कि हमारे साथी मा0 जगदम्बिका पाल जी ने बताया घाघरा नदी जिसको हमारे यहां सरजू कहते हैं, उससे बड़ा नुकसान हुआ है इससे साबित होता है कि हमारे यहां सरजू नदी से कितना नुकसान हुआ होगा रावत सेरा, पुगर घाटी, कनेड़गढ़ घाटी, देवलधार घटगाड़, लाहूर घाटी में काफी फसल, भूमि व पशुओं तथा आवासीय भवनों में क्षति हुई है।

और वहां पर अभी तक सहत कार्य नहीं हुआ है। कमाली घाटी है, वहां पर पूरा गांव दब गया है। कुन्दरघाटी में काफी नुकसान हुआ है। वहां पर यातायात बन्द हो गया है, आने जाने का कोई साधन नहीं है। आज पर्वतीय क्षेत्र के विधायकों की उपस्थिति ही बताती है कि वहां पर आने जाने के साधन नहीं हैं, जिसके कारण वह आज सदन में नहीं पहुंच पाये हैं। इन शब्दों के साथ मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराने का कष्ट करें।

*डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, जितनी बाढ़ की विभीषिका मैदानी क्षेत्र में होती है, उससे कहीं ज्यादा पहाड़ों पर होती है। पहाड़ों पर गोला, राम गंगा और सरजू नदियों में उफान आया हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि बलिया में 5 दिन पहले ही पानी खतरे के बिन्दु से ऊपर पहुंच गया है। वहां की स्थिति काफी भयावह हो गयी है। वहां का काफी हिस्सा गंगा नदी की बाढ़ की चपेट में आ गया है, वहां की स्थिति क्या होगी? यह कहना कठिन है और शासन की ओर से किसी प्रकार की तैयारी नजर नहीं आती है। बहराइच में डेराघाट आदि गांव डूब गये हैं, उनमें पानी भर गया है, लोगों को रहने और खाने की कठिनाई हो गयी है। यह तो पूर्वी क्षेत्रों की हालत है, पश्चिमी क्षेत्र में हल्द्वानी आदि स्थानों पर बाढ़ की स्थिति बहुत गम्भीर हो गयी है। अधिकांश गांव के पानी में हैं बाढ़ के कारण जन, धन और पशुधन की बड़ी क्षति हुई है। तमाम लोग घरों को छोड़ने के लिये मजबूर हो गये हैं। मेरा निवेदन है कि सदन की कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा करा दें। बाढ़ ने पूरे प्रदेश को प्रभावित किया है और जिस प्रकार से जन धन की हानि हुई है, खेती को नुकसान हुआ है और पशुओं को नुकसान हुआ है, वह किसी से छिपा नहीं है। मकान गिर गये हैं, उनके

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पास रहने का कोई जरिया नहीं रह गया है। अगर सरकार कोई योजना, बाढ़ को रोकने की नहीं बनाती है, तो इसका बुरा परिणाम निकल सकता है। आम जनता को कठिनाई हो सकती है। यह सारा प्रकरण ऐसा है कि इस पर पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्य एकमत हैं और एक राय के हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात पर बल देता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करा दें।

*श्री मयंकर सिंह -

मान्यवर, बाढ़ का विषय बहुत ही गम्भीर है। मान्यवर, इस समय जो बाढ़ आई है वह प्राकृतिक नहीं है, बल्कि कृत्रिम है। नैपाल से आने वाली सारी नदियां जो हैं वह बहराइच में उतरती हैं और वहां पर बहुत बड़ा बैराज बना हुआ है और उस बैराज में बहुत बड़ा जल भण्डार है और कुछ दिन पहले उसके सारे द्वार खोल दिये गये और इस कारण 25 फिट ऊंचा पानी एकदम से चल पड़ा। घाघरा, राप्ती का पानी सीधे गांवों में घुस गया। हरिपुर, फखरपुर और जरवल रोड में पानी भर गया है और वहां का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। किसानों की फसल जलमग्न हो गयी है। और तमाम पशु पानी में बह गये हैं। अगर राजस्व मंत्री आंकड़े न छिपायें तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की व्यवस्था नगण्य है। वहां पर कुल 15-16 नावें चल रही हैं। तमाम गांव नेस्तनाबूत हो गये हैं। मकान बह गये हैं, हज़ारों की संख्या में पशु बह गये हैं और उनकी लाशें सड़ गयी हैं। अगर वहां पर अविलम्ब नावें न पहुंचाई गई तो भयानक स्थिति आ सकती है। झोपड़ियों पर लोग बैठे हैं, उनका जीवन बचाया जाये। जो मर चुके हैं, उनको खोजा जाये और जो बचे हुये हैं, उनकी सुरक्षा की जाये। अगर व्यवस्था शीघ्र न की गई तो उन्हें खोजना पड़ेगा कि वह कहां गायब हो गये हैं। मान्यवर, यह बहुत गम्भीर विषय है इसको कहीं भी हल्केपन से लेने की आवश्यकता नहीं है जो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने बिना सूचना दिये एकदम से सिंचाई विभाग का बैराज खोलकर 25 फिट पानी झोंक दिया है उस पर कार्यवाही होनी चाहिये। वहां जनधन नष्ट कर दिया गया है इस पर चर्चा कराई जाय और मृतकों को मुआवजा दिया जाय, जिन किसानों का सर्वस्व लुट गया है एक वर्ष तक उनको जीवन चलाना मुश्किल होगा वह कहां जायेंगे? उनके लिये व्यवस्था की जानी चाहिये, बच्चों की फीस, लगान आदि माफ किया जाना चाहिये और उनको अनुदान देना चाहिये। इस समय सबसे पहली प्राथमिकता पशुओं के चारे की और मनुष्यों के भोजन की है लोग छप्परों पर बैठे हैं वैसे तो बाढ़ शेष प्रदेश में फैल चुकी है लेकिन बहराइच में जो पानी खोला गया है, नैपाल का पानी आया है, पूरे जनपद के 6-7

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ब्लाक उसकी चपेट में हैं । मुरौवा, मुन्दानी, गोलागंज, खगवां, समदा और सिपहिया आदि तमाम गांव हैं यह कई-कई गांव कटकर घाघरा में विलीन हो गये हैं; लोग बांध पर खड़े होकर जान बचा रहे हैं । मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा करायी जाय और स्पष्ट निर्देश शासन को दिया जाय ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

जिन माननीय सदस्यों ने सूचना दी है उनमें से मैं सबको सुनूंगा किसी को छोड़ूंगा नहीं ।

*श्री लक्ष्मी चन्द-

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र जेवर के एक किनारे पर यमुना बहती हैं और दूसरे किनारे पर हरियाणा है । हरियाणा सरकार ने जमुना नदी में ठोकर लगा दी है जिसके कारण जमुना का जो बहाव है वह हटकर बुलन्दशहर की ओर हो गया है, उस ताजिया वाले बांध का पानी मथुरा में छोड़ दिया गया है, जिसके कारण भयंकर बाढ़ आ गई है । सारा जेबर क्षेत्र पानी में डूब गया है । 14 गांव ऐसे हैं जो पानी से घिरे हैं और वहां कोई राहत पहुंचाने के लिये व्यवस्था नहीं की गई है वहां मच्छर पैदा हो गये हैं । दवाओं का कोई प्रबन्ध नहीं है लोग बीमार हो रहे हैं । इसके अलावा पशु मर रहे हैं । पशुओं के चारे का कोई प्रबन्ध नहीं है । 14 गांवों के लगभग 40 वर्ग किलोमीटर में फसल बरबाद हो गयी है जानवर के चारे का किसी प्रकार का प्रबन्ध नहीं है । वह क्षेत्र इस प्रकार का क्षेत्र है जहां पर पहले से ही कोई व्यवस्था किसी प्रकार की नहीं थी और यहां यह स्थिति इसी वर्ष नहीं आई है. हर वर्ष यहां बाढ़ की स्थिति आती है और हर वर्ष लोग परेशान होकर सड़कों पर आ जाते हैं और 2-3 महीनें सड़क पर काटते हैं और हर साल फसल बरबाद हो जाती है और इसकी कोई परवाह सरकार की तरफ से नहीं की गई है ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक इस बांध को नहीं बनायेंगे जमुना का तब तक न तो भूमि सुरक्षित रहेगी और न ही फसल सुरक्षित रहेगी । इसलिये मौजूदा राहत के साथ साथ बांध बनवाया जाय । मेरा अनुरोध है कि वहां दवाओं की तुरन्त व्यवस्था की जाय, चारे का प्रबन्ध कराया जाय लोगों को जो गल्ला था, खारों के अन्दर बन्द था वह पानी के सिलाव के कारण सड़ता चला जा रहा है । इसलिये खाने पीने की व्यवस्था हो और नावों की व्यवस्था कराई जाय । तथा साथ ही इन समस्याओं से स्थायी रूप से निबटने के लिये बांध बनाया जाय । मान्यवर, जो ठोकर लगी हुई है उसके कारण कानीगढ़ी, शमरनगर और श्यामनगर को जमुना काट चुकी हैं तो मेरा निवेदन है कि ठोकर हटाई जाय ताकि जमीन का कटाव बन्द हो सके । कानीगढ़ी से पानी 50 मीटर रह गया है अगर उसकी व्यवस्था नहीं की गई तो सारी का सारी जमीन पानी में डूब जायेगी ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री बदन सिंह -

मान्यवर, जनपद आगरा में इस वर्ष औसत से कम वर्षा हुई लेकिन मान्यवर, इस वक्त जनपद आगरा के दो सौ गांव पानी से घिर गये हैं उसका कारण यह है कि राजस्थान में 8 अगस्त को भारी वर्षा हुई और मान्यवर, अकेले 494 मि0मी0 वर्षा हुई, जिसके कारण राजस्थान के 200 में से 198 बांध टूट गये हैं। उन सब टूटे हुये बांधों का पानी आगरा जनपद में आ गया है और 200 गांव इसमें घिर रहे हैं। यह पानी घरारी और पार्वती नदी के द्वारा निकल रहा है। विशेष रूप से तहसील किरावली के खैरागढ़ में यह बाढ़ का भारी संकट उत्पन्न हो गया है। बाढ़ में सम्पर्क मार्ग कट गये हैं और इन मार्गों के कट जाने के कारण, वहां जन जीवन अस्तव्यस्त हो गया है उसमें न केवल अधिकारी बल्कि कोई जनप्रतिनिधि भी पहुंचने की स्थिति में नहीं रहा है। इन बांधों से पानी आने के कारण मेरे क्षेत्र में स्थिति आंवल और सैनपुर का बांध टूट गया है। 50 गांवों के सिंचाई के साधन समाप्त हो गये हैं। तहसील किरावली में बाढ़ से घिरे हुये गांव के लोगों को सर्प और बिच्छू काट रहे हैं। अकेले वहां नारता में 24 व्यक्ति बिच्छू के काटने से पीड़ित हैं। पूत्तू गांव में 12 आदमी बिच्छू काटने से पीड़ित हैं। 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है यह तहसील किरावली के गांव में हुई है। हजारों पशु वहां बाढ़ की चपेट में आ गये हैं। व तमाम पशु व नागरिक बीमार पड़ गये हैं। जो यह गांव बाढ़ की चपेट में आ गये हैं उनमें खाद्यान्न सामग्री नहीं पहुंच रही है न वहां पर चारा है और चारे के गट्टे नदियों में बह गये हैं इन सबको वहां के अधिकारी निबटाने में वहां राहत पहुंचाने में अक्षम हैं एक बिडम्बना की बात यह भी है कि राजस्थान के गांव में हेलीकाप्टर से भोजन व खाद्यान्न सामग्री गिराई जा रही है और दूसरी ओर हमारे क्षेत्र में कुछ गांव वाले आकर यह बताते हैं कि हमारे क्षेत्र में कोई भी खाद्यान्न सामग्री की आज तक व्यवस्था नहीं की गई है। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) ने अखबार में एक बयान दे दिया कि उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री 17 तारीख को यहां जनपद का दौरा करेंगे और बाढ़ से प्रभावित इलाकों को देखेंगे राजस्व मंत्री जी भी इस सदन में मौजूद हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि राजस्व मंत्री जी वहां पर जायेंगे या नहीं जायेंगे मैं यह कहना चाहूंगा कि खाद्यान्न सामग्री वहां पहुंचाने के लिये धन आदि की पूरी व्यवस्था की जाय जो बीमारियां वहां फैल रही हैं उनकी रोकथाम के लिये पशुओं और नागरिकों के डाक्टर वहां भेजे जायं जो टूटे मार्ग हैं उनमें विशेष राहत कार्य देकर बनवाया जाय। जन-जन को सामान बनाने के लिये विशेष धनराशि आवंटित की जाय। किरावली खैरागढ़, वाह, फतेहाबाद इन तहसीलों में जो जनजीवन अस्त व्यस्त है तो माननीय मंत्री जी वहां जिले में जाकर केवल आश्वासन न दें बल्कि सामग्री पहुंचाने की भी कार्यवाही करावें और लोगों को राहत पहुंचाये जाने के सीधे आदेश करें।

(श्री हृदय नारायण दीक्षित के खड़े होने पर व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

जिन माननीय सदस्यों की बाढ़ पर सूचना थी उनको मैंने सुना । आप लोग बैठ जायें ।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

श्रीमन् बाढ़ के बारे में तमाम माननीय सदस्यों ने कार्य-स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से जो सूचनायें दी हैं और उन्होंने अपने जो विचार रखे हैं, सबसे पहले उन विचारों और सूचनाओं का सरकार फायदा उठायेगी और जितनी सूचनायें सरकार के पास पहले से हैं अगर कोई नयी बात आ गयी है तो उसके बारे में जिलाधिकारी और राहत कार्य के लिये जो अधिकारी लगे हुये हैं उन्हें निर्देश जारी कर दिये जायेंगे । बाढ़ एक विभीषिका है और कहीं-कहीं पर मार्ग अवरुद्ध भी हुये हैं, मवेशियों को कठिनाई हुई है और लोग भी परेशान हुये हैं । लेकिन जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने बताया कि सैकड़ों लोग लापता हैं तो ऐसी कोई सूचना उत्तर प्रदेश के किसी भी हिस्से से शासन को प्राप्त नहीं हुई है । श्रीमन्, जो सूचनायें हमारे पास शासन के अधिकारियों ने भेजी हैं उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में इस समय 17 जनपद बाढ़ से प्रभावित हुये हैं । और उसमें सभी जिलों में बाढ़ राहत के कार्य तेजी से चलाये जा रहे हैं । जो भी विचार यहां पर आये हैं उसका भी प्रयोग किया जायेगा और जो माननीय सदस्य नोटिस नहीं दे पाये हैं, अगर कोई सूचना देना चाहते हैं तो दे दें । यह बाढ़ निश्चित रूप से एक दैवी आपदा है और जो भी विचार दिये जायेंगे चाहे वह लिखित हों या मौखिक उन सभी का सम्मान किया जायेगा ।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, बाढ़ से राहत के लिये क्या कार्यवाही माननीय राजस्व मंत्री जी करने जा रहे हैं वह यह बता दें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

माननीय पाल जी यदि आप हमारे बयान से संतुष्ट न हों तो आप उनसे पूछ लीजियेगा । मैंने यह कहा है कि सरकार बाढ़ से निपटने के लिये पूरी तरह से सतर्क है और हमने सभी अधिकारियों को जो बाढ़ राहत कार्य से सम्बद्ध हैं, उनसे यह जो कहा गया है कि इसे विभीषिका समझकर युद्धस्तर पर कार्य करें । अभी कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि सेना के जवानों को इसमें लगाया जाये तो मैं उनकी जानकारी के लिये बता दूं कि पी0ए0सी0 की बाढ़ प्रशिक्षित कम्पनियों को इसमें लगाया गया है, मोटर बोट का प्रयोग किया जा रहा है ताकि लोगों को निकाला जा सके, नावों की व्यवस्था की जा रही है और अधिकांश स्थलों पर व्यवस्था कर दी गई है, और,

जिलाधिकारियों को यह भी बता दिया गया है कि अगर उनके पास कोई धन की कमी है तो तत्काल सूचित कर दें । उन्हें अधिकार भी दे दिये गये हैं कि कोषागार से जितना धन आवश्यक है उसे तत्काल निकाल सकें । माननीय बदन सिंह जी ने कुछ मौतों का हवाला दिया है, जहां-जहां बाढ़ के कारण मृत्यु हुई है उसके बारे में सम्बन्धित परिवारों को आवश्यक सहायता दी जा रही है । बिच्छू के बारे में बदन सिंह जी ने बताया उसके बारे में सूचनाओं की आवश्यकता होगी क्योंकि इसके बारे में सरकार के पास सुनिश्चित जानकारी नहीं है । जहां तक माननीय पाल जी ने प्रति-प्रश्न किया था कि बाढ़ के दौरान लापरवाही बरतने वाले कितने अधिकारियों को दण्डित किया गया है ? तो यह दैवी आपदा से जूझने का समय है और मंत्रि-परिषद् पूरी तरह से सतर्क है । राजस्व मंत्री जी बाढ़ क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं और जहां भी कार्यवाही की आवश्यकता होगी सरकार तत्परता से कार्यवाही करेगी । श्रीमन्, आपके माध्यम से इस आदरणीय सदन के प्रत्येक सदस्य से अनुरोध है कि अगर कोई और सूचनायें हैं, कहीं कोई कैजुअल्टी है, कठिनाइयां हैं तो भी सरकार के संज्ञान में ले आयें । उन सारे सुझावों को समाहित करते हुये उन पर भी कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश पारित कर देंगे । तमाम विद्वान सदस्य अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं और सरकार उनसे सहमत है । इसलिये श्रीमन् कार्य-स्थगन की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको निरस्त करने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यों और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद इस सूचना को अग्राह्य करता हूं ।

(अगली सूचना के लिये श्री शिव प्रताप शुक्ल जी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री नरेश अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, इस तरह से सदन नहीं चलेगा । मथुरा प्रकरण पर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दी है, पहले उसको सुन लें ।

(कांग्रेस के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान/शोर)

(श्री नरेश अग्रवाल, श्री जगदम्बिका पाल, श्री राम विशुन आजाद, श्री प्रीतम सिंह, श्री राम प्रसाद टम्टा आदि माननीय सदस्य सदन की वेल में आ गये ।)

(सदन के फ्लोर पर आये हुये उक्त सदस्यगण मथुरा प्रकरण को पहले सुने जाने का आग्रह करते रहे ।)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण आप लोग अपने-अपने स्थान पर चलें और वहां से जो आप कहेंगे उसको सुनूंगा ।

(सदन के फ्लोर पर आये हुये सदस्यगण अपने स्थान पर चले गये ।)

श्री हृदय नारायण दीक्षित:

जिस प्रकरण पर हमारे विद्वान सदस्यगण यहां बेल में आ गये। हमारे तमाम अग्रिम पंक्ति के नेताओं ने कहा था कि इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ही जवाब दें। श्रीमन् मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस प्रकरण पर जल्दी ही जवाब दिलवा देंगे। आप आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, ग्राह्यता पर सुन लें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मैं तो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिये तैयार हूं, लेकिन कल से आप लोग मांग कर रहे हैं कि माननीया मुख्य मंत्री जी ही उत्तर दें। मैंने मुख्य मंत्री जी से अनुरोध कर लिया है, शीघ्र ही उत्तर दिलवा दूंगा।

*श्री ऊदल-

मान्यवर, कल मैं हाऊस में देर से आया और जब आया तो मैंने देखा कि मथुरा वाले प्रकरण पर माननीय सदस्य वेल में हैं और आप ग्रान्टों को ले रहे हैं तथा बजट पास हो रहा है। आपके आसन तक नहीं पहुंच सका क्योंकि देर हो चुकी थी। मैं कुछ सुझाव देना चाहता था, मैंने आपसे कल भी निवेदन किया था और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि मथुरा वाला मामला बहुत गम्भीर है इसलिये माननीय सदस्यों और नेताओं को सुन लें। मैं इस शर्त में नहीं जाना चाहता कि मुख्यमंत्री ही यहां आयें और वह ही जवाब दें। सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री या सरकार का कोई मंत्री जवाब दे देगा तो हम उससे संतुष्ट होंगे। अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस मामले पर कृपा करके सुन लें।

श्री राम विशुन आजाद-

माननीया मुख्य मंत्री जी के समक्ष ही इस पर बहस कराई जाय और उनसे ही उत्तर दिलवाया जाय।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, मैं आजाद जी के तर्क से सहमत हूं। मैंने इस प्रश्न के बारे में माननीया मुख्य मंत्री जी से भी अनुरोध कर लिया है। माननीया मुख्य मंत्री जी एक अति अपरिहार्य कार्य में व्यस्त हैं और वह इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये तैयार भी हैं। वैसे मैं विपक्ष के सारे उत्तर देता रहा हूं। माननीया मुख्य मंत्री जी ही इसका उत्तर देंगी, इसका मैं सदन को आश्वासन देता हूं। अब इस पर कोई जबरदस्ती तो हो नहीं सकती कि अपनी इच्छानुसार ये लोग उत्तर चाहें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, माननीया मुख्य मंत्री जी की सहूलियत से हाऊस नहीं चलेगा। इनकी सहूलियत के हिसाब से चलेगा, यह कहां तक उचित है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण इस प्रश्न को लेकर आप लोग कल भी वेल पर आये, तो उस समय भी आपने मांग की थी कि माननीया मुख्य मंत्री जी ही इसका जवाब देंगी। आज भी आपने यही इच्छा व्यक्त की है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, 12.20 बजे से जीरो आवर शुरू होता है। आपने कहा कि मुख्य मंत्री जी को आप ला भी रहे हैं। अब इस समय 1.40 बजे का समय हो गया है। जीरो आवर को बीते हुये एक घंटा 20 मिनट हो गया है। माननीया मुख्य मंत्री जी ने कौन सा मुहूर्त निकाला है किस क्षण वह पदार्पण करेंगी, माननीया मुख्य मंत्री जी कब इस प्रश्न पर सदन में आयेंगी? इसे आप बता दें।

आप हमें बता दें वह कितने बजे आयेंगी ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

माननीय तिवारी जी तथा अन्य तमाम विपक्ष के साथियों ने जो सूचना दी वह सूचना आपने नियम 56 में परिवर्तित कर दी वैसे वह 311 की सूचना थी। आपको पूरा अधिकार है कि किसी भी सूचना को आप परिवर्तित कर सकते हैं। किसी सूचना को सुने या बगैर सुने आप नियम 51 में बदल सकते हैं। कभी-कभी आप सरकार को निर्देश दे देते हैं और कड़े निर्देश भी देते हैं कि सरकार कार्यवाही करे। जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है सरकार पूरी तरह से माननीय सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करते हुये, जैसा माननीय तिवारी जी कह रहे हैं वह मंत्री भी रहे हैं और विपक्ष के सम्मानित सदस्य हैं हमारी प्रार्थना है कि आज के बाद तत्काल दूसरे दिन जब सदन बैठेगा। (व्यवधान) हमारा जबाव पूरा आने दें पूरा जबाव अभी नहीं आया, कभी-कभी आप निर्देश देते हैं। माननीय सदस्यों की भावना का आदर करते हुये वक्तव्य के लिये कहते हैं। तो दो दिन बाद या तीन दिन बाद वक्तव्य आता है। (व्यवधान)

श्री शिव प्रसाद शुक्ल-

मान्यवर, आपने मेरा नाम भी ले लिया था (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय शिव प्रसाद शुक्ल की जो सूचना है (व्यवधान)

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, दूसरा विषय मेरा है, आपने मेरा नाम बुलवा लिया है जब तक मेरी बात पूरी नहीं हो जाती आपकी अनुमति के बिना जबरदस्ती खड़े होकर सदन में कहें कि मुख्य मंत्री ही जवाब देंगी तो यह कौन सी स्थिति पैदा होगी। (व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल-

{× × ×} {× × ×} {× × ×}

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, यह कार्यवाही का हिस्सा नही बनेगा मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। इस हिस्से को कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

मैं इसे देख लूंगा और उसके बाद कार्यवाही से निकलवा दूंगा।

श्री जगदम्बिका पाल-

हम लोगों ने 311 में एक सूचना दी थी जिसे आपने 56 में परिवर्तित कर दिया। (व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

जब स्पष्ट आश्वासन आ गया वक्तव्य देंगे। (व्यवधान) वक्तव्य के लिये तैयार हैं तारीख भी बता रहा हूं। जिस दिन आज के बाद अगले दिन हम बैठेंगे वक्तव्य देने के लिये सरकार तैयार है। सरकार कोई बात छिपाना नहीं चाहती है। (घोर व्यवधान) (श्री नरेश अग्रवाल, श्री राम विशुन आजाद, श्री राम प्रसाद टम्टा, श्री कोकब हमीद, श्री प्रीतम सिंह, श्री जगबीर सिंह, श्री चेतराम, श्री राम स्वरूप सिंह आदि के सदन के मध्य आ जाने से घोर व्यवधान)

श्री राम विशुन आजाद-

(सदन के वेल से) हम लोग आपकी बात उस समय तक नहीं सुनेंगे जब तक मुख्य मंत्री मथुरा के संबंध में यहां आकर वक्तव्य नहीं देगी।

(सदन के वेल में कांग्रेस पार्टी के श्री नरेश अग्रवाल, श्री राम विशुन आजाद, श्री राम प्रसाद टम्टा आदि कई सदस्य एक साथ बोलते रहे और मुख्य मंत्री हाय-हाय के नारे लगाते रहे।)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपने-अपने स्थान पर जायं। मैं आपसे बार-बार अनुरोध कर रहा हूं कि आप लोग अपने-अपने स्थान पर जायं और व्यवधान न पैदा करें।

(श्री राम स्वरूप एवं कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य सदन के वेल से एक साथ बोलते रहे।)

श्री अध्यक्ष-

(घोर व्यवधान के मध्य) मैं प्रश्नगत प्रकरण पर मुख्य मंत्री जी को वक्तव्य देने का निर्देश देता हूं। लेकिन आप लोग अपने स्थान पर जायं। (घोर व्यवधान के मध्य) मेरे बार-बार अनुरोध करने के बावजूद भी आप लोग अपने-अपने स्थान पर

नोट:- {× × ×} यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

नहीं जा रहे हैं और सदन की कार्यवाही में व्यवधान पैदा कर रहे हैं, इसलिये मैं सदन की कार्यवाही आधा घण्टे के लिये स्थगित करता हूं ।

(तत्पश्चात् 1 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिये स्थगित कर दी । 2 बजकर 15 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि मा0 अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 2 बजकर 30 मिनट तक के लिये स्थगित कर दिया है । 2 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने पुनः सूचित किया कि मा0 अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 2 बजकर 45 मिनट तक लिये स्थगित कर दिया है । तदोपरान्त 2 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष-

प्रमोद जी बतावें क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से व्यवस्था चाहता हूं विनम्रतापूर्वक व्यवस्था चाहता हूं कि आज 17 तारीख है । हम लोगों ने नियम 311 में सूचना दी जो 56 में आपने परिवर्तित कर दी ।

श्री अध्यक्ष-

56 में परिवर्तित नहीं किया है ।

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

इस पर रूलिंग दे दी है ।

श्री प्रमोद तिवारी-

(× × ×) (× × ×) (× × ×)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

माननीय अध्यक्ष महोदय के निश्चय के बाद कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है ।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल-

जो कल से सदन में बात चल रही है कि मथुरा में क्या उपाय किये जा रहा है यह बता दें ?

श्री अध्यक्ष-

इस पर मैं व्यवस्था दे चुका हूं ।

नोटः-(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री प्रमोद तिवारी-

(× × ×) (× × ×)

श्री अध्यक्ष-

इसको लिखा नहीं जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

आपने व्यवस्था दे दी कि मुख्य मंत्री जी उत्तर देने के लिये तैयार है । जिस पर व्यवस्था हो गई उस पर कैसे सुना जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण बैठ जायें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

एक नियम की सूचना पर 311 को 56 में परिवर्तित कर दिया । 56 में दो सूचनायें हैं अगर इन सूचनाओं पर दोनों के हस्ताक्षर हैं तो दोनों को सुनेंगे ।

(घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह कृपया बैठ जायें ।

श्री नरेश अग्रवाल-

विश्व हिन्दू परिषद् और मुख्य मंत्री के बीच कोई समझौता हुआ है ।

श्री अध्यक्ष-

मेरा आदरणीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह आसन ग्रहण करें ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री राम आसरे वर्मा-

मथुरा प्रकरण पर आपने पहले आश्वासन दिया था हब आप उससे मुकर रहे हैं ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

आपने जो व्यवस्था दी थी उसको यह लोग पालन नहीं कर रहे हैं । यह सदन पूरे प्रदेश के प्रति जवाबदेह है लेकिन इन छछून्दरों के प्रति नहीं ।

श्री किरनपाल सिंह-

यह साजिश हो रही है । मिल जुल कर खेल खेला जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री शिव प्रताप शुक्ला जी को बुला लिया है । उसके बाद आप लोग एक-एक करके बोल लें ।

नोट:- (× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, 18 तारीख के बाद इस मुद्दे का कोई औचित्य नहीं रह जायेगा। यह भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ दल के बीच नूराकुश्ती चल रही है। यह पूरे प्रदेश को साम्प्रदायिकता की आग में झोंक देना चाहते हैं।

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, इस समय पूरे प्रदेश में रसोई गैस की किल्लत हो रही है।

(घोर व्यवधान)

रसोई गैस की किल्लत से स्थिति यह है कि जो वैध कनेक्शनधारी हैं, उनको कहीं भी गैस नहीं मिल पा रही है....

(कांग्रेस दल तथा भारतीय जनता पार्टी के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान हो गया।)

श्री अध्यक्ष-

नियम 56 के अन्तर्गत प्राप्त सभी सूचनाओं को मैं अस्वीकार करता हूं।

(श्री राम विशुन आजाद, श्री कोकब हमीद, श्री नरेश अग्रवाल, श्री जगदम्बिका पाल, श्री राम स्वरूप सिंह, श्री प्रीतम सिंह, श्री राम प्रसाद टम्टा सहित कई माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये जिसमें से श्री राम विशुन आजाद, श्री प्रीतम सिंह, श्री राम स्वरूप सिंह तथा श्री राम प्रसाद टम्टा रिपोर्ट्स टेबुल पर चढ़कर नारे लगाने लगे [× × ×] तथा मथुरा प्रकरण को सुने जाने की मांग करने लगे। जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।

उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1995

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नोट:- [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

खण्ड 2 से खण्ड 5 तक खण्ड 1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1995

उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छियालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम 1995 कहा जायेगा

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करें ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-3 सन् 1956 की धारा 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (क) और (कक) को क्रमशः उसके खण्ड (कक) और (ककक) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित खण्ड (कक) के पूर्व निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा अर्थात् :-

(क) "अपील प्राधिकारी" का तात्पर्य जब अपील मनोरंजन कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश के आदेश के विरुद्ध की जाय तो राज्य सरकार से, और जब अपील जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध की जाय तो प्रभागीय आयुक्त से, है ।"

धारा 5 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 5 में, उपधारा (3) में, शब्द 'राज्य सरकार के पास अपील कर सकता है और राज्य सरकार' के स्थान पर शब्द "अपील प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी" रख दिये जायेंगे ।

धारा 6-क का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 6-क में,--

(क) उपधारा (1) में शब्द "तलाशी ले सकता है।" के पश्चात् शब्द "और ऐसी फिल्मों और वीडियो कैसेटों को जो उसका उल्लंघन करके प्रदर्शित करते हुये या रखे गये पाये जायें, अभिगृहीत कर सकता है" बढ़ा दिये जायेंगे ।

(ख) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात :-

"(5) उपधारा (1) के अधीन अधिगृहीत प्रत्येक फिल्म या वीडियो कैसेट, यथाशक्य शीघ्र, अधिकारिता युक्त न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा जो उसकी समुचित अभिरक्षा के लिये ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे ;

(6) उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत फिल्में और वीडियो कैसेट अधिकारितायुक्त न्यायालय के किसी आदेश द्वारा जब्त की जा सकेंगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब तक अभिग्रहण के दिनांक से एक मास का समय व्यतीत न हो जाये, और ऐसे किसी व्यक्ति को जो उस पर किसी अधिकार का दावा करे, सुन न लिया जाय और साक्ष्य पर, यदि कोई हो, जिसे वह अपने दावे के सम्बन्ध में प्रस्तुत करे, विचार न कर लिया जाय तब तक जब्ती का कोई आदेश नहीं किया जायेगा ।"

धारा 7 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 7 में-

(क) उपधारा (1-क) में, खण्ड (ख) में शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर शब्द "अपील प्राधिकारी" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (4) में, शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर शब्द "अपील प्राधिकारी" रख दिये जायेंगे ;

(ग) उपधारा (5) में शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर शब्द "अपील प्राधिकारी" रख दिये जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 5 तक खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1995 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1995 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत लाटरी (निवारण) विधेयक, 1995

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत लाटरी (निवारण) विधेयक, 1995 पर विचार किया जाये ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत लाटरी (निवारण) विधेयक, 1995 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 से खण्ड 12 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक
उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत लाटरी (निवारण) विधेयक, 1995

भारत सरकार या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा आयोजित लाटरियों के सिवाय उत्तर प्रदेश के समस्त लाटरियों के संप्रवर्तन और संचालन को प्रतिबद्ध करने के लिये और उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये ,

विधेयक

भारत गणराज्य के छियालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत लाटरी (निवारण) अधिनियम, 1995 कहा जायेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करें ।

परिभाषा

2-इस अधिनियम में,--

(क) "निदेशक" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त उत्तर प्रदेश राज्य लाटरी के निदेशक से है ;

(ख) "लाटरी" का तात्पर्य टिकट खरीद कर किसी पुरस्कार की संभावना में भाग लेने वाले व्यक्तियों को लाट या संयोग द्वारा पुरस्कारों के वितरण के लिये किसी योजना से है किन्तु इसके अन्तर्गत कोई राज्य लाटरी या पुरस्कार प्रतियोगिता नहीं है ;

(ग) "धन" के अन्तर्गत कोई चेक या कोई अन्य परक्राम्य लिखत, पोस्टल आर्डर या कोई मनीआर्डर भी है ;

(घ) "पुरस्कार प्रतियोगिता" का तात्पर्य पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम, 1955 के अर्थान्तर्गत पुरस्कार प्रतियोगिता में है ;

(ङ) "राज्य लाटरी का तात्पर्य भारत सरकार या भारत का संविधान की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य की या किसी संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा आयोजित और संचालित लाटरी से है ;

(च) "टिकट" के अन्तर्गत किसी लाटरी की सम्भावना में भाग लेने के लिये किसी व्यक्ति के दावे को प्रकट करने वाला कोई दस्तावेज भी है, किन्तु इसके अन्तर्गत वस्तुओं के किसी क्रेता को ऐसी वस्तुओं के मूल्य के नकद भुगतान के लिये जारी किया गया कोई कैश मेमो नहीं है ।

लाटरियों के संप्रवर्तन का और उनके संबंध में अन्य कार्यवाही का प्रतिषेध

3-(1) कोई व्यक्ति--

(क) किसी लाटरी का संप्रवर्तन या उसका संचालन नहीं करेगा; या

(ख) किसी लाटरी में किसी टिकट, लाट, संख्यांक, रंग या आकृति को निकालने से संबंधित या लागू होने वाली किसी घटना या आकस्मिकता पर किसी व्यक्ति के लाभ के लिये किसी धनराशि का भुगतान करने की या कोई माल देने की या कोई कार्य करने या उससे प्रवरित रहने की प्रस्थापना नहीं करेगा; या

(ग) किसी लाटरी में प्रयोग के लिये कोई टिकट मुद्रित नहीं करेगा ; या

(घ) किसी टिकट या किसी लाटरी में संयोग को न तो बेचेगा न उसका वितरण करेगा, न बिक्री या वितरण के लिये प्रस्थापना करेगा, न विज्ञापन करेगा और न बिक्री या वितरण के प्रयोजन के लिये अपने कब्जे में रखेगा; या

(ङ) निम्नलिखित को न मुद्रित करेगा, न प्रकाशित करेगा, न वितरित करेगा और न प्रकाशन या वितरण के प्रयोजन के लिये अपने कब्जे में रखेगा--

(एक) किसी लाटरी का कोई विज्ञापन; या

(दो) किसी लाटरी में पुरस्कार विजेताओं या जीते हुये टिकटों की कोई सूची (चाहे पूर्ण हो या अपूर्ण); या

(तीन) किसी लाटरी के निकालने या निकालने के आशय को प्रकट करने वाली या अन्यथा किसी लाटरी से संबंधित कोई ऐसी सामग्री जो कि व्यक्तियों को किसी लाटरी में भाग लेने के लिये उत्प्रेरित करने के लिये प्रकल्पित हो; या

(च) बिक्री या वितरण के प्रयोजन के लिये कोई टिकट या किसी लाटरी का विज्ञापन राज्य के भीतर नहीं लायेगा न राज्य के भीतर भेजने के लिये किसी व्यक्ति को निवेदन करेगा; या

(छ) निम्नलिखित को राज्य के बाहर न भेजेगा और न भेजने का प्रयास करेगा --

(एक) किसी टिकट या किसी लाटरी में संयोग की बिक्री या वितरण के संबंध में प्राप्त कोई धन या मूल्यवान वस्तु; या

(दो) किसी टिकट या किसी लाटरी में संयोग की बिक्री या वितरण को अभिलिखित करने वाला कोई दस्तावेज; या

(तीन) किसी टिकट या किसी लाटरी में संयोग के धारक की पहचान को अभिलिखित करने वाला कोई दस्तावेज; या

(ज) किसी लाटरी के संप्रवर्तन या संचालन से संबंधित प्रयोजनों के लिये किसी परिसर का उपयोग नहीं करेगा और न किसी परिसर का उपयोग करने की अनुज्ञा देगा ।

शास्ति

4-जो कोई धारा 3 के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह जुर्माने से जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा ।

कम्पनियों द्वारा अपराध

5-(1) यदि इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी हो, तो कम्पनी और प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किये जाने के समय उसका करोबार चला के निमित्त कम्पनी का अवधायक तथा उसके प्रति उत्तरदायी हो, अपराध करने के दोषी समझे जायेंगे और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा तद्नुसार उन्हें दण्डित किया जा सकेगा, : झ

परन्तु इस उपधारा में दी गई किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति किसी दण्ड का भागी नहीं होगा यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया या उसने ऐसे अपराध के किये जाने को रोकने के लिये समस्त सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में दी गई किसी बात के सिद्ध होते हुये भी, जहां इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह सिद्ध हो जाय कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है, या उसकी किसी उपेक्षा के कारण किया गया है तो ऐसे निदेशक, प्रबन्धक, सचिव, या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और तद्नुसार दण्डित किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजन के लिये-

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी नियमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के किसी भागीदार से है ।

जुर्माने के संबंध में मजिस्ट्रेट की विशेष शक्ति

6-दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 29 में दी गई किसी बात के होते हुये भी किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिये धारा 4 के अधीन दण्डनीय किसी व्यक्ति को पांच हजार रुपये से अधिक के जुर्माने का दण्ड देना विधि पूर्ण होगा ।

तलाशी और अभिग्रहण

7-(1) निदेशक या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी ऐसी, सहायता से जैसी आवश्यक हो, अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को करने के संबंध में प्रयुक्त या प्रयुक्त किये जाने के लिये संदिग्ध किसी स्थान में प्रवेश कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन ली गई किसी तलाशी के परिणामस्वरूप कोई वस्तु पाई जाय और तलाशी लेने वाले अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसी वस्तु इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध से संबंधित है, वह वहां ऐसी वस्तु को अभिगृहीत कर सकता है ।

(3) तलाशियों और अभिग्रहणों से संबंधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्ध, यथासम्भव, इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक तलाशी या अभिग्रहण को लागू होंगे ।

(4) निदेशक या उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक कहा जायेगा ।

कतिपय मामलों में में लाटरी का संचालन करने की अनुज्ञा

8-राज्य सरकार लोकहित में, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुये, जैसी वह आरोपित करे, पूर्व प्रयोजनों के लिये या लोक कल्याण की अभिवृद्धि के प्रयोजन के लिये स्थापित किसी निकाय या संगठन को लाटरी का संचालन कराने की अनुज्ञा दे सकती है ।

सद्भावना से की गई कार्यवाही का संरक्षण

9-राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे किसी कार्य के संबंध में जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिये आशायित हो, कोई वाद, अभियोजन या कोई अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी

नियम बनाने की शक्ति

10-(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये नियमों में यह व्यवस्था की जा सकती है कि ऐसे नियमों का कोई उल्लंघन पांच हजार रुपये से अनधिक की ऐसी धनराशि के, जो ऐसे नियमों में निर्धारित की जाय, जुर्माने से दण्डनीय होगा ।

	11-भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294-क निकाल दी जायेगी ।	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294-क का निकाला जाना
उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 22 सन् 1995	12-(1) उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत लाटरी (निवारण) अध्यादेश, 1995 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । (2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।	निरसन और अपवाद

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 12 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत लाटरी (निवारण) विधेयक, 1995 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत लाटरी (निवारण) विधेयक, 1995 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान

अनुदान संख्या 10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफरिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,85,61,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष-

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

(कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,85,61,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,19,18,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष-

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ।

(कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनाराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,19,18,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 35,77,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, यह प्रजातांत्रिक तरीका नहीं है ।

श्री अध्यक्ष-

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं।

(कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनाराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 35,77,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(समय 3 बजे)

श्री राम स्वरूप सिंह-

सदन के रिपोर्टर्स के मेज पर खड़े होकर {× × ×}

अनुदान संख्या 17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,48,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष-

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं।

(कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनाराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,48,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,82,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

नोट:-{× × ×} यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं।

(कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,82,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,71,93,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष-

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं।

(कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,71,93,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,24,78,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष-

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं।

(कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनाराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,24,78,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 66,66,14,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष-

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ।

(कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनाराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 66,66,14,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 55-लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 55-लोक निर्माण विभाग (अनावसिक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,66,60,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष-

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ।

(कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 55-लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनाराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,66,60,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 56-लोक निर्माण विभाग (आवास भवन)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 56-लोक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,00,55,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष-

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं।

(कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 56-लोक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनाराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,00,55,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 57-लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 57-लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 32,09,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष-

कोई कटौती का प्रस्ताव रख रहा है।

(कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 57-लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनाराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 32,09,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 85,30,16,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष-

कोई कटौती का प्रस्ताव रख रहा है।

(कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनाराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 85,30,16,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,74,60,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष-

कोई कटौती का प्रस्ताव रख रहा है।

(कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,74,60,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 5- उद्योग विभाग (ग्राम्य एवं लघु उद्योग)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 5-उद्योग विभाग विभाग (ग्राम्य एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 20,60,12,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष-

कोई कटौती का प्रस्ताव रख रहा है।

(कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 5-उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनाराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 20,60,12,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 6- उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 6-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,04,32,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष-

कोई कटौती का प्रस्ताव रख रहा है।

(कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 6-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनाराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,04,32,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 60-वन विभाग

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 60-वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 38,91,04,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष-

कोई कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा है।

(कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 60-वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनाराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 38,91,04,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 17-8-1995 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 28 सूचनायें प्राप्त हुई।

पहली सूचना श्री सुन्दर लाल दीक्षित की बाराबंकी जिले के निजी नलकूपों तथा उद्योगों को समुचित विद्युत आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

दूसरी सूचना श्री किरन पाल सिंह की उन्नाव जिले के अजगैन थाना अन्तर्गत रैनापुर निवासी सुधीर जाटव की हत्या किये जाने तथा हत्यारों द्वारा गांव में आतंक फैलाये जानें से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है,

इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है।

तीसरी सूचना श्री राम सरन वर्मा की प्रदेश में दस्तावेजों के निबन्धन के समय मूल्यांकन पर लगाये गये 2% हस्तान्तरण कर को संस्थागत वित्त विभाग द्वारा नगर विकास विभाग की स्थानीय नगर क्षेत्रों की इकाइयों को नियमित रूप से उपलब्ध न कराये जाने के संबंध में है।

इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है।

चौथी सूचना श्री चेतराम की महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित निराश्रित महिलाओं एवं अनाथ बच्चों के कल्याण की योजनाओं के ठप्प हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है,

इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है।

पांचवीं सूचना श्री सुन्दर लाल लोधी की लखनऊ नगर के ठाकुरगंज मोहल्ले में लोधी कुटी के समीप निकलने वाले रास्ते को नाले का रूप दिये जाने से धन जन की हानि के संबंध में है, इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है।

छठीं सूचना डा0 रमेश पोखरियाल निशंक की पौड़ी गढ़वाल में भरतार फल उद्यान में शीतोष्ण अनुसंधान केन्द्र व माली प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के संबंध में है, इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है।

सातवीं सूचना श्री मोहर सिंह की सहारनपुर जिले में आश्रम रीति विद्यालय के स्टाफ को फण्ड, पेंशन, ग्रेच्युटी व नकदीकरण आदि सुविधायें न मिलने के संबंध में है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

आठवीं सूचना श्री जमुना प्रसाद मिश्र की सुल्तानपुर जिले के अमेठी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत नहरों में टेल तक पानी न पहुंचने तथा स्टेट ट्यूबवेलों की खराबी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

नवीं सूचना श्री मुरलीधर की उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता सहित खण्डीय एवं मण्डलीय कार्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का विधिक आरक्षण पूरा न किये जाने के संबंध में है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

दसवीं सूचना श्री हरेन्द्र सिंह मलिक की व श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की प्रदेश का नाम ऊंचा करने वाले खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार प्रदान किया जाना प्रारम्भ करने तथा अर्जुन एवं लक्ष्मण पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी श्री रनवीर सिंह को आवास एवं नकद पुरस्कार दिये जाने के संबंध में है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

शेष सभी सूचनाओं को अस्वीकार किया जाता है।

(घोर व्यवधान)

लखनऊ महानगर में समुचित विद्युत व्यवस्था के सम्बन्ध में श्री राम कुमार शुक्ल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र.....

पशुधन राज्य मंत्री (श्री विशम्भर प्रसाद निषाद)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

(सदन की सहमति से निम्नलिखित वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

(गोमती पार क्षेत्र को छोड़कर) में विद्युत आपूर्ति लखनऊ विद्युत प्रदेय (लेसू) द्वारा 132 के0वी0 टिकैतराय तालाब के उपकेन्द्र 33/11 के0वी0 चौक (विक्टोरिया), बालाघाट तथा 11 के0वी0 अपट्रान स्विचिंग केन्द्र से की जाती है । लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के गोमतीनगर पार के क्षेत्र डालीगंज आदि में लेसू द्वारा विद्युत आपूर्ति नवीकोट नदना, विकास नगर, एच0ए0एल0 तथा अलीगंज उपकेन्द्रों से की जाती है । लखनऊ पश्चिम के बालागंज, मालानगर, दौलतगंज, नेवाजगंज, डालीगंज, त्रिवेणीनगर वार्ड आदि में कम वोल्टेज की समस्या को हल करने के लिये प्रणाली सुधार योजना के अन्तर्गत ट्रान्सफार्मर आदि लगवाकर सुधार किया जाता है । लेसू में 1800 से अधिक 11/0.4 के0वी0 के वितरण ट्रान्सफार्मर स्थापित हैं । लखनऊ के शहरी क्षेत्र में जैसे ही कोई ट्रान्सफार्मर क्षतिग्रस्त होता है उसके स्थान पर ट्राली पर रखे ट्रान्सफार्मर के माध्यम से लेसू द्वारा विद्युत आपूर्ति सामान्य की जाती है और क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मर को हटाकर दूसरा ठीक ट्रान्सफार्मर लगाया जाता है । लखनऊ शहर के पश्चिम क्षेत्र में विद्युत समस्या के समाधान हेतु हरदोई रोड पर एक नया 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण का कार्य प्रस्तावित है । महानगर क्षेत्र में भी एक 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण प्रस्तावित है । जिसके लिये भूमि संबंधित विभागों से राज्य विद्युत परिषद प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है ।

सूचना में उल्लिखित मोहल्लों एवं लखनऊ शहर के अन्य क्षेत्रों में पुरानी एवं कम क्षमता की लाइनें होने के कारण वोल्टेज की समस्या का निदान लेसू द्वारा किया जाता है परन्तु राज्य विद्युत परिषद् की विषम वित्तीय परिस्थितियों के कारण शहर के समस्त प्रभावित क्षेत्रों में एक साथ समस्त प्रणाली सुधार कार्य करना सम्भव नहीं हो पाता है ।

परिषद् द्वारा निर्धारित नये कनेक्शन निर्गत करने की सरलीकृत प्रक्रिया के अन्तर्गत सामान्य बिजली एवं पंखे के उपभोक्ताओं को यदि बिजली के खम्भे से उनके संयोजन की दूरी चालीस मीटर तक होती है । तो ऐसी स्थिति में उनसे केवल फिक्सड चार्जेज ही लिये जाते हैं । एवं उनको अलग से कोई स्टीमेट नहीं दिया जाता है । नये विद्युत कनेक्शन हेतु फार्म उपलब्ध कराने अथवा कनेक्शन निर्गत करने में यदि किसी अनियमितता की कोई विशिष्ट सूचना प्राप्त होती है उस पर तत्परता से जांच/कार्यवाही कराई जायेगी ।

नोट:- यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

माननीय विधायक जी द्वारा लेसू तथा राज्य विद्युत परिषद् के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के संबंध में जो पत्र मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को लिखा है, उस पर उच्चस्तरीय जाँच कराई जा रही है।}

(इसी मध्य सदन के फ्लोर पर आये माननीय सदस्य अपने-अपने आसनों पर वापस चले गये।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

इस पर किसी को कुछ पूछना है।

कोई कुछ पूछ रहा है।

जनपद सिद्धार्थनगर में राप्ती, बूढ़ी राप्ती, बानगंगा एवं कूड़ानदियों से खतरे में पड़े सैकड़ों गांवों को बचाने के सम्बन्ध में श्री धनराज यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

अब मद संख्या 24 ले लेते हैं।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

जनपद सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती.....

श्री किरन पाल सिंह-

मान्यवर, प्रदेश की जनता से जुड़ा मामला है, सुन लें।

पशुधन राज्य मंत्री (श्री विशम्भर प्रसाद निषाद)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

{राप्ती, बानगंगा, कूड़ा एवं घोघी आदि नदियां प्रवाहित होती हैं जो नेपाल राज्य से मिलकर उत्तर प्रदेश की सीमा में आती हैं। इन नदियों का अधिकांश जल ग्रहण क्षेत्र नेपाल राज्य की सीमा में ही पड़ता है। बरसात के दिनों में जब इनके जल ग्रहण क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है तो इन नदियों का जल काफी बड़े भाग में फैलकर जन-धन की हानि करता है। जनपद सिद्धार्थनगर की सीमा में इन नदियों को नियंत्रित करने के लिये कई स्थानों पर सीमान्त बांध बनाये गये हैं। यह सीमान्त बांध तकनीकी दृष्टिकोण से नदियों के फलड़ जोन से बाहर बनाये जाते हैं, जिसके कारण कुछ

नोट:-{ } यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आबादी को जो नदी और बंधे के बीच में स्थित है को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करना तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टिकोण से व्यवहारिक नहीं होता ।

अतएव प्रदेश में नदियों को बाढ़, सुरक्षा प्रदान करने की शासन द्वारा वर्ष 1985 में नीति बनाई थी, जिस पर वर्ष 1991 में पुनः विचार किया गया था । वर्तमान नीति के अनुसार नदियों के कटान के प्रत्येक वर्ष कई ग्राम व क्षेत्र प्रभावित होते हैं और समय-समय पर उक्त कटान को रोकने तथा बाढ़ सुरक्षा कार्य के लिये विभिन्न क्षेत्रों से अनुरोध प्राप्त होते हैं । व्यवहारिक रूप से किसी भी नदी के कटान को रोकने में काफी धन की आवश्यकता होती है तथा उक्त योजनाओं को क्रियान्वयन के पश्चात् भी प्रत्येक वर्ष उनके रखरखाव आदि पर भी काफी लागत आती है, फिर भी उद्देश्य की सही पूर्ति नहीं हो पाती है । क्योंकि न तो प्रभावित ग्रामों/क्षेत्र की सुरक्षा हो पाती है और उसमें धनराशि लगने के फलस्वरूप अन्य योजनाओं पर भी प्रभाव पड़ता है । बड़े-बड़े शहरों को छोड़कर अन्य कटान रोकने का कार्य न करके यदि ग्रामों के ग्रामवासियों को ही अन्य सुरक्षित नदियों पर बसाया जाता है तो वह ज्यादा लाभदायक होगा ।

नदियों के बाढ़ क्षेत्र में बसे ग्रामों को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने हेतु कोई कार्य नहीं कराया जाता है । जहां नदियों के किनारे तटबन्ध बने हैं, वहां नदी व तटीय बन्धों के बीच बसी ग्रामीण आबादी की बाढ़ को सुरक्षा हेतु कोई कार्य नहीं कराया जाता है । बाढ़ क्षेत्र में बसे ग्रामों को अन्यत्र सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित करने की कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा की जाती है ।

मा0 विधायकों की सूचना में उल्लिखित ग्रामों की स्थिति निम्न प्रकार है:-

1-राप्ती नदी के तट पर स्थित ग्रामों की स्थिति

गायघाट, रीवानानकार — यह ग्राम नदी व तटबन्ध के बीच बसे हैं । अतः कोई बाढ़ सुरक्षा कार्य प्रशासन की नीति के अंतर्गत नहीं कराया गया है । इन ग्रामों में इस वर्ष कोई कटान नहीं हो रहा है ।

2-बूढ़ी राप्ती नदी के किनारे बसे ग्राम

(1) बेदौली ग्राम — बूढ़ी राप्ती नदी के बायें किनारे पर ग्राम बेदौली बसा हुआ है, यहां पर आबादी काफी ऊंचे स्थान पर बसी हैं । बांध दोनों किनारे से लाकर यहां आबादी से ही जोड़ दिया गया था, इस स्थान पर गत वर्ष और इस वर्ष भी कटान हुई है । यहां पर कटान के लिये पहले से ही ठोकर बनाये हुये हैं । इस वर्ष भी कटान रोकने के लिये झांवा डाला गया है ।

(11) छितरापार — ग्राम छितरापार बूढ़ी राप्ती नदी के बायें किनारे पर स्थित है, इसका एक टोला नदी और बांध के बीच बसा है। इसमें इस वर्ष कटान नहीं हुई है। इसकी अधिकांश आबादी सुरक्षित क्षेत्र में बसी है।

3-बानगंगा नदी के किनारे बसे ग्राम

(1) नदवलिया — यह ग्राम सुरक्षित क्षेत्र में बसा है। इस गांव की सुरक्षा हेतु झांवां के डैम्पर बने हुये हैं। ग्राम में इस वर्ष कोई कटान नहीं हुआ है।

(11) गजहड़ा एवं नौडिहवा ग्राम — यह ग्राम बानगंगा नदी के बाढ़ क्षेत्र में स्थित है। इन ग्रामों की बाढ़ सुरक्षा हेतु कोई कार्य नहीं किया गया है। दोनों ग्रामों में नदी द्वारा कटान की जा रही है।

4-कूड़ा नदी के किनारे बसे ग्राम

(1) ग्राम माथावल तथा लकड़ा, दलदलहा, तिघरा — यह ग्राम नदी के बाढ़ क्षेत्र में स्थित है। इसलिये कोई बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य नहीं कराया गया है। माथावल तथा लकड़ा बायें तट पर तथा तिघरा, दलदलहा दायें तट पर स्थित है।

(11) ग्राम गढ़मोर — यह ग्राम कूड़ा नदी के बायें तट पर सुरक्षित स्थान पर बसा हुआ है।

बांधों की स्थिति

(1) ककरही मोनहाबांध-

ककरही मोनहा बांध पर इस वर्ष कटान हो रहा है जिसकी सुरक्षा हेतु 1.4 से 1.6 कि0मी0 के बीच बल्ली पाईलिंग का कार्य कराया जा रहा है व बांध को चौड़ा किया गया है। फिलहाल बांध को कोई खतरा नहीं है।

(2) रीवां अमरीया-हातातटबन्ध तथा के0सी0 तटबन्ध

तटबन्ध के पास कोई कटान नहीं हो रहा है तथा तटबन्ध को कोई खतरा नहीं है।

(3) माथावल एप्रोच बांध-

वास्तव में यह माथावल ग्राम जो बाढ़ क्षेत्र में स्थित है के ग्रामीणों को के0सी0 बन्धे तक जाने का मार्ग है। इस मार्ग पर कोई कटान नहीं हो रहा है।

उपरोक्त वर्णित ग्रामों में से ग्राम गजहड़ा, नौडिहवा, लकड़ा, तिघरा, दलदलहा, छितरापार, रीवानानकार, गायघाट, मथावल, नदी और तटबन्धों के बीच अर्थात फ्लड प्लेन जोने में आते हैं तथा ग्राम नन्दवलिया बेदौली व गढ़मोर तटबन्धों में सुरक्षित क्षेत्र में पड़ते हैं।

बांध और नदी के बीच बसे हुये गांवों को सुरक्षा प्रदान करना तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। इस प्रकार की समस्या पर शासन द्वारा कई बार विचारोपरान्त उपर्युक्तानुसार निर्णय लिया गया है।)

(घोर व्यवधान के मध्य श्री किरन पाल सिंह अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्यागकर चले गये।)

(श्री ऊदल भी सदन त्याग कर चले गये।)

(श्री राम स्वरूप सिंह भी सदन त्यागकर चले गये।)

श्री अध्यक्ष-

इस पर किसी को कुछ पूछना है। कोई नहीं पूछ रहा है।

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में तेजी से बस रही कालोनियों में सड़कों पेयजल तथा बिजली एवं जलोत्सव की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

अब मैं मद संख्या 25 लेता हूं।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

माननीया सदस्या श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव.....

पशुधन राज्य मंत्री (श्री विशम्भर प्रसाद निषाद)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

(द्वारा गांव की जनता का नगरों की तरफ पलायन एवं नगरों की जनसंख्या के बढ़ते हुये घनत्व और इस संबंध में भूमि का बढ़ते हुये मूल्य के परिप्रेक्ष्य में कालोनाईजरों द्वारा कालोनी बनाने का धन्धा चल पड़ा है लेकिन इन कालोनियों में

नोट:-) (यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बिजली, पानी और सड़क तथा गन्दे पानी के निकासी की व्यवस्था नहीं रहती है। कालोनाइजर भूमि का लेन देन कर अलग हो जाता है और कालोनी निवासियों को नारकीय जीवन व्यतीत करना पड़ता है अतएव ऐसे कालोनियों के निर्माण के साथ इनमें पक्की सड़क, पेयजल, बिजली तथा जल निकासी की व्यवस्था किये जाने की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुये इस संबंध में सरकार की नीति की जानकारी चाही गई है।

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में कुल जनसंख्या 13.91 करोड़ है जिसमें से 11.15 करोड़ अर्थात 80.20 प्रतिशत ग्रामीण तथा 2.76 करोड अर्थात 19.8 प्रतिशत 702 छोटे-बड़े शहरों में निवास करती है। वर्ष 1981-91 के दशक में शहरी आबादी की वार्षिक वृद्धि दर 3.5 प्रतिशत रही है। ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2001 में प्रदेश के नगरीय जनसंख्या 4.10 करोड़ और शहरों की संख्या 702 से बढ़कर 803 हो जायेगी। इस वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये वर्ष 1995 में शहरी आवास नीति घोषित की गई। नगरों के सुनियोजित विकास हेतु प्रदेश में कुल 21 विकास प्राधिकरण, 7 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण तथा आवास एवं विकास परिषद् मुख्य क्रियान्वयन, अभिकरण के रूप में कार्यरत है। वर्तमान में आवास एवं विकास परिषद् 130 नगरों में कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्रों का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने हेतु शासन द्वारा 90 नगरों को उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 के अधीन विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया है। उक्त अभिकरण द्वारा सामाजिक आवासीय योजनाओं का क्रियान्वयन शासन, हडको अन्य वित्तीय संस्थाओं तथा निजी स्रोतों से प्राप्त वित्तीय संसाधनों एवं स्ववित्त पोषित योजना के रूप में किया जाता है।

शासन द्वारा उपरोक्त सुनियोजित विकास हेतु स्थापित विभिन्न अभिकरणों के बजाय निजी कालोनाइजर, निजी भूधारक तथा सहकारी समितियां सस्ते दर पर भूखण्ड क्रय करके बिना भूतिन्यास मानचित्र स्वीकृत कराये अनियोजित तरीके से भूखण्ड/भवन आदि का निर्माण करा लेते हैं। और अपने दायित्व से इतिश्री पा लेते हैं। और उन क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी, सीवर तथा गन्दे पानी की निकासी जैसे कार्यों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। कालान्तर में ऐसी अविकसित कालोनियों के निवासियों को उक्त सुविधाओं से संचित होकर नारकीय जीवन व्यतीत करना पड़ता है।

ऐसी अनाधिकृत कालोनियों के विनियमितीकरण के संबंध में प्रथम दृष्टया विचार करने पर यह मत उभर कर आया है कि ऐसे कालोनियों के स्वरूप मुख्यतः तीन भागों में विभक्त किये जा सकते हैं :-

1-ऐसी अनधिकृत कालोनियों का महायोजना के अनुसार आवासीय भू-उपयोग ज़ोन में पड़ती हैं।

2-ऐसी अनाधिकृत कालोनियां जो महायोजना के अनुसार आवासीय भू-उपयोग के विरुद्ध जोन में पड़ती हैं।

3-तीसरे वह श्रेणी है जो मलिन बस्तयों के नाम से जानी जाती हैं। तथा उपरोक्त दोनों भू उपयोग जोन्स में पड़ती हैं।

नगरीय क्षेत्र में कालोनी निर्माण की सामान्य प्रक्रिया यह है कि यदि किसी सहकारी आवास समिति अथवा कालोनाइजर द्वारा कालोनी बनायी जाती है तो उसको सर्वप्रथम संबंधित प्राधिकरण/सक्षम प्राधिकारी/नगर पालिका परिषद् से भू-विन्यास मानचित्र (ले-आऊट प्लान) स्वीकृत कराना आवश्यक होता है। जब उपरोक्त भू-विन्यास मानचित्र स्वीकृत हो जाता है तब प्राधिकरण/नगर पालिका परिषद्/सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूखण्डों पर प्रस्तावित निर्माण के मानचित्र संबंधित व्यक्ति द्वारा नियमानुसार आवेदन करने पर स्वीकृत किये जाते हैं। जो कालोनियां बिना भू-विन्यास मानचित्र के बना ली गई हैं अर्थात अनाधिकृत हैं उनमें सामान्यतया निम्नलिखित समस्यायें दृष्टिगोचर होती हैं:-

1-प्रचलित उपनियमों के अनुसार सड़क की चौड़ाई उपलब्ध नहीं होती है।

2-पार्क तथा अन्य सार्वजनिक सुविधाओं हेतु स्थान उपलब्ध नहीं होता है।

3-जल-सम्पूर्ति, जल निकासी, सीवर व्यवस्था आदि उपलब्ध नहीं होती है।

4-कालोनी के निवासियों द्वारा बनाये गये भवनों में उप नियमों के अनुसार सेटवैक नहीं छोड़े जाते हैं।

5-कालोनी की सड़कों की सुव्यवस्थित रखने तथा प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित रखने के लिये प्राधिकरण/नगरपालिका परिषदों का उत्तरदायित्व नहीं होता है।

6-सामान्यतया जहां आबादी का घनत्व 250 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है वहां सार्वजनिक मार्गों को छोड़कर 6 प्रतिशत अतिरिक्त खुली जगह होनी चाहिये। और जहां आबादी का घनत्व 251 से 500 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है वहां 9 प्रतिशत खुली जगह होनी चाहिये परन्तु अनाधिकृत कालोनियों में खुली जगह नहीं छोड़ी जाती है।

शासन उपरोक्त समस्या के प्रति जागरूक है और उ0प्र0 शासन द्वारा घोषित शहरी आवास नीति 1995 में विधिवत् व्यवस्था का प्राविधान किया गया है :-

1-विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद् द्वारा विकसित ऐसी आवासीय योजनायें जहां अवस्थापना सुविधाओं का प्राविधान नहीं किया जा सका है, की सूची तैयार की जायेगी जिसके अन्तर्गत योजना की स्थिति कुल क्षेत्रफल भूखण्डों/भवनों की आय के अनुसार संख्या का विवरण शामिल होगा।

2-प्रस्तर-1 में वर्णित कालोनियों में विद्यमान वाह्य व आन्तरिक सुविधाओं को अभिज्ञापित कर वांछित सुविधाओं के चरणबद्ध प्राविधान हेतु योजनायें तैयार की जायेंगी।

3-ऐसी कालोनियों को भी अभिज्ञापित किया जायेगा जहां अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण हेतु एक चरणबद्ध योजना तैयार की जायेगी तथा सुविधाओं का प्राविधान/सुदृढ़ीकरण लाभार्थियों की देय क्षमता के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा ।

4-अवस्थापना सुविधाओं के प्राविधान/सुदृढ़ीकरण हेतु कार्य-योजना के साथ-साथ वित्तीय व्यवस्था तथा लागत वसूली की प्रक्रिया भी निर्धारित की जायेगी ।

जहां तक निजी भूमि पर विकसित अनियमित कालोनियों का प्रश्न है इनमें "नियमितीकरण हेतु शासन स्तर पर प्रक्रिया" निर्धारित की जा रही है । नियमितीकरण के स्तर पर ही अवस्थापना सुविधाओं के प्राविधान/सुदृढ़ीकरण हेतु "कार्य-योजना" तैयार कर ली जायेगी ।}

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, सदन अव्यवस्थित है हम लोग वापस आ गये हैं ।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की आपूर्ति में की जा रही कालाबाजारी तथा विवाह के अवसरों पर सस्ते गल्ले की दुकानों से चीनी उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रंगनाथ मिश्र द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

माननीय सदस्य विधान सभा श्री रंगनाथ मिश्र ।

पशुधन राज्य मंत्री (श्री विशम्भर प्रसाद निषाद)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

{नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में जनपद भदोही तथा वाराणसी में शादी विवाह हेतु सस्ते गल्ले की दुकान से चीनी न उपलब्ध कराने तथा मिट्टी के तेल के वितरण में अनियमितता का उल्लेख किया है साथ ही आपूर्ति निरीक्षक तथा जिलापूर्ति अधिकारी के विरुद्ध भी भ्रष्टाचार की शिकायत की गई है।

2-जहां तक शादी-विवाह के लिये चीनी उपलब्ध कराने का प्रश्न है भारत सरकार के स्केल के अनुसार प्रति यूनिट प्रतिमाह 425 ग्राम चीनी उपलब्ध कराया जाना है । प्रदेश में वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में प्रति यूनिट प्रतिमाह 1.00 किलोग्राम तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतियूनिट 300 ग्राम चीनी का स्केल निर्धारित

नोट:-{ } यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

किया गया है । वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भारत सरकार के स्केल के आधार पर यदि गणना की जाय तो प्रदेश को स्टैण्डर्ड मासिक आवंटन की 60,000 मी0टन प्रति माह की आवश्कता होगी । माह अप्रेल, 1994 तक प्रदेश को 55,572 मी0टन प्रतिमाह भारत सरकार द्वारा लेवी चीनी का आवंटन किया जाता था । अचानक इस आवंटन में कटौती करते हुये अप्रैल, 1994 के बाद प्रदेश का आवंटन 52,926 मी0टन कर दिया गया । भारत सरकार से प्रदेश को कोटा बढ़ाये जाने हेतु प्रत्येक स्तर से पत्र व्यवहार किया गया तथा तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री द्वारा भी माननीय प्रधानमंत्री जी से इस संबंध में अनुरोध किया गया । भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या 3-4/94एस-सी/2 दिनांक 2 अगस्त, 1994 द्वारा यह सूचित किया कि प्रदेश का कोटा कसी भी दशा में बढ़ाया जाना सम्भव नहीं है तथा इस संबंध में कोई भी पत्र व्यवहार भारत सरकार से भविष्य में न किया जाय । चूंकि भारत सरकार से माह अप्रैल, 1994 तक प्राप्त 55,572 मी0टन चीनी से कटौती करके 52,926 मी0टन आवंटन कर दिया गया । अतः इस पृष्ठभूमि में दिनांक 19 मई, 1995 को समस्त जिलाधिकारियों को इस आशय के निर्देश भेज दिये गये कि वर्तमान में मासिक स्टैण्डर्ड आवंटन के अतिरिक्त अन्य आवंटन सम्भव नहीं है ।

3-जहां तक जनपद भदोही व वाराणसी को चीनी उपलब्ध कराने का सम्बन्ध है, जनपद वाराणसी को 1538 मी0टन तथा जनपद भदोही को 437 मी0टन चीनी प्रतिमाह उपलब्ध कराई जा रही है ।

4-जहां तक 18.00 रुपये किलो चीनी बाजार में खरीदने का प्रश्न है जनपद में लेवी नागरिकों को रुपये 9.05 पैसे प्रतिकिलो तथा खुले बाजार में 12 रुपये से 14 रुपये प्रति किलो के मध्य प्राप्त हो रही है ।

5-जहां तक उक्त जनपदों को मिट्टी के तेल का आवंटन का प्रश्न है, भारत सरकार से माह मई, 1995 से मिट्टी के तेल का जो मासिक आवंटन 1,15,119 किलो लीटर प्राप्त हुआ है, उसमें से जनपद वाराणसी को 3241 किलोलीटर व जनपद भदोही को 846 किलोलीटर मिट्टी के तेल का आवंटन किया जा रहा है । माननीय सदस्य ने उन दुकानदारों को तथा आपूर्ति निरीक्षक के नाम और पतों का उल्लेख नहीं किया है, जिनके द्वारा मिट्टी के तेल के वितरण में अनियमितता की जा रही है तथा कराई जा रही है । संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध स्पष्ट रूप से विवरण सहित शिकायत प्राप्त होने पर जांच कराकर यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, शासन द्वारा विशिष्ट शिकायतें प्राप्त होने पर जांच की कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है ।

6-चीनी, मिट्टी के तेल की कालाबाजारी रोकने हेतु प्रवर्तन कार्य के अन्तर्गत जनपद भदोही में माह अक्टूबर, 1994 से 1268 छापे, 76 दुकानें निलम्बित व 8 के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट 9 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई। 19,99,850 रु0 का माल बरामद हुआ, रु0 33,700 प्रतिभूति जब्त की गई। माह जुलाई, 1995 में ही 12 दुकानों का निलम्बन, 6 उचित दर दुकानों का निरस्तीकरण तथा 8 के विरुद्ध प्रतिभूति जब्त करने की कार्यवाही की गई।

7-विकास खण्ड औराई से सम्बद्ध थोक विक्रेता मे0 माधो प्रसाद सीताराम जिसका आवंटन 250 के0एल0 अत्यधिक होने के कारण सम्पूर्ण औराई से सम्बद्ध किया था, को उक्त विकास खण्ड से हटाकर अन्यत्र सम्बद्ध कर दिया गया है। विक्रेता के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर जिला स्तर पर कार्यवाही की जा रही है।)

(घोर व्यवधान)

प्रदेश में राजस्थान की ओर से रेगिस्तान के बढ़ने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री बदन सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

आगरा जनपद के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र।

पशुधन राज्य मंत्री (श्री विशम्भर प्रसाद निषाद)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

1-सिंचाई विभाग से संबंधित सूचना-

) में विकास खण्ड फतेहपुर सीकरी में स्थित न्याय पंचायत मण्डी मिर्जा खां, सामरा, रसूलपुर आदि न्याय पंचायत के ग्राम हैं, जो राजस्थान प्रदेश की सीमा से लगे हुये हैं। इनमें सिंचाई के विश्वसनीय साधन उपलब्ध नहीं हैं परन्तु यह कहना कि यह सभी ग्राम नहर, नलकूप, बांध, बन्धी आदि सिंचाई साधनों से विहीन हैं, पूर्णतः सत्य नहीं हैं। ग्राम सामरा न्याय पंचायत का कुछ क्षेत्र सहनपुर बन्धी से सिंचित होता है। मण्डी मिर्जा खां तथा रसूलपुर ग्रामों के कुछ क्षेत्र तेरामोरी बंधी के डूब क्षेत्र में आते हैं और सिंचित होते हैं। चूंकि यह बन्धियां प्रतिवर्ष नहीं भर पाती हैं, इसलिये यह अवश्य कहा जा सकता है कि इन क्षेत्रों के लिये सिंचाई के विश्वसनीय साधन उपलब्ध नहीं हैं। यह क्षेत्र राजस्थान से लगा हुआ है और इस क्षेत्र में मुख्य नदी उटंगन है जिसे राजस्थान में गंभीर नदी कहा जाता है। यह नदी बाढ़ के समय को छोड़कर प्रायः वर्ष भर सूखी रहती है। इसलिये इस क्षेत्र के लिये ऐसे कोई जल श्रोत नहीं हैं जिससे कोई सिंचाई योजना/नहर बनाई जा सके।

नोटः-)) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उक्त क्षेत्र में नलकूप सफल नहीं होते हैं एवं यह क्षेत्र किसी नहर प्रणाली के कमाण्ड क्षेत्र में नहीं आता है। इस क्षेत्र में राजकीय सिंचाई साधन उपलब्ध कराने की कोई योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

2-वन विभाग से सम्बन्धित सूचना-

उक्त क्षेत्र में लगे हुये वृक्षों को दीमक आदि रेगिस्तान कीटाणुओं द्वारा क्षति पहुंचाने का कोई मामला अभी तक प्रकाश में नहीं आया है। राजस्थान की सीमा से लगे हुये आगरा जनपद में वन विभाग के दो रेंज किरावली तथा खैरागढ़ कार्यरत हैं। इनमें से किरावली रेंज के अनुसार फतेहपुर सीकरी क्षेत्र आता है जिसमें सामरा, मण्डी मिर्जा खां रसूलपुर तथा नयाबाग न्याय पंचायतें स्थित हैं। यह कहना सत्य नहीं है कि इस क्षेत्र में वन विभाग के द्वारा वृक्षारोपण नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्त सीमावर्ती दोनों रेंजों में पिछले चार वर्षों से निम्न प्रकार वृक्षारोपण कार्य किया गया :-

वर्ष	रेंज का नाम	क्षेत्रफल (हे0 में)	रोपित पौध
1991-92	किरावली	111.0	2,22,000
	खैरागढ़	111.0	2,22,000
1992-93	किरावली	28.0	56,000
	खैरागढ़	50.0	1,00,000
1993-94	किरावली	55.0	1,10,000
	खैरागढ़	29.0	38,000
1994-95	किरावली	34.0	41,000
	खैरागढ़	29.0	38,000

उक्त वृक्षारोपण सड़क, नहर, रेल के किनारे, सामुदायिक भूमि एवं वन ब्लाकों में किये गये हैं। यह वृक्षारोपण दक्षिण पश्चिम हवाओं के विरुद्ध वायु रोधक पट्टी का काम करेंगे जो कि रेगिस्तान के विस्तार को रोकने में सहायक होंगे।

उपर्युक्त के अतिरिक्त सामाजिक वानिकी वन प्रभाग आगरा के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एकीकृत वनीकरण एवं पारिस्थितकीय विकास परियोजना भी वित्तीय वर्ष 1994-95 से चलाई जा रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत खैरागढ़ रेंज में इस वित्तीय वर्ष में 350 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरोत्पादक एवं सिल्वी पास्टोरल पद्धति से वनीकरण कार्य किया गया है। वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में भी क्रमशः 350 हेक्टेयर एवं 300 हेक्टेयर वनीकरण कार्य प्रस्तावित है।

उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त राजस्थान सीमा से लगी हुई खैरागढ़ व किरावली रेंजों में वृक्षारोपण हेतु समेकित परती भूमि विकास परियोजना तैयार करके जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के माध्यम से भारत सरकार को वित्त पोषण हेतु प्रस्तुत की गई है जिसके अन्तर्गत उक्त रेंजों में निम्न प्रकार वृक्षारोपण कार्य प्रस्तावित किये गये हैं।

रेंज का नाम	सामुदायिक परती भूमि	निजी भूमि	वन ब्लाक	योग
किरावली	142.0 हे0		80.0 हे0	222.0 हे0
खैरागढ़	974.0 हे0	435.0 हे0	1237.0 हे0	2646 हे0
योग	1116.0 हे0	435.0 हे0	1317.0 हे0	2868.0 हे0

उपरोक्त परियोजना अभी भारत सरकार से स्वीकृत होकर प्राप्त नहीं हुई है।

उपरोक्त परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य राजस्थान की ओर से बढ़ते हुये रेगिस्तान को रोकना है। यह वृक्षारोपण दक्षिण पश्चिमी हवाओं के विरुद्ध वायु रोधक पट्टी का कार्य करेंगे और रेत को रोकने में सहायक होंगे। वर्तमान रेगिस्तान को उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने से रोकने के लिये ही वन विभाग ने अपनी स्पष्ट नीति के अन्तर्गत समेकित परती भूमि विकास परियोजना जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के माध्यम से प्रस्तुत कर रखी है। अतः यह कहना सत्य नहीं है कि मौजूदा रेगिस्तान को बढ़ने से रोकने की वन विभाग की नीति नहीं है अथवा इच्छा शक्ति नहीं है।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, पूरा सदन अव्यवस्थित है। हम जनता की आवाज उठाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-28

(इसी मध्य श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

प्रदेश में बढ़ते हुये एड्स रोग तथा उस पर प्रभावी नियंत्रण लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा दी गई सूचना पर नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या 28 पर श्री श्याम देव राय चौधरी चर्चा प्रारम्भ करें।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, भारत वर्ष में भी एड्स का आतंक भयानक रूप से व्याप्त है और चिकित्सा जगत से जुड़े हुये सारे लोग इस एड्स के रोग से चिन्तित हैं ।

(कई माननीय सदस्यों के खड़े रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

आदरणीय सदस्यगण बैठ जायें चौधरी जी चर्चा प्रारम्भ कर रहे हैं।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

आज सम्पूर्ण विश्व एड्स रोग के आतंक से त्रस्त हैं और दुनिया के विभिन्न देशों के अन्दर इस एड्स रोग के निदान के लिये कई तरह के प्रयोग किये जा रहे हैं । मान्यवर, हिन्दुस्तान के अन्दर भी यह रोग इतनी तेजी से फैल रहा है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है । आज हिन्दुस्तान के सारे शहरों के अन्दर एड्स रोग के रोगियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है । यहां तक लखनऊ के अन्दर भी बड़ी संख्या में एड्स के जो विषाणु हैं वह लोगों के परीक्षण में पाये गये हैं । लेकिन यह दुख का विषय है कि आज भारत वर्ष के अन्दर विशेषकर हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर जिस तेजी से एड्स के रोग का प्रसार हो रहा है उसकी चिकित्सा के लिये और उसकी रोकथाम के प्रति सरकार उतनी संवेदनशील नहीं है जितना उसको होना चाहिये । परिणामस्वरूप जो विभिन्न तरीके जैसे रक्त परीक्षण है और भी तरीके हैं वह सिर्फ कागजों पर दिखाये जाते हैं जो विज्ञापन निकलते हैं एड्स के बचाव के लिये वह यह-यह तरीके अपनाये जाने चाहिये उसमें स्थान का अता पता नहीं होता है और रोगी को यह पता नहीं होता है कि वह कहां पर जाये जो एलाइजा टेस्ट होता है जिसमें पांच छः सौ का खर्चा आता है सरकार धनाभाव दिखाकर उस स्तर का परीक्षण नहीं कराती है जिससे इस रोग का लगातार प्रसार हो रहा है । मान्यवर, इसकी रोकथाम के लिये उत्तर प्रदेश सरकार यदि अपने स्तर से कभी प्रयत्नशील नहीं हुई कभी सजग नहीं हुई और कभी संवेदनशील होकर उसने कार्यवाही नहीं की तो यह निश्चित रूप से बढ़ जायेगा और इसका निदान संभव नहीं हो पायेगा । इस दृष्टि से मैं यह चाहता हूं कि शासन और प्रशासन एड्स के प्रसार को रोकने के लिये कोई प्रभावी कार्य करे जिससे लोगों में जागरूकता उत्पन्न हो और लोगों को यह लगे कि यह सिर्फ कागजी बयान नहीं है और इस रोग से निपटने के लिये कुछ हो रहा है । अतः मैं मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार इस रोग के प्रसार के प्रति जो कदम उठाये जाने चाहिये वह कदम उठाये ।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

श्रीमन्, जैसा कि प्रश्नोत्तर के समय माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने माननीय सदस्यों को अवगत कराया था कि इस रोग के बारे में कोई सुनिश्चित उपचार अपने

देश में संभव नहीं है। चूंकि यह जानलेवा रोग है अतः उत्तर प्रदेश सरकार सुनिश्चित औषधि और इसकी रोकथाम के लिये पूरी तरह से सतर्क है सरकार की तरफ से विभिन्न विज्ञापन दिये जाते हैं ताकि लोग भी सतर्क रहें। मैं तो यह समझता हूं कि माननीय चौधरी साहब भी सतर्क होंगे। इस घातक बीमारी से बचने के लिये हिन्दुस्तान की पुरानी परम्परा जैसे शिष्टाचार और जीवन में संयम रखना, अपने चरित्र को सही रखना और अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना इससे इस रोग से बचा जा सकता है। सरकार अपने दायित्वों और कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह से सतर्क हैं। जहां भी इसकी शंका होती है और सूचनायें मिलती हैं कि यह रोग हो सकता है तो वह उसका उपाय करती है मैं समझता हूं कि इस बारे में बहुत चर्चा की आवश्यकता नहीं है। इस विषय पर मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं आपके माध्यम से जिन माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया है उनको बताना चाहता हूं कि हम इस पर खुलकर बहस करते हैं तो भी हमको संयम के बाहर जाना पड़ेगा। जो हिन्दुस्तान की धरती का सवाल है, वैचारिकी है, परम्परायें हैं, उनसे परे हटकर बातें करनी पड़ेगी। सरकार के संज्ञान में बाते आ गयी हैं, सरकार आगे से और सतर्क रहेगी।

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

इस सदन में जो छछुंदर थे वह चले गये हैं, इसलिये अब शान्ति हो गयी है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक बात कही है, सही है कि इसकी चर्चा करने के संदर्भ में कहीं-कहीं संयम से बाहर जाना पड़ेगा। इस चर्चा में निश्चित रूप से संयम की आवश्यकता है लेकिन आज जिस प्रकार से यह बीमारी व्याप्त हुई है और स्वास्थ्य की बात है इस नाते कभी-कभी संयम खोने की आवश्यकता पड़ जाती है। संयम खोने का ही परिणाम है कि यह बीमारी आती है इसके अतिरिक्त ऐसे भी परीक्षण पाये गये हैं जिसके आधार पर कहा गया है कि अस्पतालों में जो इन्जेक्शन लगाये जाते हैं उसके कारण भी घातक बीमारी का जन्म हो जाता है। प्रदेश शासन के पास दुग्ध विकास मंत्रालय है, कभी-कभी ऐसी गड़बड़ी हो जाती है। मैं नहीं कहूंगा कि माननीय मंत्री जी खड़े होकर स्पष्टीकरण दें लेकिन कभी-कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जिसके कारण उनको भी पीड़ा हो जाती है। अभी फतेहपुर में 3 रोगी मरे हैं जो एड्स से मरे हैं। इस सदन में चर्चा हुई भी थी। यह पाया गया था कि फतेहपुर में तीन लोग मरे हैं और इस नाते मरे हैं क्योंकि समुचित चिकित्सा का अभाव रहा है। अभी परीक्षण हुआ है। स्वास्थ्य निदेशालय के अनुसार 1700 से अधिक एड्स के रोगी उत्तर प्रदेश में हैं। उनका उपचार नहीं किया गया,परीक्षण नहीं किया गया तो यह इतनी घातक बीमारी है कि जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। इस इलाज के संदर्भ में इसके रोकथाम का उपाय नहीं किया गया तो निश्चित रूप से प्रदेश में जिस संयमित वातावरण को माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी रखना चाहते हैं इतना असंयमित हो जायेगा कि फिर इस सदन में चर्चा करना मुश्किल हो जायेगा। मेरा निवेदन है कि स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा प्रभावी कदम उठाया जाना चाहिये।

ताकि यह रोग फैले नहीं और रोग पर पूर्ण रोक लगे। मुझे उम्मीद है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस प्रकार के निर्देश विभिन्न विभागों को देंगे ताकि हम लोगों को पुनः इस पर चर्चा न करनी पड़े। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को यह आदेश दें कि जो इधर के बैठने वाले लोग हैं उनका भी परीक्षण कराया जाये तो कुछ एड्स के रोगी मिल जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौधरी जी, आपको उत्तर भाषण में कुछ कहना है तो संक्षेप में अपनी बात रखें।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, हम लोग हास परिहास के वातावरण में इस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में इस रोग की जो भयानकता है वह ऐसा है नहीं। सम्भवतः यह रोग अभी तक लाइलाज है और विश्व के कोने-कोने में इस पर एक्सपेरीमेंण्ट चल रहे हैं, बड़े-बड़े प्रयोग हो रहे हैं और इसके निदान के कारगर उपाय किये जा रहे हैं। लेकिन "प्रिवेन्शन इज़ बेटर दैन क्योर" यह उक्ति यहां पर लागू होती है। उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार के सहयोग से इसके समुचित रोकथाम की दिशा में कदम उठा सकती है तो इसके प्रीवेन्शन की दिशा में ही कदम उठाये जा सकते हैं और जैसा कि समय-समय पर अखबारों और विभिन्न लिटरेचर्स के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर बहुत तेजी से यह बीमारी फैल रही है और समभवतः आज हम लोग उसकी गम्भीरता को नहीं समझ पा रहे हैं। आने वाले दिनों में यह और भयंकर हो सकता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि शासन और प्रशासन इस मामले में काफी गम्भीर हो। इसका निदान क्या हो सकता है यह तो मैं भी नहीं जानता मगर जब किसी व्यक्ति में इस रोग के लक्षण पाये जाते हैं तो उसे इस दिशा में क्या करना होगा इसकी जागरूकता समाज में अवश्य होनी चाहिये और सरकार इसके लिये कौन सी सुविधा मुहैया करवा रही है इसकी भी जानकारी उन्हें होनी चाहिये। यह भी जानकारी में आया है कि शारीरिक सम्पर्क से कहीं अधिक खून के आदान प्रदान से यह रोग होता है। इस प्रदेश के अन्दर जो रक्त केन्द्र हैं वहां पर रक्त के जांच के लिये कोई सुविधा नहीं है स्वास्थ्य विभाग ने यद्यपि नियम बना रखे हैं परन्तु उसका पालन कहां तक हो रहा है इसे माननीय मंत्री जी भी जानते होंगे। रक्त केन्द्र रजिस्टर्ड हैं या नहीं उनके पास इन्सट्रूमेंट हैं कि नहीं इस बात की देखरेख करने के लिये सरकारी अधिकारी सजग नहीं हैं इसलिये मेरा निवेदन है कि इसकी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिये कि रक्त केन्द्रों पर परीक्षण के बाद ही शुद्ध रक्त रखा जाय और वहीं मरीजों को दिया जाय और स्वास्थ्य मंत्रालय भी इस मामले में सजग रहे।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

माननीय चौधरी साहब और माननीय शुक्ला जी ने एड्स जैसी भयंकर बीमारी के ऊपर कुछ बिन्दु उठाये हैं । मान्यवर, इसकी रोकथाम तो हो सकती है परन्तु इसका उपचार सम्भव नहीं है । जब हम इसकी रोकथाम के बारे में गम्भीर चिन्तन व मनन करते हैं तो निजी जिन्दगी में हस्तक्षेप का मामला आ जाता है । हमारे देश के कानून बनाने वाले लोगों ने इस देश के व्यक्ति की निजी जिन्दगी के हस्तक्षेप को अलग रखा है । अगर हम निजी जिन्दगी में जांच करने लगें, जैसे चौधरी साहब कहां जाने वाले हैं या हम कहां जाने वाले हैं तब तो इसे रोका जा सकता है। इस देश की धरती पर कानून बनाने वाले लोगों ने, समाज को बनाये रखने के लिये, समाज को चलाने के लिये एक संस्कृति, आदर्श, नियम और मार्ग दर्शन बनाये ताकि लोगों का जीवन नियमित और संयमित रह सके । यह भी नियम बनाये कि अन्य लोगों से कैसे सम्पर्क किया जाय उसकी भी एक सीमा रेखा तय कर दी । मित्र, पति, मां, बेटी, बहू आदि से कितने दूर बैठकर बात की जाय इसकी भी एक सीमा रेखा तय कर रखी है । यह एक अलिखित संविधान है । किसी भी देश के जीवन्त समाज को चलाने के लिये उस देश के लिखित संविधान से कहीं अधिक अलिखित संविधान महत्वपूर्ण होता है । अलिखित संविधान के तहत हजारों हजार वर्ष से रिश्ते परिभाषित हैं और जब उन अलिखित संविधान और सुपरिभाषित रिश्तों को तोड़ा जाता है तो इस प्रकार के भयंकर परिणाम परिलक्षित होते हैं हमारे देश की जो वैचारिकी रही है जो हमारी संस्कृति रही है, उसको हम बनाये रखें उसके बीच में हम जीवन यापन करें और लोकमत बनाये रखे तो इससे बचा जा सकता है । हमारे ऊपर पश्चिमी देशों की संस्कृति का प्रभाव पड़ा है उन पश्चिमी देशों की संस्कृति के हमले के कारण हमारे देश की परम्परा और हमारी मूल धारणा से लोग कट रहे हैं । भोजन तथा संयम में ही हमारे ऊपर पश्चिमी देशों की संस्कृति का हमला हुआ है । खुलेमन से लोग जीने लगे हैं जिससे इस बीमारी ने यहां धावा बोला है । तो सबसे पहली आवश्यकता इस बात की है कि हम ऐसा लोकमत बनाये जो इस देश की परम्परा है, रीति रिवाज है और जो कहीं लिखी पढ़ी नहीं है । उसका अनुसरण करें और अपनी संस्कृति परम्परा, श्रद्धा और रिश्तेनाते जो समाज के अविभाज्य अंग हैं उन रिश्ते नातों को ठीक ठीक और ईमानदारी से पालन करें तो यह रोग किसी प्रकार से हमला नहीं करेगा ।

जहां तक अस्पतालों में दवा की कोई उपलब्धता की बात आई है तो वह तो अभी उपलब्ध नहीं है । सिरेन्ज और उपकरण में जो गड़बड़ी होती है जैसा कहा गया

तो इसको देखा जा सकता है । कहीं इस प्रकार की गड़बड़ी न हो जहां तक रक्त देने वालों की बात है उसमें पहले से ही व्यवस्था है रक्तदान करने वाले का और उसके रक्त का ठीक-ठीक परीक्षण होता है उसकी व्यवस्था है । अगर कहीं कोई चौधरी साहब की निगाह में ऐसी घटना हुई हो जहां रक्तदान करने वाले का ठीक परीक्षण नहीं हुआ है तो सरकार इसकी जांच कराने के लिये तैयार है । जो भी सुझाव आये हैं उनका सम्मान करते हैं और जो विचार माननीय सदस्यों ने व्यक्त किये हैं उनका सम्मान करते हैं जब कभी आवश्कयता होगी सरकार बैठकर विचार करेगी उनके सुझावों का सम्मान करेगी । इस पर काफी चर्चा विस्तार से हो चुकी है और चर्चा में भी संयम बरतने की आवश्यकता है और हमें भी किन्तु परन्तु लगा कर बात करनी पड़ रही है । कहीं एड्स की तरह संयम तोड़ने में गड़बड़ न आये इसलिये प्रार्थना है कि चर्चा को समाप्त करने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष--

चर्चा यहां समाप्त होती है । अब हम उठते हैं, 21 अगस्त, 1995 को 11.00 बजे फिर बैठेंगे ।

इसके बाद सदन 3 बजकर 36 मिनट पर सोमवार दिनांक 21 अगस्त, 1995 दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।

लखनऊ
दिनांक 17 अगस्त, 1995

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

पी0 एस0 यू0 पी0 एल0 246 विधान सभा (126)-1996-572 (ई0टी0) ।